षष्ठम् माला, खंड 11, अंक 11, सोमवार, 6 मार्च, 1978/15 फाल्गुन 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. XI, No. 11, Monday, March 6, 1978/Phalguna 15, 1899 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 11, सोमवार, 6 मार्च, 1978/15 फाल्गुन, 1899 (शक)

No. 11, *Monday, March* 6, 1978/*Phalguna* 15, 1899 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	MEMBERS SWORN .	1
सभा का कार्य	*Re*: Business of the House	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 185, 187, 189, 190, 193, 194, और 196	*Starred Questions Nos 185, 187, 189, 190, 193, 194 and 196	2—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
अतारांकित प्रश्न संख्या 184, 186, 188, 191, 192, 195 और 197 से 204	Unstarred Questions Nos. 184, 186, 188, 191, 192, 195 and 197 to 204.	17—25
अतारांकित प्रश्न संख्या 1687 से 1689, 1691 से 1804 और 1806 से 1886	Unstarred Questions Nos. 1687 to 1689, 1691 to 1804, and 1806 to 1886	25—141
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment.	
महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए दोनों कांग्रेस दलों के नेताओं को आमंत्रित करने में विलम्ब	Delay in inviting the leader of the Congress Coalition to form Government in Maharashtra	142—144
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address	155—149
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	145—149
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	150—152
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance.	152—155

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों द्वारा कैंपों तथा पुनर्वास स्थलों को त्यागने का समाचार	Reported desertion of Camps and Rahabilitation sites by Former East Pakistan refugees.	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	152
श्री सिकन्दर बख्त	Shri Sikandar Bakht	152
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under rule 377 . .	156—157
(एक) हल्दिया पत्तन की पूरी क्षमता के समुचित उपयोग के बारे में समाचार	(i) Reported under utilisation of the capacity of Haldia Port.	156
(दो) बेरूत में भारतीयों के जानमाल को खतरे के समाचार	(ii) Reported danger to lives and property to Indians living in Beirut.	156
(तीन) बनारस विश्वविद्यालय में विद्यमान स्थिति	(iii) Situation in Banaras Hindu University.	156
रेल बजट 1978-79—सामान्य चर्चा	Railways Budget, 1978-79—General Discussion	157—170
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	157
श्री विनायक प्रसाद यादव	Shri Vinayak Prasad Yadav	160
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	161
श्री लक्ष्मीनारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak	164
श्री जी० भुवारहन	Shri. G. Bhuvarahan.	165
कुमारी मनिबेन बल्लभभाई पटेल	Km. Maniben Vallabhbhai Patel	167
श्री युवराज	Shri Yuvraj.	167
श्री राजशेखर कोलूर	Shri Rajshekhar Kolur	168
श्री धर्मवीर वशिष्ठ	Shri Dharam Vir Vasisht	169
श्री हरी शंकर महाले	Shri Hari Shankar Mahale	169
श्री गोविन्द मुण्डा	Shri Govinda Munda.	170

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 6 मार्च, 1978/15 फाल्गुन, 1899 (शक)

Monday, March 6, 1978/Phalguna 15, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBERS SWORN

(1) श्री पेन्डेकान्ति वेंकटासुब्बैय्या नंदयाल

(2) श्री श्री गँडी मल्लिकार्जुन राव वारगंल

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : आज प्रधान मंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यावाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देंगे अतएव आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं नियम 377 के अधीन चर्चा को इस के बाद लिया जायेगा।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है इसीलिए मैंने नियम 377 के अधीन चर्चा की अनुमति दी है।

श्री वसन्त साठे : यदि हमें महाराष्ट्र के बारे में चर्चा की अनुमति नहीं दी गई तो हम सत्याग्रह कर देंगे (**व्यवधान**) .... सब लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या आपके लोकतन्त्र का यही तरीका है ... (**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : सत्याग्रह करके मैं श्री मोरारजी भाई का अनुकरण करूंगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड न किया जाये।

कुछ सदस्य : ×××

××× कार्यवाही को वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राजस्थान नहर परियोजना की प्रगति

*185. श्री एस० एस० सोमानी
श्री एम० कल्याण सुन्दम } : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित जानकारी देने वाली एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि :—

(क) वर्ष 1957 में राजस्थान नहर परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) चरणवार अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) परियोजना की कितनी बार पुनरीक्षण किया गया ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) राजस्थान नहर के लिए परियोजना अनुमान, जिसमें रावी और ब्यास नदियों में केवल प्रवाहित जल की सप्लाई को प्रयोग करना परिकल्पित था, 1957 में प्रशासनिक रूप से 66.45 करोड़ रुपये के लिए स्वीकृत किया गया था । 3.98 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र को गैर-बारहमासी सिंचाई और 2.89 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को बारहमासी सिंचाई की व्यवस्था की गई थी और राजस्थान में नहरों को कच्चा रखा गया। 1960 में सिन्धु जल संधि पर हस्ताक्षर हो जाने पर तीनों पूर्वी नदियों के जल को एक मात्र भारत द्वारा प्रयोग किये जाने के लिए निर्धारित कर दिया गया और रावी तथा ब्यास नदियों पर जल भंडारों के निर्माण द्वारा राजस्थान नहर में प्रयोग के लिए अधिक जल उपलब्ध हो सकता था । तदनुसार, 11.65 हैक्टेयर क्षेत्र को बारहमासी सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए 1963 में परियोजना को संशोधित करके उसकी लागत 139 करोड़ रुपए कर दी गई, केवल राजस्थान मुख्य नहर को पक्का किया जाना था । कच्ची नहर प्रणाली से होने वाली भारी हानि को रोकने के लिए यह फैसला किया गया था कि शाखा नहरों, वितरणियों और माइनरों को पक्का किया जाए और जल की पहले जितनी मात्रा के साथ 12.54 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करने के लिए 1970 में इस परियोजना को संशोधित किया गया था । श्रमिकों की मजदूरी तथा सामग्री की लागत में बढ़ोतरी हो जाने से भी परियोजना पर 208 करोड़ रुपयों की लागत आने का अनुमान लगाया गया । लागत में बढ़ोतरी हो जाने के कारण 1975 में परियोजना की लागत को पुनः अदयतन करके 331 करोड़ रुपये किया गया। इस परियोजना के अनुमान को अभी अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाना है।

परियोजना पर अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	चैनलों का ब्यौरा	कार्य की मदें	दिसम्बर, 1977 तक पूर्ण कार्य प्रतिशत
	चरण एक :		
1.	राजस्थान फीडर (204 कि० मी० लम्बी)	जून, 1964 में पूर्ण	
2.	नहर (189 कि० मी० लम्बी)	जून, 1975 में पूर्ण	
3.	मुख्य नहर वितरण प्रणालियां		
	(क) 0 से 73.15 कि० मी० तक	मिट्टी कार्य	95.73%
		लाइनिंग	65%
	(ख) 73.15 से 189 कि० मी० तक	मिट्टी कार्य	90%
		लाइनिंग	71.56%
4.	लिफ्ट नहर (152 कि० मी० लम्बी)	दिसम्बर, 1976 में पूर्ण	
5.	लिफ्ट नहर की वितरण प्रणालियां	मिट्टी कार्य	86.58%
		लाइनिंग	81.51%
6.	पक्के जलमार्ग	लाइनिंग	50.12%
	चरण दो :		
1.	राजस्थान मुख्य नहर (256 कि० मी० लम्बी)	मिट्टी कार्य	29.82%
		लाइनिंग	10.71%
2.	जल सप्लाई चैनल	मिट्टी कार्य	83.44%
3.	मुख्य नहर की वितरण प्रणालियां	मिट्टी कार्य	3.01%
		लाइनिंग	अभी कार्य आरम्भ किया जाना है ।

SHRI S. S. SOMANI : The Rajasthan Canal Project is associated with the problem of availability of water and bread to the nation. This Canal is capable of meeting ten per cent of the total demand of cotton and foodgrains of the nation. We all know that survey of this project was done during 1951, but the first phase of the project has not been completed even in 1978. This is the position of such an important project. The speed of the work on the project has been slow and as a result thereof we could not derive the benefits due from it. I want to specifically stress upon the Janata Government not to act on the lines of the

previous government and give priority to the important project and finish it as early as possible. In the statement, the progress made between 1957 and 1975 has been indicated, but the plan prepared in 1978 involving an investment of Rs. 396 crores has not been mentioned in the statement. Secondly, in the phase .....

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते। आप विवरण से पढ़ रहे हैं । इसे सब पढ़ चुके हैं। कृपया प्रश्न पूछिये।

SHRI S. S. SOMANI : May I know when the work relating to the first phase including its distributaries and branch channels would be completed ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : Even the work of second phase was started along with first phase But it is not possible to say when the entire work would be completed.

SHRI S. S. SOMANI : My second question is that during Second Plan it was published in newspapers that lift schemes have been dropped. Now, in the second phase there five lift schemes. The people of this area are having a feeling ever since the inception of the project that life schemes would greatly help our development—(*Interruptions*)—

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण देना चाहते हैं। कृपया प्रश्न पूछिये।

SHRI S. S.SOMANI : I want to say that five lifts schemes were sanctioned during the second phase. Can the Government give an assurance to the House that it would not allow the hopes of the people to be shattered.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : Our efforts are to take the maximum area of Rajasthan under irrigation from this Canal. The final shape to be given to this is under consider of the Rajasthan Government.

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : The Hon. Minister has said that it is not possible for him to say as to when this work would be finally finished. May I know whether the work of the Rajasthan Canal is being delayed because the cement asked for has not been provided ? I do not want to say more about it, but this is a national project which is also very useful for the defence of the country. Non-supply of cement by the Central Government is a matter of concern. May I know if the plan is being delayed because of non-supply of cement ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : It is partly due to shortage of cement. There have been various other reasons also. We want to complete the first phase by June, 1978. So I said that I cannot definitely say because even if one distributary was not completed, it would be said that the work is incomplete. Any how, our efforts are to finish it by June 1978.

श्री वसंत साठे : राजस्थान नहर पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस नहर के पूरा हो जाने से राजस्थान अन्न का भंडार बन जायेगा तथा पूरे देश को अनाज दे सकेगा। इसके अलावा इस भाग के लाखों लोगों को भूमि और रोजगार मिल सकेगा। एक बार हमने सोचा था कि इस योजना को जन-आन्दोलन योजना, भूमि सेना योजना आदि द्वारा बनाया जाये। क्या सरकार साधारण भूमि के खुदाई कार्यों में जन-शक्ति, विशेषत: युवा शक्ति, का उपयोग करेगी ? क्या सरकार राजस्थान नहर के कार्य को पूरा करने के लिये विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : माननीय सदस्य ने यह कह कर 'कि पहले कोई युवा आन्दोलन चलाया गया था' प्रश्न को उलझा दिया है। मुझे पता नहीं है कि उक्त आन्दोलन अथवा भूमि सेना का क्या हुआ सम्भवत: वहां किसी भूमि सेना का उपयोग नहीं किया गया। यह नहर देश के अत्यन्त विषम भू-भाग से गुजरती है। यह रेतीला क्षेत्र है जिसमें कोई बस्ती नहीं

है। इस क्षेत्र के अधिकांश भाग में पानी उपलब्ध नहीं है तथा कालेज के युवकों और बेरोजगार युवकों को वहां पर ले जाना सम्भव नहीं है। श्रमिक जुटाना भी कठिन है। हमें श्रमिकों के लिए श्रमिक बस्तियां बनानी पड़ती हैं तथा खाना पानी जुटाना पड़ता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में किसी युवा संगठन को इससे सम्बद्ध करना कठिन है।

SHRIMATI CHANDRAVATI : Can the hon. Minister say whether he is satisfied with the progress of the work on Rajasthan Canal taking in view the time and money spent on it so far ? If he is not satisfied, will he take some action against the persons responsible for wasting this money ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : The money spent on it has been utilised for a good cause and it has not been wasted. There has been a slight difficulty because most of the people do not settle on the allotted lands there. As I have already said the land there was barren and desert and people have to be settled afresh but they are not prepared to settle there. The Rajasthan Government was alloting lands to some people but these people did not take possession of the land. So in spite of some such difficulties it is proving very useful.

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Mr. Speaker I have a point of order.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था की कोई प्रश्न नहीं है (**व्यवधान**) कार्यवाही वृत्तान्त में न लिया जाये।

SHRI BHANU KUMAR SHISTRI : x x x

SHRI HIRA BHAI : May I know from the hon. Minister whether the targets fixed by the Government under Rajasthan Canal Scheme for providing irrigation water at certain heads for certain land have been fulfilled by now ? Approximately how much hectares of land is proposed to be irrigated ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : The land to be irrigated during the first phase is about 5 lakhs 94 thousand hectares but all this land is not being irrigated at present as some channels are yet to be completed. Under the second phase about 6.6 lakh hectares of land would be irrigated.

DR. BALDEV PARKASH : I want to know from the hon. Minister that during emergency a canal was dug by the youth army of Sanjay Gandhi on which the Punjab Government spent crores of rupees and for which the entire state was taxed and the youth of the entire country gathered there. A drain was dug by spending crores of rupees which was later filled up. Has the government no such proposal, as Shri Sathe said that a drain may be drug by sending youth army ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : There is no such plan. There is no Canal, the intention was to dig a drain and about half a kilometer drain was dug.

SHRI LALJI BHAI : May I know from the hon. Minister as to the total amount of expenditure incurred to date on Rajasthan Canal. What is the estimate of amount of expenditure to be made in future on all the phases of the project and by when the canal would be ready. Kindly indicate the date also.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : The up-to-date figures have not reached me and as I said there is some cost escalation. It was 176 crores for first phase and for second phase it would be over 200 crores of rupees.

××× कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

रायलसीमा के लिये कृष्णा नदी का जल

*187. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृष्णा नदी के जल का उपयोग रायलसीमा में भूमि की सिंचाई के लिये किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इससे कहां-कहां सिंचाई होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) कृष्णा नदी के जल का उपयोग रायल सीमा क्षेत्र में सिंचाई के लिए करने की प्रस्थापना अभी तक आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या आप प्रश्न के (ख) भाग को देखेंगे ? इससे कहां-कहां सिंचाई होगी ?

अध्यक्ष महोदय : जब इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है तो, वह उत्तर कैसे दे सकते हैं ?

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार मद्रास नगर को पानी पहुंचाने के लिए खुली नहर के उपयोग किये जाने के विरुद्ध है और इस प्रकार रायल सीमा क्षेत्र की सिंचाई योजना का विरोध कर रही है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मद्रास नगर को जल भेजने का क्या अभिप्राय है ? श्रीमान्, मद्रास नगर को कुल 15 टी० एम० सी० पानी की सप्लाई की जानी होती है। चार राज्यों के बीच एक समझौता हुआ है। तथा तीन राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश 5, 5 टी० एम० सी० पानी देने को सहमत हैं। यह पानी खुली नहर से लिया जाता है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या केन्द्रीय सरकार चित्तूर जिले की सिंचाई के लिए भी पानी ले जाये जाने पर जोर दे रही है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जी नहीं। मद्रास नगर को दिये जाने वाला पानी सिंचाई के लिए कतई नहीं बरता जाता और हमें यह ध्यान रखना होता है कि इसका सिंचाई के लिए उपयोग न हो।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : इस बारे में उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। तब केन्द्रीय सरकार कैसे कह सकती है कि यह सिंचाई के लिए नहीं है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : वह प्रश्नों को मिला रहे हैं। पहले उन्होंने मद्रास नगर को पानी की सप्लाई का प्रश्न उठाया था। मैंने उन्हें बताया कि समझौते के अनुसार मद्रास नगर के लिए 15 टी० एम० सी० पानी देना है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : यह मेरा प्रश्न नहीं है। यह एक अनुपूरक प्रश्न है। मेरा मूल प्रश्न रायलसीमा की सिंचाई के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : इसका उन्होंने उत्तर दे दिया है। कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : परन्तु मेरे अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि सिंचाई की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि मद्रास को पानी सिंचाई के लिए नहीं पीने के लिए दिया गया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई प्रस्ताव हमारे सम्मुख नहीं है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या उस पानी से रायलसीमा की सिंचाई की जा सकेगी अथवा नहीं? मेरा प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रस्ताव आने तक के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह अभी से कैसे बता सकतें हैं? आंध्र प्रदेश सरकार ने अवश्य ही प्रस्ताव भेजा होगा।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने खुले रूप में कहा है कि कृष्णा नदी के पानी को मोड़कर मद्रास को जल की पूर्ति की जा रही है और सिंचाई भी चल रही है। उन्होंने बताया कि यह मामला केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है। यदि ऐसी बात है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है और उसकी स्थिति क्या है क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने रायलसीमा के लोगों को बार-बार आश्वासन दिया है कि मद्रास नगर को पीने के लिए दिये जाने वाला पानी रायलसीमा के क्षेत्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को दिया जायेगा। यदि ऐसी बात है तो क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या उन्होंने इस बारे में मुख्य मंत्री से बातचीत की है कि क्या उन्होंने ऐसा कोई वचन दिया है, अथवा नहीं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, मद्रास नगर को पानी केवल पीने के लिए दिया जा रहा है और उसका उपयोग सिंचाई के लिए कतई नही किया जा सकता। यही करार हुआ था। जब राज्यों के मध्य करार हुआ था तो मैं बैठक में उपस्थित था और वास्तव में हमने आश्वासन दिया था कि केन्द्र इस बात का ध्यान रखेगा कि यह जल सिंचाई कार्यों के लिए उपयोग में न लाया जायें, क्योंकि कई राज्यों द्वारा इस पर आपत्ति उठाई गई थी।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : मेरा एक विशिष्ट प्रश्न है। इस मामले में दो बातें हैं। एक है कृष्णा नदी से मद्रास को जल दिया जाना। दूसरा है कृष्णा नदी के पानी को मोड़कर उसी स्त्रोत द्वारा रायलसीमा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई। मुख्य मंत्री इसके लिए वचनबद्ध हैं। मैंने स्पष्ट प्रश्न किया है कि क्या इसे उनकी जानकारी में लाया गया है। यदि हां, तो क्या वह मुख्य मंत्री से इसके बारे में पूछगें और फिर सदन में बतायेंगे।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह जल.....

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या आपको रायलसीमा की सिंचाई के बारे में मुख्य मंत्री से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अथवा क्या आप जांच करेंगे?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस सारणी के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी लेने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। वस्तुतः समझौते में एक धारा है कि केन्द्रीय सरकार कार्य संचालन की स्थिति में इस व्यवस्था का निरीक्षण करने का प्रबन्ध करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि एक जल-वर्ष के दौरान इस सप्लाई व्यवस्था के लिए श्रीसैलम से 15 टी० एम० सी० से अधिक पानी नहीं लिया जायेगा और कि इस व्यवस्था का उपयोग मद्रास नगर को ही पानी सप्लाई करने के निमित्त किया जायेगा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : हमारे मुख्य मंत्री मद्रास को केवल 5 टी० एम० सी० पीने का पानी हमारी ओर से देने के लिए सहमत हो गये हैं इससे पानी की कुल सप्लाई 15 टी० एम० सी० हो जाती है। जब मुख्य मंत्री जैसे राज्य के जिम्मेदार नेता ने सूखाग्रस्त और अकाल ग्रस्त क्षेत्र रायलसीमा के लोगों को वचन दे दिया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या रायलसीमा के लिए कुछ जल बचाया जा सकता है अथवा नहीं। यदि राज्य सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो यहां उठाये गए प्रश्नों को दृष्टि में रखते हुए क्या मंत्री महोदय राज्य सरकार का मत जानने के लिए कोई पत्र लिखेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने विभिन्न राज्यों के भाग के सम्बन्ध में मई, 1976 में अपना निर्णय दे दिया था। विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले जल की सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसी सीमा के अंतर्गत ही पानी का उपयोग किया जाना है। इस सीमा से अधिक पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में पेय जल का भारी अभाव होने के कारण मैं यह जानना चाहता हूं कि नदियों को मिलाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ताकि पानी का समान वितरण किया जा सके। ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री वी० अरुणाचलम : मैं यह समझता हूं कि कुछ शक्तियां ऐसी है जो दो राज्यों के बीच हुए समझौते की शर्तों के प्रतिकूल जल उपयोग करने का प्रयास कर रही हैं। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि समझौते की शर्तों के प्रतिकूल यह योजना कार्यान्वित नहीं की जायेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : दो राज्यों के बीच यह समझौता हुआ है और इसे इसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का विकेन्द्रीयकरण

*189. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकेन्द्रीकरण का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS & HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Why not ? The question does arise. If it is not decentralised the monthly expenditure of Rupees one crore fifty lakh will have to be increased every month. I want to know from the hon. Minister, whether because of the decentralisation of this office the expenditure would be reduced and efficiency would increase or not ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHAT) : This is merely a proposal not a question. But I may submit that an official committee has been appointed to streamline its working. This Committee will go into three or four aspects.

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों और कार्यकरण का समग्र रूप से मूल्यांकन करना,

(2) यह जांच करना कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह प्राधिकरण स्थापित किया गया था उनकी यह कहां तक पूर्ति कर पाया है, और

(3) इस प्राधिकरण का दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम आदि, अन्य बाहरी एजेंसियों के साथ सम्बन्धों का मूल्यांकन करना।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : It will be more profitable to decentralise this authority because supervision will become easier. Will the hon. Minister reconsider this ?

SHRI SIKANDER BAKHT : The hon. member may send his proposals in writing. We will look into them.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मंत्री महोदय ने बताया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की जांच करने हेतु एक समिति बनाई गई है। मैं जानना चाहता हूं कि उस समिति में कोई अन्य मंत्रालय भी सम्मिलित है और यह समिति अपना प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत करेगी ?

श्री सिकन्दर बख्त : समिति को अपना प्रतिवेदन 28 फरवरी को प्रस्तुत कर देना था, लेकिन उसने 3 महीने का और समय मांगा है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : इसमें अन्य कौन-कौन से मंत्रालय शामिल हैं ?

श्री सिकन्दर बख्त : इस समिति में कोई और मंत्रालय सम्मिलित नहीं है। इसमें स्थानीय प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा भूमि और विकास कार्यालय आदि शामिल हैं।

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : The Hon. Minister has stated that only officials have been taken in the Committee concerning D.D.A. Whether there is any suggestion to associate those unofficial members with these committees who are associated with the working of D.D.A. and elected representatives of Delhi Administration and Corporation, so that the report may not remain an official version only ?

SHRI SIKANDAR BAKHT : Sir, I may say something if it arises out of this question. It does not follow from this question at all.

SHRI KISHORE LAL : Durihg the last five years three Committees were Constituted earlier also regarding the working of D.D.A. and they have also submitted their reports. I want to know whether any Minister or Ministry have gone through these reports and it has been decided after that to form a new committee or whether they have not been seen by anybody and the committee has been set up to meet the same fate as that of privious Committees ?

SHRI SIKANDER BAKHT : This Committee has been constituted with a view that there is multiplicity authorities in Delhi. I am unable to understand as to which Committees the hon. member has referred to.

विषय : राज्य फार्म निगम तथा राष्ट्रीय बीज निगम में प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्तियों सम्बंधी नीति

190. श्री बीरेंद्र प्रसाद : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य फार्म निगम तथा राष्ट्रीय बीज निगम के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों को नियुक्त करने संबंधी सरकारी नीति यह है कि केवल सेवा निवृत्त होने वालों अथवा सेवा निवृत्त के पश्चात् पुनः नियोजित होने वालों को ही नियुक्त किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका युवा वर्ग की रोजगार सम्भावनाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इन पदों को धारण करने के योग्य हों ;

(ग) इन पदों पर नियुक्तियां करने से पूर्व क्या इन पदों की कमी सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो को सूचना दी गई है ; और

(घ) इन दोनों संगठनों में इन उच्च तथा शक्ति वाले पदों पर भर्ती के लिये तथा इन दोनों संगठनों में इन पदों को वर्तमान कर्मचारियों में से, जो उक्त पदों के योग्य हों, भरने के बारे में सरकारी नीति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) जी नहीं। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पदों की नियुक्तियां सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो / सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के परामर्श से की जाती हैं। इससे निम्न पदों की नियुक्तियां उन पदों के भर्ती नियमों के अनुसार स्वयं निगमों द्वारा की जाती हैं।

SHRI BIRENDRA PRASAD : Whether attention of the Minister has been drawn towards the gazette of India Notification dated 19th December, wherein in item 4 it has been said that the Post of General Manager of S.F.C.I. and N.S.C. like their chief executive will be filled in Consultation with the Bureau of Police Enterprise and Public Enterprise Selection Board ? I also want to known, whether appointment of Shri A. S. Sood on the post of General Manager of S.F.C.I. is according to the rules ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : As I have said that it is referred to Bureau of Public Enterprises and Public Enterprises Selection Board and they send a panel, out of which selection is made.

SHRI BIRENDRA PRASAD : My questinon has not been answered. I wanted to know, whether the appointment of Shri Sandhu has been made in consultation with these bodies ? Is it not a fact that at present he is working on the Post of Joint Commissioner, Cotton and is to retire in July, if so, whether it is not a conspiracy to reappoint him after retirement ?

अध्यक्ष महोदय : वे इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस पद को फिलहाल तदर्थ आधार पर भरा जा रहा है और मंत्रालय में संयुक्त कमिश्नर रुई 30-8-1977 से महाप्रबन्धक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहा है। मुख्य प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए नियमित प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के लिए कार्रवाई की जा रही है।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राज्य फार्म निगम को 1.5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। क्या इस मंत्रालय ने.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में हैं। इस प्रश्न का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : क्या मंत्री महोदय को जानकारी है और क्या-क्या वे राज्य फर्मों में सिंचाई का नया कार्यक्रम लागू करने जा रहे हैं, तथा क्या राज्य फार्म राज्य सरकार को सौंपे जाएगें ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री के० लकप्पा : यह प्रश्न निगम के मुख्य प्रशासक की नियुक्ति के सम्बन्ध में है। पिछले एक वर्ष से राज्य फार्म निगम और राष्ट्रीय बीज निगम का प्रबन्ध ढांचा पूरी तरह से बिखरा हुआ है। परिणाम स्वरूप नौकरशाहों ने कोई काम नहीं किया है तथा किसानों को संतोषजनक ढंग से बीज सप्लाई नहीं किये गये हैं तथा समूची व्यवस्था ही बड़ी खराब दशा में है। सरकार इसका तथात्मक निरुपण कर कब इसे व्यस्थित करेगी और भरती सम्बन्धी नीति की जांच की जाएगी ? क्या आप सदन को यह आश्वासन देगें कि प्रबन्ध पर नियंत्रण निपेक्षपाद नौकरशाहों के बजाय गैर-सरकारी लोगों को होगी और बीज निगम तथा राज्य फार्मों की बीज वितरण की व्यवस्था को सुचारु बनाया जाएगा ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहां बीज की सप्लाई का प्रश्न है इस वर्ष स्थिति बड़ी संतोष-जनक रही है और हमें इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री के० लकप्पा : यह सच नहीं है। मैं स्वयं एक किसान हूं और बीज निगम का बीज उगता ही है। इन निगमों का संगठनात्मक ढांचा और भरती तथा पदोन्नति की नीति सर्वथा बिगड़ी हुई है। क्या आप इसकी जांच करेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इन दोनों संगठनों में भर्ती इनकी नियमावली के अनुसार ही की जाती है।

SHRI RAM VILAS PASWAN : In the last serious in an answer to the question regarding N.S.C., it was stated that the member of Harijan and Tribal employees is negligible in the Corporation. Whether this situation still persists ? The information and representatives received by us show that these communities are ignored in spite of their seniority and qualifications. But government always says that their representation will be considered. I want to know whether the Hon. Minister tries to ascertain at the time of recruitment or promotion that suitable S.C. and S.T. candidates are available or not or whether their applications are set aside so that no action may be taken on them ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : It is not possible to have this information personally. But the departments have been instituted to take care of the rights of Scheduled Castes. If at some places their representation is not adquate the hon. member may inform me and action will be taken.

दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्ववित्तपोषण आवास योजना

*193. **श्री कवर लाल गुप्त :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10,000 रुपए जमा कराके मकान लेने की दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई स्व-वित्तपोषण योजना का परिणाम उत्साहवर्धक नहीं है ;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों ने राशि जमा की है ;

(ग) दिल्ली में एक वर्ष में 40,000 प्रगृह बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की विस्तृत योजना क्या है ;

(घ) दिल्ली में आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण क्या छूट देना चाहता है ;

(ङ) क्या सरकार ने दिल्ली में आवास निर्माण के लिए गैर-सरकारी एजेन्सियों को अनुमति दी हैं ; और

(च) क्या सरकार राजधानी में मकान निर्माण के लिए नई आवास सहकारी समितियों को अनुमति देगी ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OR WORKS & HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KUMAR) : (a) No, Sir,

(b) 1530 persons.

(c) to (e) The Delhi Development Authority is aiming at a target of constructing 10,000 dwelling units per year. In addition, organised sectors, public and private, are being encouraged to construct houses within a policy frame work for allotment to the public.

(f) The matter is under consideration.

श्री कवर लाल गुप्त : मेरे प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर नहीं दिया गया है।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : भवन निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार उन्हें जिस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहती है उनमें से कुछ इस प्रकार है। ये मात्र सिफारिशें हैं जो की गई हैं;

(1) भवन निर्माण को एक उद्योग घोषित किया जाए और उसे वे सभी छूट दी जाएं जो होटल उद्योग को दी जाती हैं।

(2) 12,000 या उससे कम लागत तक के ही मकान बनाने का सीमा लगाना।

(3) ग्रामीण औद्योगिक परियोजना क्षेत्रों में लघु उद्योगों को प्राप्त सुविधाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित भवन निर्माण सामग्री लघु उद्योगों को भी दी जाएं।

(4) भवन निर्माण के लिए गठित किसी कम्पनी या निगम के शेयरों में और सामान्य भवन निर्माण में लगाए गए धन को कर योग्य धन में से घटाया जाए ..... (व्यवधान)

इस स्थिति में भवन निर्माण सहकारी समितियों को आयकर से छूट दे दी जाएगी यदि उसमें 60 प्रतिशत मकान 12,000 रुपये या उससे कम लागत के हैं।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : About two lakh tenements are required in Delhi. Unless this work is undertaken on warfooting, it can never be completed. It is a very complicated problem. The previous government had made a plan for construction of thirty thousand flats but they were only able to construct nine thousand flats. Now a plan is being made that every year ten thousands dwelling units will be constructed. I want to know whether these tenements will be constructed by D.D.A. only or other corporations, private builders and Cooperative societies will be involved in the construction work. Have you contacted private builders in this regard and what is their reaction thereto ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : The Planning Commission desires that forty thousand tenements should be constructed every year in Delhi. D.D.A. is also one of the building agencies. We have fixed a target of ten thousand flats for them. Besides C.P.W.D. is also constructing houses. It will also construct roughly ten thousand houses per year. Now we intend to complete the target fixed for the year 1972 i.e. thirty thousand dwelling units will be constructed this year. Every effort is being made to encourage construction of dwelling units by Group Housing Co-operative societies. That is the third agency. The fourth agency, as you rightly said, is that we are inviting private builders in the construction. We have already had a meeting on 4th of February and the response has been very encouraging. We are also considering a proposal that of instructions like Banks and L.I.C. want to construct houses for their employees, they will be given land and we hope in this manner we will be able to achieve the target of forty thousand dwelling units.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The hon. Minister deserves congratulations for making every effort in this regard. He should ensure that it is executed property. There are many flaws in the rules of D.D.A. If a man has a share in the D.D.A. house, he is not entitled for another flat irrespective of his share of 30 square yards. A person who has got a house in Delhi is also not eligible for acquisition of D.D.A. flat. Land ceiling is another obstruction. In civil lines area of your constituency a building plan for an area of less than 2500 square yards is not approved. There are so many such other difficulties. I want to known whether any relaxation are proposed to be given in this regard. Have you asked the Corporations to construct houses for their employees.

SHRI SIKANDER BAKHT : No, we have not made any such proposal but if they will keep some such proposal before us we will consider it. As regard the situation in civil lines and land ceiling Act it is being processed by our department.

SHRI L. K. KAPOOR : May I know from the hon. Minister as to how many tenements are actually required in Delhi. As the hon. Member Shri K. L. Gupta has stated that at least two lakh tenements are required. I want to know whether actual requirement is of two lakhs or more than that.

In pursuance to the policy of decentralisation, may I know from the hon. Minister whether there is any plan for decentralisation of Delhi.

In view of the problem of making Delhi a big city whether Government have considered to stop urban agglomeration and attract the people to live in villages.

SHRI SIKANDER BAKHT : There was a proposal to develop satelite towers along with big cities. Similar proposal was there for Delhi also which was named as national capital region. The Ministry is considering this proposal because the amount that has been spent does not promote the idea of capital region at all and there is one more difficulty also. The whole area of national capital region does not fall under one administration. Some of its parts are under the administration of other state government. Other state governments are taking some such steps in their interest which are completely against the concept of national capital region. The U.P. Government has established NOIDA industrial establishment near Delhi border. Therefore ministry is considering that these types of small towns should be developed within computable distance of bigger city and these towns should have potential growth. The study in this regard is being done expeditiously.

श्री बी० राचैया : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कुल बनाए गए मकानों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को कितने फ्लैट दिए गए हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना की जरुरत है।

श्री बलवन्त सिंह : भारतीय प्रवासी अपने देश में अपना मकान बनाना चाहते है और वे दिल्ली में मकान बनाने के ज्यादा इच्छुक हैं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रवासियों को दिल्ली में मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की उनकी कोई योजना है।

श्री सिकन्दर बख्त : इस प्रकार की एक योजना है लेकिन इसका अध्ययन किया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संसद् सदस्यों के लिए फ्लैट

*194. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1977-78 में संसद् सदस्यों को लाटरी के आधार पर कितने फ्लैट दिए गए ;

(ख) कुल कितने संसद् सदस्यों ने फ्लैटों के लिए आवेदन किया था ;

(ग) संसद् सदस्यों से इस प्रयोजन के लिए लाटरी हेतु आवेदन पहली बार कब मांगे गए ;

(घ) आवेदनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख कितनी बार बढ़ाई गई थी और प्रत्येक बार तारीख किन विशिष्ट कारणों से बढ़ाई गई थी; और

(ङ) जिन संसद सदस्यों के नाम फ्लैट आबंटन के लिए निकाली गई लाटरी में न आ सके थे, उन्हें फ्लैट देने के लिए क्या प्रयास किये गये ?

THE MINISITER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKER) : (a) 9.

(b) 55.

(c) Applications were invited between 28th April, 1977 to 11th May, 1977

(d) The last date for receipt of such applications was extended 6 times.

The reasons are as under :

(i) to give wide publicity to the newly elected Members of Parliament, Metropolitan Council and the Municipal Corporation of Delhi.

(ii) the Members of Parliament and others were busy with the elections to the State Assemblies

(e) They will be considered for allotment of flats to be released to the public in future within their quota.

SHRI SHIV SAMPATIRAM : In part (a) of the reply it has been said that 9 flats have been offered to Member of Parliament. I would like to know the names of those 9 members and in part (b) of the reply it has been stated that 55 members of Parliament had applied for the flats. I would like to know some more details in this regard. It has also been mentioned that applications were invited between 28th April 1977 to 11th May 1977. The last date for receipt of such application was extended 6 times. How far it is justified. How may applications were received in the extended period and what are the names of the applicants.

SHRI RAM KINKER : The list is not available with me.

अध्यक्ष महोदय : उनके पास नामों की सूची नहीं है इसके लिए उन्हें पूर्व सूचना दीजिए ।

SHRI SHIV SAMPATI RAM : The hon. Minister has not replied my first question even. I wanted to know the names of the 9 members.

श्री शिव सम्पत्ति राम : मेरे पास इस वक्त नामों की सूची नहीं है।

SHRI SHIV SAMPATI RAM : I had asked four questions but the hon. Minister is not able to given answer o anyone. He is saying he list of members is not available with him. want to know what was the justification of extending last date 6 times.

श्री सिकंदर बख्त : मैं नाम बताने की कोशिश करता हूं ।

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : The hon. Minister is misleading the House. First he said that the list is not available with him and now he says he will try to give the names. From where he has got list now. The hon. Minister is misleading the House.

श्री सिकन्दर बख्त : उन सदस्यों के नाम यह हैं : श्री सरत कुमार कार, श्री ख्योमो लोथा, श्री महामाया प्रसाद सिन्हा, श्री आरिफ बेग, श्री डी० पी० वशिष्ठ, सदस्य महापौर परिषद, श्री प्रणव कुमार मुखर्जी, संसद सदस्य, श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी, श्री लाल बोआला, श्री महीलाल, इनमें से श्री सरत कुमार कार, श्री आरिफ बेग, श्री डी० पी० वशिष्ठ, श्री प्रणव कुमार मुखर्जी, श्री महीलाल सफल रहे। प्रतीक्षा सूची में श्री ख्योमो लोथा, श्री महामाया प्रसाद सिन्हा, श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी श्री लाल बुआला के नाम हैं। सफल उम्मीदवारों में श्री आर० के० शर्मा और श्री स्वामी सिंह सिसोदिया हैं। प्रतीक्षा सूची में श्री बलबीर सिंह, श्री सूरजभान, श्री बोदीपल्ली राजगोपाल राव के नाम हैं।

SHI SHIV SAMPATI RAM : I want to know whether provision for the allotment of such flats will be made in future ? What will be the area of the flats and who will get the priority ?

SHRI SIKANDER BAKHT : The names of the MPs are carried over for next lottery in case their names do not figure in lottery.

श्री के० माधयेश्वर :मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या संसद सदस्यों को मकानों का आबंटन गुणावगुणों , वरीयता, प्राथमिकता अथवा सिफारिश के आधार पर किया जाता है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संसद सदस्यों को दीर्घकालीन अवधि ऋण के आधार पर आबंटन सम्बन्धी सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

श्री सिकंदर बख्त : यह आबंटन किराया क्रय आधार पर उस दशा में किया जाता है जहां शुरु में कुछ राशि देनी पड़ती है और बाकि राशि मासिक किस्तों में देनी पड़ती है ।

श्री समर गुह : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर इसलिये दिलाना चाहता हूं कि संसद सदस्यों को फ्लैट देने की प्रथा बिलकुल अनुचित है और ऐसा नही किया जाना चाहिये था । जिन सदस्यों के किसी के भाग में रिहायशी मकान नही, केवल उन्हें ही दिल्ली में फ्लैट दिये जाने चाहिये और जिन सदस्यों के अपने आवास है, उनके साथ ऐसा अनुचित पक्षपात नहीं किया जाना चाहिये ।

अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सपूत्ती नीति पर यह सुनिश्चित करने हेतु विचार किया जायेगा कि उन सदस्यों को प्राथमिकता दी जाये जिनका दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर अपना आवास नही है।

श्री सिकन्दर बख्त : इस सुझाव को नोट कर दिया गया है।

श्री समर गुह : मेरा सुझाव यह है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि संसद सदस्यों को किस आधार पर यह विशेष सुविधा दी जायेगी। जो नाम इन्होंने पढ़े हैं, मैं जानता हूं कि इनमें से कुछ की अपने क्षेत्र में एक से अधिक अपने मकान हैं। उन्हें फ्लैट क्यों दिये जायें?

श्री सिकन्दर बख्त : ऐसी ही प्रथा प्रचलित है। इसी का पालन हो रहा है। उस योजना में केवल 3 प्रतिशत आवास संसद नगर निगम, अथवा महानगर परिषद् के सदस्यों के लिये आरक्षित किये जाते हैं। यह सुझाव भी माननीय सदस्य की ओर से आया है। मैं उस योजना के आधार पर बोल रहा हूं जो बहुत समय से लागू है।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : क्या मंत्री महोदय श्री समर गुह के सुझाव से सहमत हैं? क्या वे मेरे इस सुझाव को भी स्वीकार करेंगे कि संसद सदस्यों को आवासों का आबंटन क्षेत्र वार किया जाये। कल्पना कीजिये कि 50 मकान हैं और हर क्षेत्र को पांच मकान दिये जाते हैं तो इससे दिल्ली में सर्वदेशीय वातावरण पैदा हो जायेगा। मेरे विचार में यदि मंत्री महोदय मेरे सुझाव को स्वीकार करें तो दिल्ली में एक सार्वदेशीय वातावरण पैदा हो जायेगा।

श्री सिकन्दर बख्त : यह दूसरा सुझाव है। मैं इन सभी सुझावों को विचारार्थ मंत्रालय के सामने रखूंगा।

WILD LIFE TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE

*196. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to set up a Wild Life Training and Research Institute; and

(b) if so, whether Jabalpur is proposed to be accorded priority in the matter of location of this Institute ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) सरकार कुछ समय से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वन्य प्राणी संरक्षण; प्रबन्ध, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। तदनुसार खाद्य तथा कृषि संगठन के एक परामर्शदाता ने देश में वन्य प्राणी सम्बन्धी स्थिति का जायजा लेने और ऐसे संस्थानों की स्थापना के विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अगस्त, 1977 में तीन मास के प्रारम्भिक मिशन पर दौरा किया था। खाद्य तथा कृषि संगठन के परामर्शदाता की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, अतः अभी संस्थान के स्थान के विषय में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

SHRI SUBHASH AHUJA : The Government is considering a proposal to set up a Wild Life Conservation, Management Research and Training Institute and an expert team also paid a visit. The Directors of National Zoological Garden have been repeatedly pressing for setting up Wild Life Research and Training Institute. The names of Jabbalpur or Kana Institutes were sent for the consideration of Dr. D. Vas, a foreign expert. Will the Hon. Minister state whether Jabbalpur Research Institute will be set up keeping in view the needs of two Wild Life Sanctuaries of Madhya Pradesh.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : Shri D. Vas visited Dehradun, Jabbalpur, Bangalore, Hyderabad etc. etc. Hyderabad and Dehradun are somewhat better but no decision has so far been taken because this is only a preliminary stage and report is still awaited.

SHRI SUBHASH AHUJA : What are the reasons for rejecting Jabalpur ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कोई भी स्थान रद्द नहीं किया गया है इन चारों स्थानों का दौरा किया गया है। अभी स्थान का चयन करने का समय नहीं आया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विश्वविद्यालयों का बन्द होना

*184 **डा० बापू कालदाते** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि :

(क) शैक्षिक वर्ष 1977-78 के दौरान कितने विश्वविद्यालय बन्द किए गए ;

(ख) उनके बांद होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार छात्रों की समस्याओं पर विचार करने और विश्वविद्यालयों के बार-बार बन्द होने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सितम्बर, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि के दौरान छात्रों, अध्यापकों अथवा कर्मचारियों द्वारा, शैक्षिक और गैर-शैक्षिक दोनों तरह के विषयों के संबंध में, जिनकी राज्य सरकारों के उपयुक्त प्राधिकारियों और संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा जांच की जा रही है, आन्दोलन के कारण लगभग 12 विश्वविद्यालयों को अधिकतर अल्प अवधियों के लिए, जो कि दो सप्ताह से अधिक नहीं थी, कक्षाएं निलंबित करनी पड़ी थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अवैध लौज

*186 **श्री डी० जी० गवई** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली नगर के रिहायशी क्षेत्रों में प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे अवैध लौजों की जानकारी हैं ;

(ख) दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में ऐसे कितने अवैध लौज चलाये जा रहे हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ती और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके अधिकार क्षेत्र में बिना लाइसेन्स के लॉजिग हाउसिंग की संख्या क्रमश: 67 तथा 4 है।

(ग) संबंधित प्राधिकरण द्वारा मुकदमा चलाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आसाम में बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाएं

*188. **श्री पूर्ण सिन्हा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने हाल में आसाम के दौरे के समय को कुछ बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं के बारे में जिनमें उन नदियों को उपयोगी बनाना भी शामिल है जिनके कारण राज्य में प्रति वर्ष बाढ़ आती है और भारी क्षति होती है, आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रह्मपुत्र, सुवानसोरी, डिहिंग और जिया भोराली नदियों पर तलहटी में बहते पानी को रोकने और पन-बिजली पैदा करने के लिये बांध बनाया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो चार नदियों में से पहले किन नदियों पर तथा आगामी महीनों अथवा वर्षों में कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(घ) यदि आगामी दो वर्षों में ऐसी कोई परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :

विवरण

(क) से (घ) प्रधान मंत्री ने असम की अपनी हाल की यात्रा के दौरान, डिब्रूगढ़, में एक सार्वजनिक सभा में आर्थिक विकास के लिये अपने जल-संसाधनों का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए सामान्य रूप से बाढ़ नियन्त्रण के उपाय करने की जरूरत का उल्लेख किया था। वास्तव में, असम सरकार ने सुबनसिरी और देहांग पर बहुद्देशीय जल-संचयन परियोजनाओं के लिये विस्तृत अन्वेषण करने का काम प्रारम्भ कर दिया है और बांध स्थलों और जलाशय क्षेत्रों के अन्वेषण, नोवों की जांच, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य अन्वेषण का काम चल रहा है। जिया-भरेली की सहायक नदी पर बनने वाली कामेंग जल-विद्युत् परियोजना में नदी में प्रवाहित जल का उपयोग करने वाले संयंत्र की परिकल्पना की गई है और इस परियोजना में बाढ़ नियन्त्रण संबंधी लाभों की परिकल्पना नहीं की गई है। इसकी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा छानवीन की जा रही है। परियोजनाओं को हाथ में लेने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब अन्वेषण-कार्य पूरा हो जाये और यह तय हो जाए कि परियोजनाएं आर्थिक और तकनीकी दोनों दृष्टियों से व्यावहारिक हैं।

औद्योगिक आवास योजना के अधीन सेवा निवृत्त श्रमिकों द्वारा मकान खरीदे जाना

191. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन कर्मचारियों को औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत मकान दिए गये हैं उन्हें सेवा निवृत्ति के पश्चात 80 प्रतिशत लागत पर मकान खरीदने की अनुमति देने के बारे में सरकार ने निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारत कार्मिक संघ कांग्रेस के महामंत्री ने उन्हें एक पत्र लिखा है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि इस निर्णय पर केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठन से विचार विमर्श किया जाये तथा यह विचार विमर्श होने तक सरकार के इस निर्णय को स्थगित रखा जाये; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि औद्योगिक कर्मचारियों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों के लिये निर्मित मकानों की बिक्री की अनुमति उनके मौजूदा दखलकारों को दे दी जाए। और इस निर्णय से सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को पहले ही अवगत करा दिया गया है। देय मूल्य मूल लागत का 80 प्र० श० होगा। तथा किराया-खरीद की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। टेनामेन्ट को इस रियायत के अन्तर्गत बेचने से पूर्व, दखलकार को किराये का सभी बकाया तथा अन्य बकाया अदा करना होगा। उसको खरीदने की तारीख से 19 वर्ष की अवधि के भीतर टेनामेन्ट को पुनः बेचने की अनुमति नहीं होगी।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्री को लिखा दिनांक 2 फरवरी, 1978 का एक पत्र ए० आई० टी० यू० सी० के महासचिव से प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि एक बैठक में ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ चर्चा होने तक उपर्युक्त निर्णय को निलम्बित रखा जाए। उनके अनुरोध पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि इस निर्णय के कार्यान्वयन को रोका न जाए। यह निर्णय ऐसे टेनामेन्टों के दखल के कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से दिया गया था। इस बात के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों या उन कर्मचारियों को जो अपनी पात्रता की आय सीमा पार कर गये हैं उन्हें उनके दखल में टेनामेन्टों से बेदखल करना प्रायः असम्भव है। दखलकार रियायती किराया भी अदा नहीं कर रहे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि बकाया बढ़ रहे ह। जहां किराये दिये भी जा रहे हैं वे मकान की मूल लागत पर आधारित हैं और अनुरक्षण की बढ़ती हुई लागत को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है। सरकार के इस निर्णय से औद्योगिक कर्मचारियों के लिये मकानों के निर्माण को गति मिलेगी क्योंकि बिक्री की राशि से जोकि राज्य सरकार को उपलब्ध होगी, पुनः औद्योगिक कर्मचारियों के लिये मकानों के निर्माण पर लगाया जा सकेगा।

राज्य सरकारों के लिये जीवन बीमा निगम के आवास ऋण

*192. **श्री के० राममूर्ति**
श्री सुखेन्द्र सिंह } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय ने राज्य सरकारों द्वारा जीवन बीमा निगम के आवास ऋणों का उपयोग किये जाने सम्बन्धी कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकारों को नियतन किए गई जीवन बीमा निगम के ऋणों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के लाभ के लिये ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, राज्य सरकारों से कहा गया है कि इस मन्त्रालय द्वारा विभिन्न आय-वर्गों के लिये नियतन किये गये जीवन बीमा के ऋणों को वे निम्नलिखित अनुपात में उपयोग करें :—

(i) जिन परिवारों की मासिक आय 350 रुपये तक है, 40 प्रतिशत

(ii) जिन परिवारों की मासिक आय 351 रुपये और 600 रुपये के बीच है 25 प्र०श०

(iii) जिन परिवारों की मासिक आय 601 रु० से और 1000 रुपये के बीच है 25 प्र०श०

शेष 10 प्र० श० राशि राज्य सरकार के कर्मचारियों की किराया आवास योजना के कार्यान्वयन के लिये उपयोग किया जाना है ।

राष्ट्रीय सर्कस अकादमी

*195. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन सर्कस फैडरेशन ने सरकार को सुझाव दिया है कि भारतीय सर्कस उद्योग के संरक्षण के लिये साहित्य अकादमी, संगीत-नाटक अकादमी, आदि की भांति राष्ट्रीय सर्कस अकादमी की स्थापना की जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धना सिंह गुरुशन) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय सर्कस संघ से, एक राष्ट्रीय सर्कस अकादमी के निर्माण से सम्बन्धित उनके प्रस्ताव के विस्तृत ब्यौरे देने के लिये अनुरोध किया गया है, ताकि सरकार इस पर विचार कर सके ।

वनों को काटने सम्बंधी नीति

197. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार-बार बाढ़ आने, जल द्वारा भूमि का कटाव होने, नदियों में गाद जमा हो जाने के बावजूद पेड़ लगाने की अपेक्षा वनों को काटने का काम अधिक तेजी से हो रहा है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई स्पष्ट और दृढ़ नीति निर्धारित की है और क्या उसे राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में अधिकांश वन, राज्यों के स्वामित्व में तथा राज्य वन विभागों के नियन्त्रण में हैं। इन वनों का प्रबन्ध नियमित कार्य

की योजनाओं द्वारा किया जाता है, जिनमें प्राकृतिक व कृत्रिम पुनरुत्पादन का विधिवत ध्यान में रखते हुए वर्ष में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या निर्धारित की जाती है। जो वन क्षेत्र राज्य वन विभागों के नियन्त्रण से बाहर हैं, उनमें स्थानीय जनता की ईंधन की लकड़ी, इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादों की बड़े पैमाने पर मांग होने के फलस्वरूप भारी जैविक दबाव के कारण वृक्षों की अवैज्ञानिक कटाई की जाती है। तथापि, उन्हें वैज्ञानिक नियन्त्रण में लाने और इन क्षेत्रों में राजकीय योजनाओं अथवा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं या केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से वन रोपण शुरू करने के प्रयास किए जाते हैं। वन विभाग के नियन्त्रण से बाहर के वन क्षेत्रों में ऐसी कटाई के प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राज्य वन विभागों द्वारा वृक्षों की कटाई की गति की तुलना में तेजी से वन रोपण करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

(ख) राष्ट्रीय वन नीति, 1952 में यह सिफारिश की गई है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कम से कम $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत भाग में वन होने चाहिये। किन्तु कुल भौगोलिक क्षेत्र के केवल 22.8 प्रतिशत भाग में ही वन हैं। इस नीति का संशोधन किया जा रहा है और उसमें यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं, जल-विद्युत् परियोजनाओं आदि के लिये जितनी वन भूमि उपयोग में ले ली जाती है, वन रोपण के लिये यथा सम्भव उतनी ही वैकल्पिक भूमि प्रदान की जानी चाहिये। इसके लिये प्रयोजना की लागतों में अपेक्षित रकम की निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि इस राज्य वन विभागों के समग्र नियन्त्रण में सभी वनों का वैज्ञानिक प्रबन्ध किया जाए।

बिहार में भूमि सुधार के लिए केन्द्रीय सहायता

198. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार में भूमि सुधार योजनाओं की क्रियान्विति के लिये वर्ष 1976-77 में तथा 1977-78 में अब तक कितनी वित्तीय सहायता बिहार राज्य को दी है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

	1976-77 में दी गई सहायता	1977-78 में दी गई सहायता
	रु०	रु०
1. जोत की ,अधिकतम सीमा के कारण फालतू हुई भूमि के आवंटियों द्वारा आदानों के क्रय के लिये अनुदान .	23,12,600	22,48,841
जोत की अधिकतम सीमा के कारण फालतू हुई भूमि के विकास के लिये अनुदान . . .	11,56,300	5,74,356
जोत की अधिकतम सीमा के कारण फालतू हुई भूमि के विकास के लिए ऋण . .	10,52,392	5,31,634
योग . . .	45,21,292	33,54,831

2. जोत की अधिकतम सीमा के कारण फालतू हुई भूमि के विकास के लिये उपरोक्त सहायता के अलावा, हाल ही में 15 लाख रुपये की धनराशि दी गई है ताकि राज्य सरकार 11 अंचलों की एक लाख हैक्टार भूमि में जोतों की चकबंदी के लिये संयुक्त कार्यक्रम चला सके ।

नई दिल्ली नगरपालिका के सहायक शिक्षकों को स्थायी किया जाना

*193. **श्री अधन सिंह ठाकुर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका के शिक्षा विभाग में तीन वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर लेने वाले कुल कितने शिक्षकों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ;

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा अब तक स्थायी किए गए सहायक शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड देने के लिये सरकार द्वारा निर्धारित 20 प्रतिशत कोटे में कुल कितने स्थायी सहायक शिक्षक आते हैं।

(घ) क्या कुछ शिक्षकों को सलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया है, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें किस आधार पर सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया है; और

(ङ) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रणुका देवी बड़कटकी) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार ऐसे सहायक शिक्षकों की संख्या 224 है ।

(ख) 690, आज तक ।

(ग) 138

(घ) जी, नहीं। 138 पद सेलेक्शन ग्रेड के हैं। इन पदों पर 105 पात्र सहायक शिक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड पहले ही दिया जा चुका है । शेष 33 पदों के लिये चयन को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाने वाला है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उचित दर की दुकानों पर कम मूल्य पर चावल की सप्लाई करना

200. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उचित दर की दुकानों पर कम मूल्य पर चावल देने पर विचार कर रही है क्योंकि देश में, सरकारी दावे के अनुसार, खाद्यान्न फालतू हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिए जा रहे चावल की केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जोकि देशभर के लिये एक जैसा है, पहले ही एक राज सहायता प्राप्त मूल्य है और फिलहाल इसमें कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बाजरे की नई किस्म

*201. **पंडित द्वारिका नाथ तिवारी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाजरे की एक नई किस्म आरम्भ की गई है जिसकी प्रति हैक्टेयर उपज 82 क्विंटल होती है ;

(ख) यदि हां, तो कहां और कितनी सफलता प्राप्त हुई ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ध्यान श्री श्रीराम स्मारक व्याख्यान माला के अवसर पर 26 अप्रैल, 1972 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक द्वारा दिए गए भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने बाजरे की एक नई किस्म के आविष्कार का दावा किया है जिससे प्रति एकड़ में 82 क्विंटल उपज होती है;

(घ) क्या नये बीज का परीक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न में उपज सम्बन्धी जो आंकड़े दिये गये हैं उस प्रकार के आंकड़े भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महा निदेशक ने 1972 में श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान में आठवें संस्थापक स्मारक भाषण में नहीं दिये। उस भाषण का "कनवर्टिंग ए साइन्टिफिक ब्रेकथ्रू इन एग्रीकल्चर इनटू ए प्रोडेक्शन एडवांस" शीर्षक या जोकि वैज्ञानिक खोजबीन को खेती की उपलब्धियों में परिवर्तित करने के लिये अपेक्षित मध्यवर्ती कदम से सम्बन्धित था। इस भाषण में गेहूं, धान, **ज्वार, बाजरा** और मक्का की संकर किस्मों या नई किस्मों की उपज क्षमता का हवाला है जोकि एक विवरणिका में दिया गया है यह विवरणिका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय समवित्त परीक्षणों के प्राप्त उपजों के आधार पर तैयार की गई थी ।

बाजरा की एक प्रायोगिक संकर किस्म से अधिकतम प्रति हैक्टेयर 87.14 क्विंटल उपज ली गई थी । यह उपज संकर 23ए×जे 977 संकर किस्म से अग्रिम संकर बाजरा प्रयोग संख्या

111 जो दिल्ली में अखिल भारतीय मोटे अनाज सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई थी, 1969-70 में प्राप्त की गई । दिल्ली में ही प्रायोगिक संकर किस्म 23 ए×जे० 108 से अग्रिम संकर बाजरा प्रयोग संख्या 4 से प्रति हैक्टेयर 73.12 क्विंटल उपज मिली ।

(घ) तथा (ङ) बाजरा की कई आशाजनक संकर किस्मों में रोमिल फफूंद और ग्रारगट के प्रति रोग ग्राहता पैदा हो गई इसलिये प्रजनन कार्यक्रम को सुधार करना पड़ा ताकि नई संकर किस्मों को इस्तेमाल करते समय नई किस्मों में इन रोगों के प्रतिरोधिता का समावेश किया जा सके । उसके बाद रिलीज की जाने वाली कुछ संकर किस्मों में जैसे पी० एच० बी० 10, पी० एच० बी० 14, बी० जे० 104, बी० के० 560, बी० डी० 111 है और इन किस्मों में रोमिल फफूंद रोधिता के गुण पाये गए हैं और साथ ही अधिक उपज की क्षमता भी है ।

शिक्षा पद्धति में परिवर्तन

*202 **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा की नयी 10+2 पद्धति में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन को कब से लागू किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का पुनरीक्षण किया जा रहा है और ढांचे अर्थात् 10+2+3 पद्धति का भी पुनरीक्षण किया जायेगा ।

राष्ट्रीय युवा नीति

*203. **श्री पी० एस० रामलिंगम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विकास के लिये युवा शक्ति का उपयोग करने की अत्यधिक आवश्यकता के बावजूद राष्ट्रीय युवा नीति न बनाने के क्या कारण है; और

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवक केन्द्र युवा पुनरुत्थान के उद्देश्यपूर्ण केन्द्र बिन्दु कहाँ तक बन सके हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) जबकि युवकों के संबंध में कोई औपचारिक राष्ट्रीय नीति नहीं है तथापि, युवकों को देश के विकास कार्यक्रमों में लगाने के लिये एक राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड का गठन किया गया है । प्रशासनिक और वित्तीय सीमाओं के अनुरूप चालू वर्ष के दौरान 3 लाख से अधिक छात्रों को राष्ट्रीय सेवा योजना में शामिल किया जायेगा और वे समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। 152 जिलों में नेहरू युवक केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जहां गैर-छात्र युवक राष्ट्रीय निर्माण कार्यकलापों में भाग ले सकते हैं ।

मद्यनिषेध लागू होने पर राजस्व की हानि, बेरोजगारी और अवैध शराब बनाया जाना

204. **श्री महेन्द्र सिंह सैयांवला**
श्रीमती पार्वती देवी } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में सरकारों ने पूर्ण मद्य निषेध के बारे में निर्णय लेने से पहले केन्द्र से राजस्व की हानि, बेरोजगारी और अवैध शराब बनाए जाने की समस्या के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये गए सुझावों/समाधानों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) कुछ राज्यों ने राजस्व की हानि की समस्या के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है । जहां तक अवैध शराब बनाए जाने और बेरोजगारी की समस्याओं का सम्बन्ध है राज्य सरकारें अपने अधिकारों के अधीन इन समस्याओं के साथ निपटने में समर्थ हैं ।

(ख) मद्य निषेध को लागू करने के बारे में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है तथा जैसे ही और जब वह तैयार हो जायेगा उसे राज्य सरकारों को सूचित कर दिया जाएगा ।

अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में दिगलीपुर में जंगली हाथी

1687. **श्री रोबिन सेन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में दिगलीपुर स्थित श्यामनगर और राधानगर के लोगों को जंगली हाथी भयभीत कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वहां के लोगों को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हाँ। किन्तु जून, 1977 के बाद ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का प्रशासन इस समस्या के प्रति जागरूक है और वह जाल में फंसा कर जानवरों को पकड़ने वाले पेशेवर व्यक्तियों के जरिये ऐसे घातक जानवरों के पकड़ने अथवा नितान्त आवश्यक मामलों में, उन्हें जान से मार देने के लिये आश्यकतानुसार उपचार के हर सम्भव उपाय कर रहा है ।

चिल्का झील में मत्स्य पालन के विकास के लिये सहायता

1688. **मोहम्मद हयात अली** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार चिल्का झील में मत्स्य पालन के विकास के लिये विश्व बैंक सहायता कोष में से कुछ राशि देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है और;

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार को यह राशि कब तक उपलब्ध हो जायेगी।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) जी नहीं

EXCAVATION OF RUINS OF ANCIENT VIKRAMSHILA UNIVERSITY

†1689. DR. RAMJI SINGH : Will the MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the annual amount allocated so far since 1975 for excavation of ruins of the ancient Vikramshila University in Bhagalpur District of Bihar State and how much work has since been completed;

(b) whether setting up of a model tourist centre and a regional museum near this ancient place is considered suitable by Government, if so, by what time this work will be completed;

(c) whether Government propose to make some special arrangements to get an authentic history of the ancient Vikramshila written; and

(d) whether Ministry propose to request the concerned authorities to provide a halt to fast passenger trains coming from Delhi and Calcutta at Vikramshila Railway Station for the convenience of tourists ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) The following amounts were allocated since 1975 for excavation at Antichak, District Bhagalpur, Bihar, a site traditionally associated with the ancient Vikramshila University :—

1975-76	:	Rs. 1,75,000
1976-77	:	Rs. 2,50,000
1977-78	:	Rs. 2,00,000

A Buddhist monastic establishment, measuring 330 sq.m., having an impressive central shrine has been exposed. Besides, some Brahmanical and Buddhist shrines have been also exposed outside the complex.

(b) The State Government of Bihar has already opened a tourist centre. The Central Government has decided to construct a site museum for which land has already been acquired.

(c) The evidence from the excavations would be examined vis-vis literary references while completing the final Report.

(d) No such proposal is envisaged at present.

लक्षद्वीप में तूफान के कारण हुई क्षति

1691. **श्री आर० के० महालगी**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर 1977 में आये तूफान के कारण लक्षद्वीप संघ क्षेत्र में कुल कितनी क्षति हुई है ;

(ख) नारियल के कितने पेड़ जो उपरोक्त क्षेत्र का मूल प्रमुख उद्योग है, उखड़ गये हैं अथवा/अन्यथा बकार हो गये हैं;

(ग) उपरोक्त पेड़ों की कुल कितनी हानि हुई है और हानि का हिसाब किस आधार पर पर लगाया गया है ; और

(घ) सरकार ने सहायता के रूप में अब तक कितनी धनराशि संघ क्षेत्र को दी है और क्या कुछ और सहायता देने का विचार है यदि हां, तो कब और कितनी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) लक्षद्वीप में काल्पेनी द्वीप समूह तथा इससे कुछ कम मात्रा में एण्ड्रोथ व कार्वारट्टी द्वीप समूह को 19 और 20 नवम्बर, 1977 को समुद्री तूफान से क्षति पहुंची थी। काल्पेनी में लगभग सभी प्राइवेट मकान नष्ट हो गए तथा सभी सरकारी और सामुदायिक इमारतें पूर्णत: या आंशिक रूप से ध्वस्त हो गई थीं। नारियल के अधिकांश वृक्ष उखड़ गए थे. या क्षतिग्रस्त हो गए थे । इसके अलावा 13 पाल नावों (ओडम), 134 छोटे जलयानों (जिसमें से 4 लापता हो गए थे) तथा 3 यंत्रीकृत नौकाओं समेत अन्य किस्म का भारी नुक्सान हुआ था। समुद्री तूफान में 60 गायें, 1200 बकरियां तथा 5000 कुक्कुट भी मौत के शिकार हुए थे । कुल 3 करोड़ रु० से भी अधिक का नुक्सान होने का अनुमान था।

(ख) तथा (ग) लक्षद्वीप प्रशासन ने निम्नलिखित हानियों की सूचना दी है:—

(1) नारियल के फलने फूलने वाले वृक्ष .	62,000 × 350 रु०	2,17,00,000
(2) बड़े वृक्ष	18,000 × 250 रु०	45,00,000
(3) पौद .	12,000 × 50 रु०	6,00,000
		2,68,00,000

प्रति वृक्ष की दर वृक्ष की आयु व उत्पादन क्षमता के आधार पर निर्धारित की गई है।

(घ) अभी तक निम्नलिखित वित्तीय सहायता मंजूर की गई है:—

	लाख रु०
1. शिविरों का निर्माण, सड़कों, कुंओं आदि की सफाई	1.00
2. मकानों के लिए राजसहायता .	2.50
3. मकानों की मरम्मत तथा निर्माण के लिए ऋण .	1.00
4. सरकारी इमारत तथा बिजली की लाइनों का पुनरुद्धार . .	5.00
5. 2 लाइटरों की खरीद	0.50
	10.00

इसके अतिरिक्त निःशुल्क राहत के तौर पर वितरण करने के लिए अनुदान के रूप में 130 मीटरी टन चावल तथा इतना ही गेहूं और 0.95 लाख रु० के मूल्य की दवाइयां सप्लाई की गई हैं। प्रधान मंत्री की राहत निधि से भी 50,000 रु० की रकम मंजूर की गई है।

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है :—

1. नारियल के पौधों तथा उर्वरकों की मुफ्त सप्लाई।

2. मस्जिदों की मरम्मत करने के लिए अनुदान।

3. सहकारी समिति को सहायता।

CENTRAL AID FOR POULTRY FARMING AND PIGGERY TO U.P.

1692. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether with a view to help the farmers, Government of Uttar Pradesh have made a demand for central economic assistance for Poultry Farming and Piggery in the State; and

(b) if so, the amount demanded so far and how this scheme is being implemented ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Yes, Sir.

(b) During the Fifth Five Year Plan including the year 1978-79. the State Government of U.P. demanded financial assistance to the tune of Rs. 254.779 lakhs for poultry and Rs. 46.740 lakhs for Piggery Production Programme to be implemented in the selected districts of the State.

These projects are being implemented with 100% central assistance under the Special Animal Husbandry Programmes formulated to assist Small/Marginal Farmers and Agricultural Labourers in the States and Union Territories. Actual implementation in the State is through the State Director of Animal Husbandry.

हावड़ा में सेंट्रल स्कूल

1693. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संतरागाची. सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्टाफ क्वार्टर हावड़ा में एक सेंट्रल स्कूल खोले जाने की मांग की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने स्थानीय प्राधिकारियों को केन्द्रीय विद्यालय खोलने की पूर्व-अपेक्षाएं अर्थात् भूमि की व्यवस्था, भवन और केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग द्वारा प्रवर्तन इत्यादि सूचित कर दी हैं। विस्तृत प्रस्ताव प्रवर्तक प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं हुआ है ।

कर्नाटक में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

1694. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल के निर्माण में कर्नाटक राज्य की सहायता कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राज्य को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्य हुआ है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमति रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मंजूर किए गए होस्टल	मंजूर किया गया अनुदान	दिया गया अनुदान	कार्य
		(रुपए लाख की राशियों में)	(रुपये लाख की राशियों में)	
1974-75	2	2.48	1.74	एक होस्टल पूरा किया
1975-76	5	16.47	15.30	सभी का निर्माण हो रहा है, जिनमें चार का निर्माण पूरा हो चुका है।
1976-77	4	30.07	14.36	होस्टलों का निर्माण हो रहा है।

INCLUSION OF 'COOPERATION' AS A SUBJECT IN SCHOOLS/COLLEGE SYLLABUS

†1695. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether a request has been made to include cooperation as a subject in the school and college syllabus; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) and (b) The NCERT Syllabus which has been accepted by the Central Board of Secondary Education and the Kendriya Vidyalaya Sangathan includes cooperation as a topic at all stages of schooling. At the elementary level 'Cooperative Society' as a topic has been included in the syllabus with the objective of helping the students to understand as to how the Cooperative Society helps the Community. At the middle stage of schooling cooperatives, their types and function have been included in the unit entitled 'Development of the Community'. Similarly, at the secondary level cooperation finds an important place in the measures and methods for improving the Socio-economic challenges before our Community.

At the University stage the topic 'Cooperation' and 'Trade Unions' is taught in the syllabus of Economics/Commerce in almost all universities

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विरुद्ध प्रचार

1696. श्री आर० एल० कुरील : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 में सभा के वर्षाकालीन सत्र के दौरान इस आशय का वक्तव्य दिया गया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान तथा कर्मचारियों संबंधी

नीतियों के विरुद्ध गन्दा प्रचार करने वाले कुछ वैज्ञानिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ;

(ख) क्या ऐसे वैज्ञानिकों का पता लगा लिया गया है ;

(ग) इस तरह की गतिविधियों में लगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक की संख्या कितनी है; और

(घ) उनके विरुद्ध किस प्रकार की तथा निश्चित रूप से कितनी अवधि तक अनुशासनात्मक कार्यवाही का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) लोक सभा में दिनांक 1-8-1977 को एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कुछ असंतुष्ट विज्ञानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और उसके अधिकारियों के विरुद्ध झूठा प्रचार कर रहे हैं और सरकार ऐसे विज्ञानियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सम्भावना पर विचार कर रही है।

(ख), (ग) तथा (घ) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन सभी निदेशकों को सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है और उनसे यह अनुरोध किया गया है कि उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु वे ऐसे कर्मचारियों के मामलों की सूचना भेज दें। अब तक एक संस्थान ने ऐसे एक मामले के बारे में सूचित किया है जिसकी जांच की जा रही है।

REPAIRS TO JANATA QUARTERS IN JHILMIL COLONY AND VIVEK VIHAR, DELHI

1697. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to USG No. 1058 on the 21st November, 1977 and State :

(a) whether information in regard to the repairs of Janata Quarters in Jhilmil Colony, Vivek Vihar has since been collected; and

(b) if so, the details thereof and the reasons for delay ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) & (b) Unstarred Question No. 1058 related to the C.S.P. quarters and slum tenements and the information has since been collected and the Assurance is being fulfilled separately.

STATUS OF DEEMED UNIVERSITY TO GANDHI VIDYAPEETH

†1698. SHRI CHHITUBHAI GAMIT : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether any demand has been made to recognise Gandhi Vidyapeeth at Vadchi in District Surat as deemed University and the details thereof;

(b) the number of voluntary Universities like Gandhi Vidyapeeth in the country, the locations thereof and the number of students studying there; and

(c) the time by which Government would accord them the status of deemed Universities and the steps being taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) Yes, Sir. The proposal made by the Vidyapith was considered by the University Grants Commission in 1972. After considering the scope and level of teaching/research work of the Vidyapith, the Commission was of the view that it could not be declared as an institution deemed to be a University.

(b) and (c) Universities are established under an act of Parliament or that of a State Legislature. There are, however, a few voluntary organisations which are offering a variety of educational programmes including programmes of higher education. Complete information about their student strength, locations etc. is not available. There is no proposal under consideration to grant the status of institutions deemed to be Universities to all such institutions.

ग्यारहवीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों का उपलब्ध न होना

1699. **श्री दुर्गा चन्द्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित 10+2+3 शिक्षा पद्धति के कुछ विषयों की पाठ्य पुस्तकें दिसम्बर, 1977 में भी उपलब्ध नहीं थीं ;

(ख) यदि हां, तो नई शिक्षा पद्धति की ग्यारहवीं कक्षा के लिए जो पाठ्य पुस्तकें नवम्बर, दिसम्बर, 1977 और जनवरी, 1978 में छात्रों को उपलब्ध की गई उनके नाम क्या हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन पुस्तकों के प्रशासन में विलंब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) जिन छात्रों को पुस्तकें जनवरी, 1978 में उपलब्ध हुई हैं उन्हें क्या रियायत देने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

दूसरे समेस्टर की कुछ पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर कक्षा XI की सभी पाठ्य-पुस्तकें दिसम्बर, 1977 के अंत तक उपलब्ध हो गई थीं।

(ख) नवम्बर, दिसम्बर, 1977 और जनवरी, 1978 में उपलब्ध कराई गई कक्षा XI की पाठ्यपुस्तकों की एक सूची अनुबंध में दी गई है।

(ग) दूसरे सेमेस्टर की जिन पाठ्यपुस्तकों के लिए दिसम्बर, 1977 से अधिक विलंब हुआ था, उनमें मानचित्र थे जिनके लिए भारतीय सर्वेक्षण का अनुमोदन और प्रमाणीकरण प्राप्त किया जाना था।

(घ) विद्यार्थियों को कोई कठिनाई न हो, इसके लिए यह निर्णय किया गया है कि जो पुस्तकें देर से उपलब्ध की गई थीं, उनके कुछ अंश परीक्षा में से निकाल दिए जाएं।

अनुबंध

1. सिक्स वन ऐक्ट प्लेज (इलेक्टिव इंगलिश)
2. निबन्ध भारतीय—हिन्दी की एक पाठ्यपुस्तक (कोरे)
3. पालिटिक्ल सिस्टम
4. राजनीतिक व्यवस्था
5. भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास
6. इवोल्यूशन आफ इंडियन इकोनोमी
7. रंगिनी—संस्कृति की पाठ्य पुस्तक (हिन्दी अनुवाद)
8. इंगलिश रीडर II (कोर) .

फरक्का फीडर नहर के आस-पास के क्षेत्र से जमा हुए पानी को निकालना

1700. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री फरक्का फीडर नहर के आस-पास के क्षेत्र से जमा हुए पानी को निकालने के बारे में 14 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस बीच क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : फरक्का बराज के प्राधिकारियों ने इस बीच पगला और बंसलोई नदी बेसिनों के निचले क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने की एक स्कीम तैयार की है जिस पर 4.12 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। अब इस स्कीम को स्वीकृति देने के लिए प्रोसेस किया जा रहा है।

कृषि विस्तार कार्यक्रमों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता

1701. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने बिहार राज्य में कृषि विस्तार कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ी सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सहायता केंद्रीय सरकार की एजेंसियों के माध्यम से दी जाएगी, और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यह कार्यक्रम किन क्षेत्रों में चलाया जाएगा तथा इसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तथा आसाम राज्यों के क्षेत्रों के लिए भी ऐसी सहायता की मांग की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत सरकार को बिहार में कृषि विस्तार और अनुसंधान परियोजना के लिए पांच वर्ष की अवधि के दौरान 80 लाख डालर के बराबर की राशि देनी स्वीकार किया है।

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग पांच वर्ष की अवधि के दौरान बिहार में कृषि विस्तार सेवा और उपयुक्त अनुसंधान की सुविधाओं को मजबूत करने का विचार है, जिसका अंतिम उद्देश्य कृषि उत्पादन में शीर्ष और स्थायी सुधार करना है। इस परियोजना में निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल हैं:—

(1) अतिरिक्त तकनीकी और विशेषज्ञ कर्मचारियों, आवास, उपकरणों, वाहनों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करके कृषि विस्तार सेवा का पुनर्गठन करना और उसे मजबूत बनाना।

(2) अतिरिक्त कर्मचारियों, वाहनों, फार्म के साधारण उपकरणों और भवनों की व्यवस्था करके उपयुक्त अनुसंधान की सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा मजबूत बनाना, और

(3) परियोजना की प्रगति की निगरानी करना और कर्मचारियों उपकरणों, वाहनों तथा धनराशि की व्यवस्था करके इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना।

(ग) यह सहायता वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से दी जाएगी जो कि विश्व बैंक की पूरी सहायता के लिए एक केन्द्रक एजेंसी है। इस कार्यक्रम को बिहार के सभी 31 प्रशासनिक जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा।

(घ) जी हां। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम राज्यों में इसी प्रकार की परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित ऋणों की स्वीकृति दी है:—

पश्चिम बंगाल	120 लाख डालर
उड़ीसा	200 लाख डालर
असम	80 लाख डालर

PRODUCTION OF FOODGRAINS IN GUJARAT

1702. SHRI AMARSINH V. RATHAWA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Central Government are aware that production of foodgrains has declined in those areas of Gujarat which are dependant on rain water for irrigation purposes, particularly in Adivasi areas;

(b) if so, whether the Central Government have made arrangements or given instructions to Gujarat State to supply foodgrains in adequate quantity to maize and jowar eating Adivasi areas; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) The Government of Gujarat had only intimated that heavy and untimely rains have adversely affected the crop of coarse grains in the State.

(b) and (c) The internal distribution of foodgrains is the responsibility of the State Government. The demands of the Government of Gujarat for wheat and rice are met in full. The Gujarat Government has also been informed that the Central Government is in a position to allot whatever additional quantities of wheat are required by the State Government for distribution in the State. The stocks of imported milo in the Central Pool have been almost exhausted. The internal procurement of the other coarse grains is made by the F.C.I. only as a price support measure and there has been practically no procurement by the F.C.I. so far. Consequently, the requirements of milo or other coarse grains of the Gujarat Government could not be met. The Gujarat Government, however, has been informed that additional allotment of wheat could be made to them, in lieu of milo or other coarse grains, if the State Government so desire. The possibility of importing some quantities of milo to meet the requirements of the State Government is being examined.

तकनीकी विषयों में पत्राचार पाठ्यक्रम

1703. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन तकनीकी विषयों में पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : दिल्ली प्रशासन द्वारा ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं और प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंत्रालय द्वारा इसकी जांच की जाएगी।

सस्ते मूल्यों पर ढोर–चारा और मुर्गीदाना

1704. श्री माधवराव सिंधिया : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समस्त देश में ढोर-चारा और मुर्गीदाना सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को इस बारे में किसी राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : किसी भी राज्य सरकार ने कोई विशेष योजना नहीं बताई है। आवश्यक जिन्स अधिनियम के अन्तर्गत चारे के तत्वों से संबंधित मूल्य तथा वितरण नियंत्रण के बारे में राज्य सरकारों के प्रस्ताव प्राप्त होते ही केन्द्रीय सरकार उनकी जांच करके औचित्य व आवश्यकता अनुसार स्वीकृति प्रदान कर देती है।

CONSTRUCTION OF SWIMMING POOL IN KARNAL

†1705. SHRI NATVARLAL B. PARMAR : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Central Government have sanctioned a grant for the construction of a large swimming pool in Karnal; and

(b) if so, the amount thereof and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) Rupees one lakh has been sanctioned in accordance with the approved pattern of financial assistance under the Central Scheme of "Grants to State Sports Councils."

AGRICULTURE PRODUCTION AND EMPLOYMENT OPPORTUNITY

1706. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether downfall in agriculture has been the main reason for the slow pace of present economic progress;

(b) whether the rate of development in agriculture is less as compared to the rate of increase in population;

(c) whether constant progress in agricultural production would lead to better employment opportunities, social justice and eradication of poverty; and

(d) if so, the time by which a national plan would be formulated to check the continuous decline in agricultural production and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) and (b). Agriculture contributes nearly 45 to 50 per cent of the national income of the country and therefore the rate of growth in agriculture has a significant influence on the rate of growth of the economy as a whole. During the period 1960-61 to 1975-76, the foodgrain production and agricultural production increased annually at the rate of 2.32 per cent and 2.18 per cent (compound) respectively. The rate of growth of population during the same period was estimated at 2.19 per cent.

(c) and (d). A sustained growth of agriculture, coupled with rural development programmes for the benefit of the weaker sections, creation of rural infrastructure, development of rural and small scale industries and block development plans would help in increasing production and employment in rural areas and achieving better income distribution and social justice. The draft National Plan which seeks to achieve these objectives is expected to be ready after the meeting of National Development Council scheduled to be held in the third week of March, 1978.

बंगलादेश से आये शरणार्थियों को चितरंजन पार्क नई दिल्ली में प्लाटों का आबंटन

1707. **श्री पी० के० देव :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री बंगलादेश से आये शरणार्थियों को चितरंजन पार्क, नई दिली में प्लाट आबंटित करने के बारे में 14 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को प्लाटों के आबंटन के लिये आवेदन पत्रों की जांच पूरी हो गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या-क्या कारण हैं ?

(ख) यदि जांच पूरी हो चुकी है तो योग्य आवेदक कितने हैं और आबंटन के लिये कितने प्लाट उपलब्ध हैं ; और

(ग) क्या प्लाट आबंटित करने के लिये कोई तिथि निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो सरकार के सामने, विशेषतया जब कि यह जांच पूरी हो चुकी है, क्या कठिनाइयां आ रही रही हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) आवेदन पत्रों की जांच अब पूरी हो चुकी है ।

(ख) आबंटन के लिए 82 प्लाट (233 वर्ग गज श्रेणी के 49 प्लाट और 160 वर्ग गज श्रेणी के 33 प्लाट) उपलब्ध हैं। पहली श्रेणी के लिए 225 आवेदक और दूसरी श्रेणी के लिए 566 आवेदक योग्य पाए गए हैं।

(ग) अप्रैल, 1978 के प्रथम पखवाड़े में लाटरी निकालने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में उचित दर दुकानों से बासमती चावल बेचा जाना

1708. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है; कि दिल्ली और नई दिल्ली में उचित दर दुकानों पर बासमती चावल नहीं बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बासमती चावल के आवश्यक वस्तु में न होने के कारण यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि चावल की इस किस्म को दिल्ली और नई दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए उपलब्ध किया जाए।

जनकपुरी दिल्ली में विकास

1709. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनकपुरी में 30 वर्ग गज के सी० एस० पी० फ्लैटों के साथ वाले पार्कों का दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से विकास नहीं किया गया है और वहां पर गंदगी डाली जाती है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण उन्हें कब तक उचित रूप से विकसित करेगा ताकि कालोनी सुन्दर प्रतीत हो?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :

(क) तथा (ख) : वर्षा ऋतु के दौरान पार्कों को उचित ढंग से समतल तथा विकसित किया गया था। जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण इनमें और सुधार करेगा कुछ लोगों द्वारा पार्कों के गलत इस्तेमाल करने की सूचना प्राप्त हुई है जोकि केवल क्षेत्र के निवासियों की सतर्कता द्वारा ही रोका जा सकता है।

दिल्ली के नागरिकों के लिए राशन की मात्रा में वृद्धि

1710. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के नागरिकों के लिये राशन की मात्रा में कुछ वृद्धि की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं और चीनी सहित सभी वस्तुओं की मात्रा में कितनी वृद्धि की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। राशन कार्डधारियों का अनाज का कोटा 1-2-1978 से 8 वर्ष और इससे ऊपर के आयु के लिए प्रति व्यक्ति प्रति मास 12 किलो से बढ़ाकर 20 किलो और 8 वर्ष से कम आयु के बच्चों का 6 किलो से बढ़ाकर 10 किलो कर दिया गया है। अतिरिक्त मात्रा अब केवल गेहूं के रूप में ली जा सकती है। कार्डधारी चावल पहले की तरह ले सकता है। ऊपर बताए गए खाद्य वस्तुओं के अनाज कोटे के अलावा, कार्डधारी अपनी जरूरतों के अनुसार होल मील आटा भी ले सकते हैं। वे मैदा और सूजी भी अपनी जरुरत के मुताबिक ले सकते हैं लेकिन इसके लिए उनके अनाज के कोटे में कोई कटौती नहीं की जाएगी। चीनी के कोटे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

MEMORANDUM SUBMITTED BY AKHIL BHARTIYA GUR-KHANDSARI GRAMIN KUTIR UDYOG VIKAS SANSTHAN FOR PROTECTING OF GUR-KHANDSARI INDUSTRY

1711. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that memorandum containing 11 demands has been submitted to the Central Government by "Akhil Bhartiya Gur-Khandsari Gramin Kutir Udyog Vikas Sansthan" for protecting Gur-Khandsari village cottage industry, which is an industry of national importance and if so, when and the details of these 11 demands;

(b) the action taken so far or proposed to be taken by Government thereon so far;

(c) the total approximate number of gur-khandsari units in the country and the approximate number of workers working in these units and annual production of gur-khandsari; in lakhs of tonnes; and

(d) whether Government have chalked out any programme to strengthen this industry and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) Yes, Sir. A list of the 11 demands contained in the memorandum is attached (Appendix I).

(b) & (d) Most of these demands relate to the State Government who licence, control and monitor khandsari units and to some extent, gur. The Central Government have taken the following action :—

(i) The rate of excise duty on khandsari sugar has been reduced from 17-1/2% to 10% ad-valorem with effect from 4-2-78. The compounded rate of excise duty on khandsari sugar has also been reduced by 50% in the case of sulphitation units and by 75% in the case of non-sulphitation units w.e.f. that date.

(ii) Margins for bank advances against gur and khandsari have been reduced.

(iii) stock holding limits for khandsari by traders have been enhanced from 1000 quintals to 5000 quintals, and

(iv) export of gur has been permitted without any quantitative limits.

(c) The number of khandsari units which worked during the 1976-77 sugar season was over four thousand. The annual production of gur and khandsari is about 8-9 million tonnes. Information regarding number of workers employed by the khandsari industry is awaited from the State Governments.

LIST OF MEMORANDUM

1. The Central Government may provide full protection to this rural Cottage Industry.
2. The burden may be abolished.
3. Bank loans facilities may be provided for the modernisation of this industry.
4. Unjustified penalties and interest may be removed and assistance given for starting all the closed units of this industry.
5. This industry may be saved from the clutches of inspectors by introducing a single licensing system.
6. Sealing and unsealing of centrifugal machines should be according to 1972-73.
7. Power faciliites ensured to the Cottage Industry.
8. Purchase tax on sugarcane and the commission of the sugarcane societies may be abolished.
9. Vacuum Pan boiling may be permitted for increased recovery and production of sugar.
10. Relaxation may be given for the installation of crushers of the size of 16×18 and 16×16 as is in case of the sizes of 8×10, 11×14 and 13×18.
11. Mandi tax on gur and khandsari may be abolished as is in the case of sugar.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणाएं

1712. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भूमि के बारे में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत वर्ष 1976 से वर्षवार कितनी घोषणाएं की गयीं ;

(ख) उक्त घोषणाओं से भूमि अधिग्रहण क्लेक्टर द्वारा कितने मामलों में पंचाट दिये गये ;

(ग) कितने मामलों में पंचाट अभी दिये जाने हैं ;

(घ) कितने मामलों में एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ तथा नौ वर्षों में पृथक-पृथक पंचाट नहीं दिये गये ; और

(ङ) धारा 6 के अन्तर्गत प्रत्येक घोषणा के बाद शीघ्रातिशीघ्र और अधिक से अधिक एक विशिष्ट अवधि तक पंचाट देना सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	अधिसूचनाओं की संख्या
(1)	(2)
1967	143
1968	225
1969	286
1970	40
1971	66
1972	67
1973	22
1974	32
1975	15
1976	45
1977	27
योग	968

(ख) 436 मामले ।

(ग) 532 मामले ।

(घ) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

वर्षों की संख्या	मामलों की संख्या
(1)	(2)
(i) एक साल के अन्दर	27
(ii) दो साल के अन्दर	36
(iii) तीन साल के अन्दर	10
(iv) चार साल के अन्दर	18
(v) पांच साल के अन्दर	4
(vi) छः साल के अन्दर	23
(vii) सात साल के अन्दर	26
(viii) आठ साल के अन्दर	17
(ix) नौ साल के अन्दर	206

(ङ) शहर के नियोजित विकास के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर भूमि का अर्जन किया जाता है । दिल्ली प्रशासन विभिन्न सम्बन्धित विभागों और दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपने-अपने विकास नक्शों को अन्तिम रूप देने और अपनी आवश्यकता बताने के लिये नियमित रूप से बार-बार अनुरोध करता है । ताकि ऐवार्ड देना यथा सम्भव शीघ्र सुनिश्चित हो सके । यह एक सतत प्रक्रिया है। विकास की योजना में विभिन्न प्रक्रियाएं और निर्णय होते हैं । इस बात को देखते हुए धारा 6 के अन्तर्गत घोषणा के बाद ऐवार्ड देने के लिये निश्चित अवधि बताना व्यवहार्य नहीं है ।

LINKING OF VILLAGES IN BIHAR WITH PUCCA ROADS

1713. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(e) whether Government of Bihar has submitted a link road proposal to the Centre under which the villages with a population of more than 1,500 are proposed to be linked with pucca roads; and

(b) if so, the central funds proposed to be provided to the State for the purpose and the kilometerage of roads expected to be constructed with these funds ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) A sum of Rs. 165 lakhs was allocated and the amount has already been released to the State Government of Bihar as Central assistance under this scheme for 1977-78. The proposals submitted by the State Government include construction of 88 link roads in 31 Districts involving length of 322.25 km. at a total cost of Rs. 390.30 lakhs.

ALLOCATION OF CENTRAL GRANTS TO STATES FOR IRRIGATION AND FLOOD CONTROL WORKS

†1714. SHRI RAM DHARI SHASTRI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the Central Grants allocated to different States State-wise, during 1977-78 for irrigation and flood control works; and

(b) the extent to which these allocations had been utilised by 31st January, 1978 and in case, the funds have not been utilised, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) No Central grant is provided for major/medium irrigation and flood control works. Allocations, however, for special medium irrigation projects under Drought Prone Area Programme for 1977-78 were as per statement attached.

(b) The allocations made are expected to be fully utilised by the end of 1977-78 except in case of Haryana where schemes have not been technically chased; Jammu & Kashmir where works started only recently due to some changes in the project, and in case of Uttar Pradesh where some technical problems have arisen in case of one scheme.

STATEMENT

Statement showing Central Allocation made to the State Government for special medium Irrigation Schemes during 1977-78 under Drought-prone Area programme and funds released upto 31-1-1978.

(Rs. in lakhs)

Name of State	1977-78	
	Allocation under special Medium Irrigation Schemes DPAP	Funds released to the States up to 31-1-78
1. Andhra Pradesh	130·00	175·00
2. Bihar	40·00	65·00
3. Gujarat	110·00	85·00
4. Haryana	100·00	..
5. Jammu & Kashmir	40·00	..
6. Madhya Pradesh	100·00	100·00
7l Maharashtra	80.00	71·00
8. Karanataka	100·00	100·00
9. Orissa	40·00	50·00
10. Rajasthan	140·00	100·00
11. Tamil Nadu	60·00	50·00
12. Uttar Pradesh	100·00	50·00
13. West Bengal	60·00	60.00
TOTAL	1100·00	906·00

बिहार में सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिये अनुदानों का उपयोग

1715. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार राज्य को कितनी राशि का अनुदान मंजूर किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसी राज्य ने विभिन्न सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिये मंजूर किये गये अनुदानों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है और इस प्रयोजन के लिये नियत किये गये नये दो तिहाई अनुदान व्यपगत हो गये हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए बिहार को 40 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है ।

(ख) और (ग) : सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए किए गए आबंटन का 1977-78 के अन्त तक पूर्ण रूप से व्यय होने की सम्भावना है। 1977-78 के दौरान बिहार द्वारा बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए परिकल्पित स्वीकृत परिव्यय 71.61 करोड़ रुपये था। राज्य सरकार से ऐसा कोई संकेत नहीं है कि व्यय में कोई कमी आने की सम्भावना है ।

देश में उचित दर दुकानों की संख्या

1716. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितनी उचित दर दुकानें हैं;

(ख) इन दुकानों में कौन-कौन सी वस्तुएं बेची जाती हैं ; और

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रही उचित दर की दुकानों/राशन की दुकानों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में उचित दर की दुकानों/राशन की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल और लेवी चीनी वितरित की जाती है और कुछ राज्यों में उचित दर की दुकानों के माध्यम से रेपसीड आयल और बनस्पति का भी वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंग के रूप में विशेष तौर से लाइसेंस शुदा दुकानों/एजेंसियों के माध्यम से मिट्टी के तेल, कोयला और नियंत्रित कपड़े का वितरण भी किया जा रहा है ।

(ग) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों, स्लम एरिया आदि में उचित दर की और अधिक दुकानें खोलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करें और उसे सशक्त बनाएं ताकि जनसंख्या के कमजोर वर्ग के लोगों को उचित दरों पर खाद्यान्न सुलभ किया जा सके ।

विवरण

प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में कार्य कर रही उचित दर दुकानों/राशन की दुकानों की संख्या बताने वाला विवरण ।

राज्य	उचित दर की दुकानों की संख्या	को
(1)	(2)	(3)
आन्ध्र प्रदेश	20,839	31-1-78
असम	14,165	31-12-77
बिहार	25,983	31-1-78
गुजरात	9,240	30-11-77
हरियाणा	4,739	30-11-77
हिमाचल प्रदेश	2,689	31-10-77
जम्मू और काश्मीर	1,167	31-8-77
कर्नाटक	15,004	31-12-77
केरल	11,867	30-9-77
मध्य प्रदेश	15,795	31-12-77
महाराष्ट्र	28,145	30-9-77
मणिपुर	483	31-10-77
मेघालय	1,442	30-11-77
नागालैण्ड	48	31-7-77
उड़ीसा	10,684	31-12-77
पंजाब	11,798	31-1-78
राजस्थान	8,978	31-11-77
सिक्किम	12	31-12-77
तमिलनाडु	8,576	31-12-77
त्रिपुरा	654	31-12-17
उत्तर प्रदेश	24,983	31-12-77
पश्चिम बंगाल	17,735	31-12-77
जोड़ (राज्यों का)	2,35,026	

केन्द्र शासित प्रदेश	उचित दर की दुकानों की संख्या	को
(1)	(2)	(3)
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	178	30-11-77
अरुणाचल प्रदेश	110	31-12-77
चण्डीगढ़	143	31-1-78
दिल्ली	2,258	31-1-78
दादरा और नागर हवेली	26	31-1-78
गोआ, दमण और दीव	393	31-12-77
लक्षद्वीप	21	31-12-77
मिजोरम	238	31-12-77
पाण्डिचेरी	176	31-1-78
समस्त केन्द्र शासित प्रदेश	3,543	
जोड़ (अखिल भारत)	2,38,569	

BALWANT RAI MEHTA COMMITTEE ON DECENTRALIZATION OF PANCHAYATI RAJ SYSTEM

1717. SHRI RAMANAND TIWARY
SHRI RAJKSHAR SINGH } : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the aim of the Panchayati Raj system in the various States of the country as recommended by Shri Balwant Rai Mehta Committee, is decentralisation of power village and district level;

(b) whether Government have constituted another high powered Committee recently for the same purpose;

(c) if so, the defects and draw-backs found during the working of the existing Panchayati Raj system which has necessitated constitution of a new Committee; and

(d) the terms of reference of the newly constituted Committee which were not included in the Mehta Committee Report or in the existing Panchayati Raj system ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (SHRI BHANU PARTAP SINGH) : (a) Yes. Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The existing Panchayati Raj system became ineffective and moribund owing to determent of elections, indefinately, wholesale supersession of Panchayati Raj bodies in various States and lack of financial resources. All these necessitated constitution of a new Committee.

(d) A Committee on Panchayati Raj institutions has been appointed. A copy of the Resolution No. 14/1/2/77-CF, dated the 12th December, 1977 containing the reasons for setting up of the Committee, its composition and terms of reference is laid on the table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT 1709/78]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के सिब्बन्दी प्रभार

1718. **श्री भगत राम : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा केवल सिब्बन्दी प्रभारों पर ही प्रति मास 1.5 करोड़ रुपये का व्यय किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि गन्दी बस्ती विभाग को छोड़ कर उसके सभी विंगों के स्थापना का खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चे भी शामिल हैं, वर्ष 1976-77 के दौरान औसतन 41 लाख रुपये प्रति मास था। इसमें कार्य प्रभारित तथा मस्टर रोल के कर्मचारियों का खर्चा शामिल नहीं है जोकि निर्माण कार्य से लिया जाता है। झुग्गी झौंपड़ी हटाओं/गन्दी बस्ती विभाग की स्थापना पर मासिक 5,13,800 रुपये खर्च होता है जिसमें नियमित तथा मस्टर रोल के कर्मचारियों का खर्चा शामिल नहीं है जो पुनर्वास/झुग्गी झौंपड़ी कालोनियों में कार्यरत हैं।

(ख) सरकार का इस संबंध में अपना कोई विचार नहीं है।

तूफान से प्रभावित हुए राज्यों के लिये जमा की गई राशि

1719. **श्री अहमद एम० पटेल : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में राज्यवार, तूफान पीड़ित लोगों की सहायता के लिये कुल कितनी राशि एकत्र की गई है ;

(ख) तूफान से प्रभावित हुए क्षेत्रों के लिए सहायता के रूप में विदेशों से कितनी राशि एकत्र की गई है ;

(ग) तूफान से प्रभावित हुए प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(घ) इन व्यतिक्यों के पुनर्वास के बारें में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये तथा समुद्री तूफान से हुई हानि की पूर्ति करने के लिये भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों की अग्रिम योजना सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निःशुल्क खाद्यान्नों की सप्लाई भी की है, प्रत्येक राज्य को दी गयी सहायता नीचे दी गयी है ;

राज्य	दी गयी अग्रिम योजना सहायता	नि: शुल्क सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की मात्रा
(1)	(2)	(3)
	(करोड़ रुपए)	(मी० टन)
आन्ध्र प्रदेश .	56.52	45,000 मी० टन गेहूं
तमिलनाडु .	29.31	45,000 मी० टन चावल
		10,000 मी० टन गेहूं
		10,000 मी० टन चावल
केरल .	3.64	1,250 मी० टन गेहूं
		1,250 मी० टन चावल

संघ शासित प्रदेशों अर्थात् पाण्डिचेरी और लक्षद्वीप को भी आर्थिक सहायता और खाद्यान्नों की सहायता प्रदान की गयी।

राज्य और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। उपरोक्त सहायता के अतिरिक्त उन्होंने भी अपने निजी स्रोतों से प्राप्त धनराशि का भी उपयोग किया है। पुनर्वास के प्रयत्नों में स्वाभाविक रूप से समय लग जाएगा।

तिलहनों की मांग और उत्पादन के बीच अन्तर

1720. श्री एस० आर० दामाणी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 से लेकर प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्षों में खाद्य तिलहनों की मांग और वास्तविक उत्पादन के बीच क्या अन्तर रहा ;

(ख) उत्पादन किन कारणों से मांग के अनरूप नहीं हो सका ; और

(ग) भविष्य में इस अन्तर को दूर करने हेतु इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : देश में खाद्य तिलहनों की खपत का कोई बृहत और वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अतः खाद्य तिलहनों की मांग और वास्तविक

उत्पादन के बीच के अन्तर को ठीक-ठीक बताना कठिन है। खाद्य तिलहनों का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से खाने, बीज के रूप में और तेल बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद इन तेलों का उपयोग वनस्पति का निर्माण करने तथा प्रत्यक्ष रूप से खाने के लिए भी किया जाता है। विभिन्न तिलहनों /तिलों की खपत का इंग मूल्यों के परिवर्तन, आय के स्तरों, जन संख्या की वृद्धि, उपभोक्ता की अभिरुचि आदि कई बातों पर निर्भर करता है। मोटे रूप से यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1976-77 के दौरान तेल के रूप में खाद्य तिलहनों की सप्लाई तथा मांग के बीच का अन्तर 7 लाख मीटरी टन था।

(ख) देश में तिलहनों की फसलों का 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वर्षा से सिंचित क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त इन फसलों के अंतर्गत काफी बड़ा क्षेत्र सीमांत भूमि के रूप में है, जिसकी उर्वरा शक्ति कम है। इसके फलस्वरूप मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां खेती की उन्नत तकनीकों से प्राप्त होने वाले लाभों को कम कर देती हैं और काफी सीमा तक उत्पादन के रुखों पर प्रभाव डालती हैं। जिन वर्षों में मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं, उनमें उत्पादन का उच्च स्तर रहा और जिन वर्षों में सूखे की परिस्थितियां लम्बे समय तक रही, उनमें उपज के स्तरों में काफी गिरावट आई।

(ग) मांग तथा सप्लाई के बीच के अन्तर को कम करने हेतु खाद्य तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. उन्नत तकनोलोजी का तीव्र प्रसार करके सिंचित तथा असिंचित दोनों क्षेत्रों में प्रति हैक्टार उत्पादकता बढ़ाना।
2. नई सिंचाई परियोजनाओं के कमान के अंतर्गत संभाव्य क्षमता का उपयोग करके सिंचित फसलों के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाना।
3. शुद्ध बीजों की सप्लाई बढ़ा करके बीज उत्पादन कार्यक्रम को मजबूत बनाना।
4. बड़े क्षेत्रों में, जहां कहीं सम्भव हो, विशेषकर हवाई छिड़काव द्वारा वनस्पति रक्षण उपायों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना।
5. साहाय्य मूल्यों का निर्धारण करना और उन मूल्यों पर उत्पादन की खरीद की व्यवस्था करना।
6. सूरजमुखी और सोयाबीन जैसी गैर परम्परागत तिलहनों की फसलों के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाना।
7. बिनौले तथा चावल की भूसी जैसे तेल के अन्य स्रोतों का उपयोग करना।

ASSISTANCE OF FOREIGN CONSULTANTS FOR CONSTRUCTING FOODGRAINS GODOWNS

1721. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have taken loan from the World Bank to construct godowns for storing 3.575 million tonnes of foodgrains;

(b) whether it is also a fact that without the consent of the Board, Government have taken assistance of foreign consultants for preparing design etc. of these godowns and advice on other matters and thus neglected experts of the country; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) An agreement has been signed by Government with World Bank for assistance for construction of storage capacity to the extent of 3.575 million tonnes.

(b) The employment of internationally recruited Consultants has been permitted by the Board. No consultant has as yet been appointed. Only tenders have been floated for this purpose.

(c) Does not arise.

CRISIS IN KHANDSARI INDUSTRY

1722. DR. LAXMINARAIN PANDEYA
SHRI GANGADHAR APPA BURANDE } : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether khandsari industry is facing adverse conditions at present;

(b) whether due to steep fall in the khandsari and sugar prices more than 50 per cent of Khandsari Units have been closed and many more are facing closure; and

(c) whether a demand for necessary assistance and tax reliefs has been made to Government to face the present crisis and to keep the khandsari industry going and if so, the steps taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) Representations have been received from khandsari industry alleging that on account of a steep fall in the prices, khandsari units were suffering financial losses.

(b) Detailed information is awaited from the State Governments.

(c) The Excise Duty on khandsari has been substantially reduced w.e.f. 4-2-78. The ad-valorem rate has been reduced from 17½% to 10% and the compounded levy has been reduced by 50% in the case of units working with the aid of sulphitation plants and 75% in the case of those working without the aid of such plants.

Another step taken to provide relief to khandsari industry is to raise the stock limit of all khandsari dealers from 1000 to 5000 quintals.

The margin for commercial bank advance against khandsari has been reduced from 60% to 35% for manufacturers and from 75% to 45% for others to enable larger off-take of khandsari.

WORLD BANK AID FOR AGRICULTURAL EXTENSION TRAINING SCHEME

1723. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state the State-wise amount of assistance being provided by World Bank for the agricultural extension training scheme ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : The State-wise amount of assistance so far agreed to be provided by the International Development Association (IDA), an affiliate of the World Bank, for agricultural extension and research projects in India, is as follows :—

State	IDA Credit (Million Dollars)
1. Orissa	20·00
2. Madhya Pradesh	10·00
3. West Bengal	12·00
4. Rajasthan	13·00
5. Assam	8·00
6. Bihar	8·00

राजस्थान नहर का विकास करने का उद्देश्य

1724. श्री विजय कुमार मलहोत्रा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर के विकास का अन्तिम उद्देश्य क्या है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कितने धन और समय की आवश्यकता है; और

(ख) इस परियोजना पर कितनी धनराशि और समय अब तक लग चुका है और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) राजस्थान नहर का उद्देश्य राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में 12.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की सुनिश्चित व्यवस्था करना है ताकि रेगिस्तानी क्षेत्र में कृषि उत्पादन किया जा सके जो अन्य तरीके से संभव नहीं है।

राजस्थान नहर की इंजीनियरी कार्यों की लागत का अनुमान 404 करोड़ रुपये है जिसमें से 197 करोड़ रुपये की राशि मार्च, 1978 तक व्यय की जायेगी और इस तरह से लगभग 207 करोड़ रुपये शेष रहेंगे। यदि धनराशि उपलब्ध रही तो इस परियोजना के 1983–84 तक पूर्ण होने की संभावना है।

राजस्थान नहर पर कार्य दो चरणों में हाथ में लिया गया था । चरण एक पर कार्य 1957-58 में आरम्भ किया गया था और इस चरण के अन्तर्गत अधिकांश कार्य जिसमें राजस्थान फीडर का 204 किलोमीटर भाग, राजस्थान मुख्य नहर का 189 किलोमीटर भाग, लिफ्ट नहर और वितरण-प्रणाली का 150 किलोमीटर भाग शामिल है, पूरा किया जा चुका है । चरण-दो के अन्तर्गत कार्य भी शुरू कर दिया गया है जिसमें मुख्य नहर और वितरण-प्रणाली का 259 किलोमीटर तक निर्माण करना शामिल है।

चरण-एक के अन्तर्गत पूर्ण विकास होने पर 5.94 लाख हेक्टेयर की अन्ततः सृजित की जाने वाली सिंचाई शक्यता की तुलना में 4.43 लाख हेक्टेयर की शक्यता सृजित की जा चुकी है और 2.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वस्तुतः सिंचाई की गई है ।

LEVELLING OF THE LOW LYING AREAS IN SHAHDARA, DELHI

1725. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the dirty water nullah flowing near the underbridge in front of Shyamlal Degree College, Shahdara breaches again and again near the bridge and its water spreads over the vast area behind the Bhuteshwar temple near this bridge;

(b) if so, whether Government propose to level the said low-lying area and to construct a pacca and covered nullah from underbridge to Azad Nagar to provide relief to lakhs of people of the area; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a), (b) and (c) Water accumulates in the vast area behind Bhuteshwar Temple in the rainy season, because the area is low lying. In other seasons, the accumulated water remains confined to the pond area only. The Ganda Nala, though

being maintained temporarily as a kacha earthen nala, does not breach often. However the nala will be drained into Drain No. 1 which is being constructed by the Delhi Administration as part of a major drainage scheme in Shahdara area, as soon as the latter is ready.

चीनी उद्योग में संकट

1726. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संघ ने चीनी उद्योग को 130 करोड़ रुपये की भारी हानि होने के कारण चीनी उद्योग में भारी संकट उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त मत से सहमत है ; और

(ग) यदि हां, तो चीनी उद्योग को उक्त संकट से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार भारतीय चीनी मिल्स एसोसियेशन के अध्यक्ष ने 16-2-78 को एक समाचार सम्मेलन को बताया था कि चीनी उद्योग को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि केन्द्रीय सरकार लेवी मूल्य नहीं बढ़ा रही है, निर्यात के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब कर रही है और मिलों को मुक्त बिक्री से प्रत्याशित मूल्यों में से कम मूल्य मिल रहा है।

(ख) और (ग) सरकार ने निम्नलिखित निर्णयों की घोषणा की है :—

(1) 1-3-1978 से लेवी चीनी के लिए औसत निकासी मूल्य बढ़ाकर 187.50 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है ;

(2) वर्ष 1978 के दौरान 6.5 लाख मीटरी टन चीनी को निर्यात करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय किया गया है ताकि चीनी फैक्ट्रियां अपने स्टाक में कमी कर सकें।

(3) उन चीनी फैक्ट्रियों को, जो 30-4-78 के बाद भी देर तक पिराई संबंधी कार्य जारी रखती हैं, उनको उत्पादन शुल्क में रिबेट देने का निर्णय किया गया है ताकि वे इस वर्ष अतिरिक्त गन्ने के उत्पादन को यथासम्भव अधिक से अधिक खपा सकें । इस योजना के ब्यौरों के बारे में शीघ्र घोषणा की जाएगी ।

(4) फैक्ट्रियों की ऋण सीमा में उपयुक्त रूप से वृद्धि करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि इस वर्ष के अतिरिक्त उत्पादन से पैदा हुई अतिरिक्त ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

आस्ट्रेलिया से उपहार स्वरूप सांड दिये जाना

1727. श्री के० मालन्ना : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलियाई किसानों ने जर्सीज तथा होल्स्टीन फ्रिजियन बछिया और सांड भारत सरकार को उपहार स्वरूप दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को इनके वितरण का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या मापदंड अपनाया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :(क) "फार दोज़ हू हैव लैस" नामक एक आस्ट्रेलियाई गैर-सरकारी संगठन 1966 से राज्य सरकारों तथा संगठनों को जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन नस्लों के पशु दे रहा है। हिमित वीर्य बैंक, हैस्रघाटा, बंगलौर को दिये गये 3 सांडों के अलावा सभी पशु राज्य सरकारों और संगठनों को उपहार रूप में दे दिए गए हैं।

(ख) "फार दोज़ हु हैव लैस," नामक आस्ट्रेलियाई सोसायटी के अध्यक्ष 1972 तक राज्यों और संस्थानों को प्रत्यक्ष रूप से पशु देते रहे हैं। 1975 से आस्ट्रेलियाई सोसायटी द्वारा प्राय: सीधे ही संस्थानों को पशु देने की पेशकश की गई है। राज्य सरकारें आयात के लिए आवेदन पत्रों के संबंध में कृषि विभाग को सिफारिश करती हैं। कृषि मंत्रालय प्रस्ताव की तकनीकी तथा आर्थिक संभाव्यता के बारे में स्वयं संतुष्ट होने पर आयात की अनुमति देता है। परन्तु यह मंत्रालय राज्य सरकारों को इस प्रकार का कोई नियतन नहीं करता।

"फार दोज़ हू हैव" गैर सरकारी संगठन द्वारा राज्य सरकारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया।

विवरण

क्रम सं०	.ाप्त करने वाले राज्य/संगठन	प्राप्त हुए जर्सी/होल्स्टीन पशुओं की संख्या	माह तथा वर्ष
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें और भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान	76	जनवरी, 1966
2.	आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, और हिमाचल प्रदेश, सैनिक फार्म, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर (उ० प्र०), नासिक, पिंजरा पोल महाराष्ट्र	57	जनवरी, 1967

1	2	3	4
3.	आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और जम्मू व कश्मीर	54	जनवरी, 1968
4.	आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू व कश्मीर की राज्य सरकारें	22	जनवरी, 1969
5.	असम तथा महाराष्ट्र की राज्य सरकारें	39	मई, 1970
6.	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें	53	मार्च, 1972
7.	तमिलनाडु सरकार, बावला गौपालक विविध कार्यकारी सहकारी मण्डली दोन बोस्को कृषि केन्द्र, पश्चिम बंगाल	35	जनवरी, 1975
8.	बावला गोपालक विविध कार्यकारी सहकारी मण्डली, गुजरात	20	मई, 1975
9.	कोंकन विकास निगम, महाराष्ट्र	110	नवम्बर, 1976
10.	बावला गोपालक विविध कार्यकारी सहकारी मण्डली, गुजरात	60	नवम्बर, 1976
11.	दोन बोस्को कृषि केन्द्र कृष्णनगर, पश्चिम बंगाल	60	नवम्बर, 1976
12.	होली फेमली हानसोरियम, फातीमा, नगर, तमिलनाडु	30	नवम्बर, 1976
13.	अस्सीसी फार्म तथा प्रशिक्षण केन्द्र, तमिलनाडु	28	नवम्बर, 1976
14.	दी गुड शेफर्ड कृषि मिशन, उत्तर प्रदेश	25	नवम्बर, 1976
15.	अविनाशीलिंगम होम साईन्स कालेज, कोयम्बतूर, (तमिलनाडु)	50	जनवरी, 1978
19.	हिमित वीर्य बैंक, हिस्सरघाटा, बंगलौर (कर्नाटक)	3	जनवरी, 1978
17.	बावला गोपालक विविध कार्यकारी सहकारी मण्डली, गुजरात	60	जनवरी, 1978
18.	कोंकन विकास निगम, महाराष्ट्र	24	जनवरी, 1978

खाद्यान्नों की उपलब्धता

1728. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य जोनों को समाप्त किये जाने के बाद पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्यों पर खाद्यानों की उपलब्धता के बारे में स्थिति का पुनर्विलोकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सरकार खाद्यानों की उपलब्धता और उनके मूल्यों पर बारीकी से निगरानी रखती है और स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। खाद्यानों के संचालन पर लगे प्रतिबन्धों को पहली अक्तूबर, 1977 से पूर्णतया हटा लिया गया था। देश के किसी भी भाग से अनाजों की कमी के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और अनाजों के थोक मूल्यों के सूचकांक में 2.6 प्रतिशत की गिरावट हुई है अर्थात् सितम्बर, 1977 अन्त के 162.7 से गिरकर 11 फरवरी, 1978 को समाप्त सप्ताह के दौरान 158.4 रह गया। सुगम स्टाक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकारों की उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं संबंधी आवश्यकताओं को फिलहाल पूर्णतया पूरा किया जा रहा है।

EXPENDITURE ON RESIDENTIAL HOUSES, SCHOOLS ETC. FOR EMPLOYEES AT RAM GANGA PROJECT, KALAGARH

†1729. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the construction of residential houses and buildings for schools, hospital etc. for the facility of the employees and officers and their families at the commencement of the Ram Ganga Project Kalagarh; and

(b) the utilisation being made of these buildings now ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) It has been intimated by the Government of Uttar Pradesh that an expenditure of Rs. 195.68 lakhs has been incurred on the construction of residential and non-residential buildings for the facility of the employees of the project.

(b) Some of the residential and non-residential buildings are still being used for providing accommodation for officers and staff working on the project, for accommodating offices and for running essential services such as the School, Hospital, State Bank and Treasury etc. It is proposed to utilise the available vacant residential and non-residential accommodation for the Academy being established at Kalagarh to impart training to engineers.

मछली पकड़ने वाले जहाजों के निर्माण के लिये स्वदेशी क्षमता

1730. श्री के० मायातेवर
डा० वसंत कुमार पंडित } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछली पकड़ने वाले जहाजों के निर्माण के लिये स्वदेशी क्षमता कितनी है और विस्तार के लिये समयबद्ध योजना क्या है ;

(ख) निर्माणों में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों का अपना-अपना योगदान कितना कितना है ; और

(ग) देश में मछली पकड़ने के कार्य को गति देने की दृष्टि से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के आयात के बारे में क्या स्थिति है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) भारी उद्योग

विभाग में दिनांक 6-1-1977 को हुई एक बैठक के दौरान विभिन्न शिपयार्डों ने मछली पकड़ने के ट्रालरों के निर्माण की जो क्षमता बताई है वह नीचे दी गई है :—

शिपयार्ड का नाम	मात्रा
(1) मझगांव गोदी लिमिटेड	50
(2) गार्डन रीच वर्कशाप	24
(3) हिन्दुस्तान शिपयार्ड	24
(4) हुगली गोदी	11
(5) चौगुले एण्ड कम्पनी	12
कुल	121

तथापि, यह पता चला है कि इन गोदियों को समुद्र में जाने वाले जलयानों के लिये आरक्षित किया जाता है और संभवत: सभी यार्ड मछली पकड़ने के ट्रालरों के निर्माण के लिये अपनी क्षमता का उपयोग न कर सकें। औद्योगिक विकास मंत्रालय का विचार है कि निम्नलिखित 10 यार्डों (गैर-सरकारी और सरकारी) द्वारा लगभग 70 जलयानों का निर्माण किया जा सकता है।

(1) चौगुले एण्ड कम्पनी
(2) मझगांव गोदी
(3) गार्डनरीच वर्कशाप
(4) हुगली गोदी
(5) हिन्दुस्तान शिपयार्ड
(6) रिपब्लिक इंजीनियरिंग कम्पनी
(7) अल्कोक आशडाउन एण्ड कम्पनी
(8) सिन्दिया वर्कशाप
(9) ब्रुनटुन एण्ड कम्पनी इंजीनियरिंग लि०
(10) गोआ शिपयार्ड

एक सुनियोजित तरीके से प्रत्याशित आवश्यकता की पूर्ति के लिये इस क्षमता को पर्याप्त समझा गया है।

(ग) मार्च, 1979 के अन्त तक मछली पकड़ने के 200 ट्रालरों का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा गया है। इन 48 जलयानों में फरवरी, 1978 के अन्त तक आयात किये गये 18 जलयान भी शामिल हैं जो काम कर रहे हैं। अप्रैल, 1978 के अंत तक 12 और जलयानों के प्राप्त होने की आशा है।

उपरोक्त जलयानों के अतिरिक्त, जून, 1977 में सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के अंतर्गत हाल ही में 79 मछली पकड़ने के जलयान आयात करने के लिये भी मंजूरी जारी की गई है। 30 और जलयानों के लिये भी मंजूरी जारी की जा रही है।

RUP KUND

†1731. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN :Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the outcome of the efforts made so far to unveil the mysteries of Rup Kund at Trishuli hills and the conclusions arrived at by Government; and

(b) the names of parties which were engaged in this task and whether the work is proposed to be proceeded further and if so, the details in this regard ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) The expeditions to Rup Kund Lake have resulted in collection of series of human skulls, skeletal parts, some with flesh, a large quantity of human hair, pieces of cloth, pegs and holes of tents, umbrella framing, walking sticks, silver and glass bangles, bhojpatra, T shaped resting stick, bamboo stick with iron ferule, musical drums, wooden vessels, broken bamboo pieces, damaged leather chappals, fragments of reddish cloth. polished stone beads, crudely finished conch shell fragments.

The human skeletons from Rup Kund appear to belong to a group of pilgrims who resembled the Rajput population of U.P. and Rajasthan. The party was buried under an avalanche about 500-600 years ago (according to Calcutta and London estimates) and between 500-800 years ago (according to Michigan estimates). It included 65-75% men and 25-35% women, most of whom were adults. According to Folksongs, the party hailed from Kanauj area (the modern Agra-Mathura belt) consisting of about 300 persons. The party took bath in Rup Kund Lake on way to or on way back from the sacred centre 'Hongkundh'. They were resting when the avalanche occurred.

(b) A British tourist, Mr. Longstaff reported about Rup Kund in 1905 and 1927 and a Forest Officer, Mr. Madhal Singh in 1942.

A party of 5 members of the Anthropological Survey of India led by then Director, late Dr. N. Dutta Mazumdar undertook 2 expeditions in May-June, 1956 and in September-October, 1956.

In the same year, two other expeditions were conducted by the Department of Anthropology in the University of Lucknow and Swami Pranabananda Ji.

No further expedition to Rup Kund is envisaged.

चावल की वसूली

1732. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार, कुल कितने चावल का उत्पादन होता है ;

(ख) प्रत्येक चावल उत्पादक राज्य से सरकार द्वारा कितना चावल वसूल किया जाता है ; और

(ग) चावल प्रत्येक राज्य से किस दर पर वसूल किया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-I) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-1710/78] ।

(ख) और (ग) 4 मार्च, 1978 तक प्राप्त सूचनानुसार, चावल की वसूल की गई मात्रा के बारे में राज्यवार सूचना संलग्न है (परिशिष्ट-II) । इसमें चावल के हिसाब से वसूल की गई धान शामिल है । बिहार और गुजरात में, अब तक धान/चावल की कोई भी वसूली नहीं हुई बतायी जाती है । जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल महाराष्ट्र और राजस्थान में केवल धान ही वसूल की गई है । अन्य राज्यों में जिन मूल्यों पर चावल की वसूली की गई है, उसका ब्यौरा परिशिष्ट-II में दिया गया है ।

कृषि नीति संकल्प

1733. **श्री चित्त बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक नीति संकल्प की तरह कृषि नीति संकल्प करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : इस देश में कृषि सुधारों के कार्यान्वियन का इतिहास अब से लगभग 3 दशक पुराना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से अनुक्रमिक योजना दस्तावेजों में इस योजना का निरूपण किया गया है। कार्यान्वियन के दौरान प्राप्त अनुभवों की दृष्टि में रखते हुए समय-समय पर सुधारात्मक उपाय किए गए हैं।

GRAM PRODUCTION IN RAJASTHAN

1734. SHRI RAM KANMAR BERWA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Rajasthan occupies second place in the production of gram in the country as a whole but its yield is decreasing constantly due to its crops getting infested by insects;

(b) whether any assistance is being given or proposed to be given by Central Government to the State for the programme of making gram free from insect infection; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) During 1975-76 and 1976-77, Rajasthan occupied the first place in gram production in the country. Although yield per hectare has been fluctuating from year to year, it has registered an increase during the last two years.

(b) Yes, Sir, the Govt. of India have provided assistance to the State Govt. to control insects, pests and diseases of pulses, including gram, under the Centrally Sponsored Scheme on the development of pulses.

(c) 25% subsidy (subject to a maximum of Rs. 15/- per hectare) is provided on the cost of plant protection chemicals and 50% subsidy on the purchase of plant protection equipments for control of insects, pests and diseases on pulse crops. Besides, subsidy of Rs. 12.50 per hectare is provided on operational charges for the control of insects, pests and diseases in endemic areas. The amounts of subsidy sanctioned for this purpose to the State Government in 1977-78 are mentioned below :—

	Rs.
(i) Plant protection chemicals	2,62,000
(ii) Plant protection equipments	1,15,000
(iii) Plant protection operational charges	12,500
TOTAL	3,89,500

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न का खराब होना

1735. **श्री मुरली मनोहर जोशी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974, 1975 और 1976 में से प्रत्येक वर्ष में और वर्ष 1977 के प्रथम छह महीनों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कितने मूल्य का खाद्यान्न खराब हुआ है और उक्त खाद्यान्न किस प्रकार निपटान किया गया ;

(ख) क्या सरकार ने प्रत्येक वर्ष क्षति के कारणों की जांच की है और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) लापरवाही के कारण कितने मूल्य का खाद्यान्न खराब हुआ और उक्त क्षति के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) मानव उपभोग के अयोग्य बताए गये क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का मूल्य इस प्रकार है :—

वर्ष	मानव उपभोग के अयोग्य बताए गये खाद्यान्नों का मूल्य
	(आंकड़े लाख रुपयों में)
1974–75	12.7
1975–76	11.3
1976–77	592.00

क्षतिग्रस्त खाद्यानों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है :—

1. पशुचारा
2. मुर्गीचारा
3. खाद के प्रयोजनार्थ
4. औद्योगिक प्रयोग, और
5. कूड़ा में डालने लायक ।

ऐसे स्टाक राज्य सरकारों/सहकारी एजेंसियों/मिलिट्री फार्मों को दिए जाते हैं । ऐसा न होने पर इन स्टाकों को पंजीकृत व्यापारियों आदि के माध्यम से बेचा जाता है अथवा यथा सम्भव सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए उनकी नीलामी कर दी जाती है ।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों को यह क्षति मुख्यतः भारी वर्षा, बाढ़ों और तूफानों के कारण हुई है । उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के किसी भी अधिकारी द्वारा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही अथवा अवहेलना संबंधी मामले के बारे में जांच की जाती है ।

तमिलनाडु के समुद्री तूफान से पीड़ित व्यक्तियों को आवास देना

1736. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष समुद्री तूफान के कारण जो व्यक्ति प्रभावित हुए थे, उन्हें आवास उपलब्ध करने के लिए सरकार ने तमिलनाडु सरकार की सहायता की है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इस प्रकार प्रभावित कितने व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कर दिया गया है ;

(ग) इस वर्ष केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता और अन्य सहायता देने का आश्वासन दिया गया है ; और

(घ) राज्य में सभी प्रभावित व्यक्तियों को कब तक आवास उपलब्ध कर दिए जाने की संभावना है

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) 17-2-78 तक मंत्रालय में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 541525 झोंपड़ियों के पुनर्निर्माण के लिए 10,20,76,502 रुपए की राशि बांटी गई थी। जबकि पूर्णतः या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त झोंपड़ियों की संख्या 5,51,189 थी।

(ग) भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार को मौजूदा वर्ष के दौरान निम्नांकित सहायता प्रदान की थी:—

(1) 29.31 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता।

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त निःशुल्क अनुदान के रूप में 10,000 मीटरी टन गेहू और 10,000 मीटरी टन चावल निःशुल्क राहत के रूप में वितरण हेतु दिया गया है।

(3) इसके अतिरिक्त समुद्री तूफान आने के बाद 2 करोड़ रुपए का अल्पावधि ऋण भी उपलब्ध कराया गया है।

(घ) इस संबंध में राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने के बाद सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा को चिलका झील खारा-पानी मत्स्य-पालन विकास के लिये केन्द्रीय सहायता

1737. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने चिलका झील मत्स्य-पालन और चिलका झील खारा-पानी मत्स्य-पालन विकास के लिये उड़ीसा सरकार को कुल कितनी धनराशि दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : इस प्रयोजन के लिये उड़ीसा सरकार को कोई सहायता नहीं दी गई थी।

केरल में कोको की खेती का विकास

1738. **श्री के० ए० राजन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में कोको की खेती के लिये व्यापक योजना तैयार की है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस योजना की क्रियान्विति के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) और (ग) केरल में कोको की खेती के लिये कृषि और सिंचाई मंत्रालय में कोई बृहत योजना प्राप्त नहीं हुई है तथापि, की गयी जांचों से पता चला है कि कृषि राज्य विभागों ने 1978–79 से 7 वर्षों की अवधि के दौरान 25,000 हैक्टायर में कोको की खेती के लिए एक योजना तैयार की है। योजना के लिये कुल परिव्यय 71.332 लाख रुपये का है। इस समय यह प्रस्ताव केरल राज्य सरकार के वचाराधीन है।

PROTECTION OF ANCIENT WORK OF ART IN MADHYA PRADESH

†1739. SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the names of districts in Jhansi, Sagar and Rewa Divisions where archaeological survey has been conducted by the Archaeological Department;

(b) the arrangement made for protection of valuable antiques in the old Jardine Rahule Museum in Khajuraho where the idols are kept in the open and are exposed to rain and sun; and

(c) the arrangements made for protection of several 'devalayas' (temples) of Chandel and post chandel era and of archaeological importance in Budhagaon, Markhera, etc. in Tikamgarh district in Madhya Pradesh and also far protection of ancient works of art which in Orchha Palace which include mural paintings, and the steps being taken to protect the ancient Kudar Fort and the important and valuable antiques in it from damage ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) Archaeological survey has been conducted in parts of Rewa district. Such a survey in district Damoh is being taken up by the University of Sagar with financial assistance from the Archaeological Survey of India.

(b) Steps are being taken to provide a roof over the open area of the museum building where large size sculptures are kept.

(c) No monument in Tikamgarh District nor the Kodar Fort is at present under central protection. Steps are, however, being taken to protected such of them as, on examination are found to be of national importance.

The Orchha Palace, including the mural paintings contained therein, is under the protection of the Government of Madhya Pradesh.

EXPENDITURE ON DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN SIKKIM

1740. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on agricultural development in Sikkim after its merger with India and also the expenditure proposed to be incurred on this account during the coming three years;

(b) whether any expenditure has also been incurred on levelling of land; and

(c) the amount spent so far on seeds, fertilizers, etc. as also the expenditure proposed to be incurred during the coming three years ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a), (b) and (c) Sikkim became the twenty second State of Indian Union with effect from April 26, 1975 and commenced implementation of its development plans within the frame-work of the Five Year Plan, from April 1976. The actual expenditure incurred during 1976-77, the anticipated expenditure for 1977-78 and the outlay for 1978-79 for Agriculture and Allied Programmes, Cooperation and Irrigation and Flood Control in Sikkim in the State Plan Sector, are given below :

(Rs. in Lakhs)

Head of Development	1976-77 (actual)	1977-78 (Anticipated expenditure)	1978-79 (Outlay)
1. Agriculture and Allied Programme	290·1	360.0	458·0
2. Cooperation	16·7	17·3	20·0
3. Irrigation and Flood Control	23.2	36·0	40·0

Separate information on the expenditure incurred on land levelling in Sikkim is not available in the State's Annual Plan. However, under the sub-head 'Soil and Water Conservation', there is a scheme for Soil Conservation in Agricultural Lands and under this scheme, work on terracing is undertaken which involves land levelling also. Figures of expenditure in respect of the State Plan Schemes relating to Soil Conservation in Agricultural Lands, Multiplication and Distribution of Seeds, High Yielding Varieties Programmes and Manures and Fertilizers are given below :

(Rs. in lakhs)

Schemes	1976-77 (Actual)	1977-78 (Anticipated expenditure)
1. Soil Conservation in Agricultural Lands	4·54	10·0
2. Multiplication and Distribution of Seeds	2.43	7·0
3. High Yielding Varieties Programmes	2·71	4·20
4. Manures and Fertilizers	17·12	8·00

As the next Five Year Plan of Sikkim is yet to be formulated, it is not possible to indicate the outlays for the years subsequent to 1978-79.

बिहार द्वारा केन्द्रीय अनुदानों का उपयोग

1741. **श्री सी० एम० विश्वानाथन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय अनुदानों के धीमी गति से उपयोग को पूरा करने के लिए की जाने वाली भाग-दौड़ जैसा कि 7 फरवरी, 1978 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ है, के बारे में जानकारी है ; और

(ख) अनुदानों के समुचित उपयोग पर केन्द्रीय सरकार का कितना नियंत्रण है और दुर्लभ संसाधनों का समय पर उपयोग करने पर समुचित नजर न रखने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें 7 फरवरी, 1978 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी है और इसका राज्य के सिंचाई मंत्री द्वारा 8 फरवरी, 1978 को संवाददाता सम्मेलन में खण्डन किया गया।

(ख) राज्यों को बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये किसी अनुदान की व्यवस्था नहीं की जाती है। राज्यों द्वारा बृहद/मध्यम सिंचाई के प्रस्तावित परिव्ययों के समुपयोजन पर केन्द्र का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। बहरहाल, केन्द्रीय सरकार कुछ सतत स्कीमों को प्रगति में तेजी लाने के लिए अग्रिम योजना सहायता की व्यवस्था करती है। बिहार के लिए वर्तमान वर्ष में 7.2 करोड़ रुपये की राशि ऐसी सहायता के लिए परिकल्पित है। इसकी शर्त यह है कि राज्य द्वारा चुनी हुई परियोजनाओं तथा इसके साथ-साथ-सिंचाई-सेक्टर के लिए स्वीकृत योजना परिव्यय खर्च किया जाए। उपर्युक्त शर्त को पूरा करने के बारे में राज्य से आश्वासन प्राप्त होने के पश्चात लगभग वर्ष के अंत में ही अग्रिम योजना सहायता दी जाती है। इस तरह से केन्द्र द्वारा दी जा रही अग्रिम योजना सहायता के समय के अन्दर समुपयोजन पर उचित निगरानी रखने के लिये पर्याप्त कदम उठाये जा रहे हैं।

EARN WHILE YOU LEARN SCHEME

†1742. SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have formulated an "Earn While you Learn" scheme; and

(b) if so, the outline thereof and when and where it is proposed to be implemented ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) and (b) No, Sir. However, the Ishwarbhai Patel Committee's recommendation to have Socially Useful Productive Work as an integral part of the Ten-Year School curriculum if implemented properly will also lead to some remuneration through productive work and services. This recommendation, along with others was considered by the Conference of Boards of Secondary Education at its Chandigarh meeting recently and the Boards of Secondary Education have agreed in principle to its implementation.

दिल्ली की उचित दर दुकानों से कार्डधारियों को घटिया किस्म का गेहूं दिया जाना

1743. **श्री सोमनाथ चटर्जी**
श्री एम० ए० हमान अलहाज } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली में उचित दर दुकानों के मालिक राशन के गेहूं की खुले बाजार में बिक्री कर रहे हैं और उसके स्थान पर उचित दर दुकानों पर खाद्य कार्डधारियों को घटिया किस्म का गेहूं दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किया गया गेहूं उचित औसत किस्म का होता है और वह सरकार द्वारा निर्धारित की गई निर्दिष्टियों के अनुरूप होता है। उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, भारतीय खाद्य निगम सामान्यतया उचित मूल्य की दुकानों को जारी किए गए खाद्यान्नों के साथ मुहरबन्द नमूने दुकानों पर प्रदर्शन हेतु देता है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनको कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा खाद्य के कार्डधारियों को घटिया किस्म का गेहूं देने के बारे में आरोप लगाए गए हैं। जांच करने पर, उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध गेहूं की किस्म को भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रदर्शक मुहरबन्द नमूनों के अनुरूप पाया गया। दिल्ली प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखता है कि उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा अच्छे किस्म के गेहूं को घटिया किस्म के गेहूं के साथ न बदला जा सके। दिल्ली प्रशासन व्यक्तिगत रूप से और भारतीय खाद्य निगम के साथ संयुक्त रूप से समय समय पर सामान्य नमूना सर्वेक्षण किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित मूल्य के दुकानदार किसी प्रकार के कदाचार न करने पाएं।

गुजरात को केन्द्रीय आवास सहायता

1744. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने चालू वर्ष में निम्न वर्ग और निर्धन लोगों के लिये बड़े पैमाने पर मकान निर्माण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अधिक धनराशि का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मंत्रालय से कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(ग) क्या मंत्रालय ने योजना की स्थल पर जांच करने का निर्णय लिया है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार को कितनी धनराशि का आबंटन किया है ; और

(ङ) केन्द्र की सहायता से राज्य में क्रियान्वित की जाने वाली योजना का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) तक : निम्न तथा गरीब लोगों को ऋण सहायता देने के लिए गुजरात सरकार द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट योजना प्रस्तुत नहीं की गई है। सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता आवास सहित राज्य सरकारों को "समंकित ऋणों" और "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है जो किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष से संम्बद्ध नहीं होती। राज्य सरकारें विभिन्न राज्य क्षेत्र की योजनाओं जिसमें आवास शामिल हैं अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों को प्रयोग करने में स्वतन्त्र है।

2. उपर्युक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अलावा निर्माण और आवास मंत्रालय अनुमोदित सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष जीवन बीमा निगम के ऋणों का नियतन करता है। इस प्रयोजन के लिये गुजरात सरकार द्वारा 1977–78 वर्ष के लिये जीवन बीमा निगम ऋण की 879 लाख रुपये की राशि के नियतन के अनुरोध के विपरीत उन्हें 90 लाख रुपये की राशि जीवन बीमा निगम के ऋण के रूप में नियतन की गयी थी।

3. चालू वित्तीय वर्ष में 15-2-1978 तक आवास तथा नगर विकास निगम ने 471.420 लाख रुपये की लागत की परियोजना के विपरीत गुजरात राज्य में विभिन्न अभिकरणों के लिये 356.809 लाख रुपये की राशि का ऋण स्वीकृत किया है।

शिक्षा का ढांचा

1745. **श्री शंकर सिंहजी बांधला : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के ढांचे और संसाधनों के नियतन के बारे में शिक्षा मंत्रालय और योजना आयोग के बीच बातचीत पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों के बीच हुई सहमति की मुख्त बातें क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी, नहीं। बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई है।

भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय अधिनियम

1746. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रीय ग्रंथालय अधिनियम के बारे में जनता की प्रतिक्रिया की सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसको निरसन करने के लिए कार्यवाही करने का है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, 1976 लागू न करने का निर्णय किया है।

मद्य निषेध को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य पुस्तकें

1747. **डा० सुशीला नायर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्य-निषेध को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य पुस्तकों में उपयुक्त लेख शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस विषय को अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है ; और

(ग) क्या "मद्यनिषेध बोध" के लिए कोई वित्तीय प्रावधान किया गया है ; और यदि हां, तो इस धन को किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द चन्द्र) : (क) मिडल और ऊंचे स्तरों में स्कूल पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य पुस्तकों में मद्य-त्याग और मद्यनिषेध की धारणाओं को शामिल किया गया है ।

(ख) नशीली वस्तुओं के बुरे प्रभाव अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के विषय के भाग हैं ।

(ग) मद्यनिषेध संबंधी शिक्षा कार्य के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देने हेतु : वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध है ।

जन प्रचार साधनों द्वारा प्रचार किए जाने के लिए भी धनराशियां दी जाती हैं ।

LOSS OF LIFE AND PROPERTY DUE TO HAIL STORM IN U.P.

1748. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been heavy loss of life and property in Uttar Pradesh State due to hail storm in January and February, 1978; and

(b) if so, district-wise details thereof and the steps taken by Government to provide immediate relief to the people affected thereby ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House on receipt.

अमरीकी सहायता से ग्राम-विकास कार्यक्रम

1749. **श्री सौगत राय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सहायता के प्रशासन तथा भारत सरकार के अन्य अधिकारियों के बीच गत सप्ताह हुई बात-चीत के अनुसार अमरीका सरकार की सहायता से भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि में नये विकास कार्यक्रम आरम्भ कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो अमरीका सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता प्राप्त होगी और उसका विवरण क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के प्रशासक, जो जनवरी, 1978 में भारत आये थे और जिन्होंने कुछ आर्थिक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था, किन्हीं विशिष्ट विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के बारे में बातचीत करने नहीं आये थे । उनके दौरे का उद्देश्य हमारे देश की विकास-गतिविधियों तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में हमारी प्राथमिकताओं के बारे में जानना और इस बात पर विचार-विमर्श करना था कि किन-किन क्षेत्रों में अमरीकी सहायता का उपयोग किया जा सकता है ।

अमरीकी प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 1978 तथा 1979 के लिए अमरीकी कांग्रेस को प्रस्तुत अपने सहायता सम्बन्धी प्रस्तावों में विकास सहायता का प्रस्ताव किया है। सहायता का उपयोग करने के बारे में पक्का निर्णय तभी लिया जा सकता है जब अमरीकी कांग्रेस, अमरीकी प्रशासन के प्रस्तावों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दे।

ढोर बीमा

1750. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय कृषकों के लाभ के लिए ढोर बीमा की योजना आरम्भ करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) सामान्य बीमा निगम की शाखाएं 1974 से ही देश में पशु बीमा का कार्य कर रहे हैं। लघु किसान विकास एजेंसी की विशेष योजना के अंतर्गत लाये गए क्षेत्रों में 2½ प्रतिशत की कम किस्त वाली पशु बीमा की एक नई योजना 1-4-1977 से शुरू की गई है।

कालेजों को परीक्षायें लेने की अनुमति देना

1751. **श्री आर० कोलनथाइवेलु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ण विकसित कालेजों को अपनी स्वयं की परीक्षाएें आयोजित करने और अपनी डिग्रियाँ देने की अनुमति देने की योजना के बारे में निश्चित स्थिति क्या है ; और

(ख) ऐसी संस्थाओं के नाम और संख्या क्या हैं, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए मान्यता दी गई है और जिन्होंने योजना का क्रियान्वयन करना आरम्भ कर दिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चुने हुए महाविद्यालय को स्वायत्तता प्रदान करने की एक योजना को 1973 में अन्तिम रूप दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत सम्बन्धित महाविद्यालयों को, पाठ्यचर्याओं, अध्ययन के पाठ्यक्रमों, मूल्यांकन पद्धतियों और अन्य सम्बन्धित मामले के निर्धारण के सम्बन्ध में स्वायत्तता होगी। स्वायत्तता विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी और विद्यमान अधिनियमों में यदि इसकी व्यवस्था नहीं है तो सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी। तथापि, डिग्री सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा ही दी जाती रहेगी परन्तु इसमें स्वायत्त महाविद्यालय का नाम लिखा जाएगा।

(ख) योजना के अन्तर्गत अब तक निम्नलिखित दस महाविद्यालय चुने गए हैं :—

1. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची।
2. लोयाला महाविद्यालय, मद्रास।
3. मद्रास क्रिश्चियन महाविद्यालय ताम्बरम, मद्रास।

4. पी० एस० जी० कला महाविद्यालय, कोयम्बटूर ।
5. विवेकानन्द महाविद्यालय, मद्रास (रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के स्नातकोत्तर विभाग)
6. पी० एस० जी० प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कोयम्बटूर ।
7. अमेरिकन महाविद्यालय, मदुरै ।
8. श्री प्रकाश महिला महा विद्यालय, कोर्टाल्लम ।
9. लेडी डोक महाविद्यालय, मदुरै ।
10. मदुरै महाविद्यालय, मदुरै ।

इन महाविद्यालय में से अभी तक केवल बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान ने ही स्वायत्त महाविद्यालय के रूप में कार्य करना आरम्भ किया है ।

चन्द्रावली में उत्खनन कार्य

1752. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में चित्रदुर्ग किले के चन्द्रावली क्षेत्र में एक कस्बे के अवशेषों का पता लगाने के लिए उत्खनन कार्य प्रारम्भ करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जो महाभारत काल में फल-फूल रहा था ;

(ख) क्या भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस बारे में राज्य सरकार का सहयोग मांगा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चन्द्रावली में हुलेंगोंडी पर उत्खनन कार्य करवा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में नगरीय विकास

1753. **श्री सरतकार** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से वर्ष 1977–78 के दौरान राज्य में नगरीय विकास के लिये निधि आबंटित करने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

परीक्षाएं समाप्त करना

1754. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक बच्चे को वार्षिक परीक्षा पास करने अथवा न करने पर आठवें स्टैण्डर्ड तक पहुंचाने के बारे में एक योजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इसकी उचित स्तर पर क्रियान्विति भी कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार समस्त देश में इसका समान रूप से पालन करने का है और यदि हां, तो किन कारणों से और किन-किन लाभों को ध्यान में रखते हुए ; और

(घ) इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रक्रमों और प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) जी, हां ।

10–11 अगस्त, 1977 को हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने कक्षा I-VIII में छात्रों के रोकने को समाप्त करने के आमूल सुधार की सिफारिश की। 6-14 आयु वर्ग (कक्षा I-VIII) के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की उपयुक्त योजना तैयार करने हेतु स्थापित प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण संबंधी कार्य दल ने भी यह सिफारिश की है कि प्रत्येक बच्चा प्रति वर्ष एक कक्षा पूरी करेगा और कक्षा आठ पास करने तक उसे अगली कक्षा में कक्षोन्नत किया जायेगा किन्तु आवधिक जांच और मूल्यांकन करके । प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का अर्थ तत्वतः केवल सर्वव्यापी दाखिला ही नहीं है बल्कि बच्चों को कक्षाओं में बनाए रखना भी है । यह उपाय दूसरे उद्देश्य को सुनिश्चित करने हेतु सुझाया गया है किन्तु इस लिए कि स्तरों में कोई कमी न आने पाये तथा अध्यापकों और शैक्षिक प्रशासकों की ओर से प्रयासों में शिथिलता न आए, राज्य सरकार से भी, इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार छात्रों के उपयुक्त व्यापक आवधिक मूल्यांकन से जोड़ने का, अनुरोध किया गया है ।

1990 में खाद्य पदार्थों की कमी

1755. **श्री प्रद्युमन बल**
श्री श्याम सुन्दर गुप्ता
श्री ओम प्रकाश त्यागी } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें वाशिंगटन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (इण्टरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट) की हाल की उस रिपोर्ट का पता है जिसमें यह आशंका व्यक्त की गई है कि 1990 में भारत को 200 लाख टन खाद्य पदार्थों की कमी का सामना करना पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने इण्टरनेशनल फूड पालिसी इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन समाचार-पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भारत में खाद्यान्नों की जरूरतों का उत्पादन बढ़ाने की सम्भाव्यताओं का विस्तृत अध्ययन किया था लेकिन उन्होंने सन् 1985 या 2000 में खाद्यान्नों की कमी होने का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया है। तथापि, उत्पादन प्रोजेक्शन प्राप्त करने के लिए, मौजूदा 945 किलो/हैक्टर (1975–76) के उपज स्तर को बढ़ाकर 1985 में 1258 किलो/हैक्टर और सन् 2000 में 1890 किलो/हैक्टर करनी ही होगी। इस दिशा में पहले ही आवश्यक प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स) का कार्यकरण

1756. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान जिस का सृजन दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व वाइस चैयरमैन श्री जगमोहन ने आपात काल के दौरान किया था, के प्राधिकारियों के विरुद्ध कदाचार, भ्रष्टाचार तथा धन के दुर्विनियोजन के सम्बन्ध में गम्भीर आरोप हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार यथा सम्भव शीघ्र इस संस्थान के कार्यकरण के सम्बन्ध में एक विशेष लेखा-परीक्षा तथा जांच करवायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नगरीय कार्य के राष्ट्रीय संस्थान के खिलाफ कदाचार, भ्रष्टाचार या निधियों के दुरुपयोग के बारे में कोई आरोप नोटिस में नहीं लाया गया है। यह संस्थान एक पंजीकृत निकाय के रूप में सरकार के कहने पर स्थापित किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मत्स्यिकी नौकाओं के निर्माण के लिये प्रोत्साहन

1757. **श्री ए० मुरूगेसन : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमजोर वर्गों के हजारों लोगों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये मात्स्यिकी नौकाओं के निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु क्या ठोस उपाय किये गये हैं ; और

(ख) भारी संख्या में लोगों को मछली पकड़ने का व्यवसाय अपनाने में सहायता देने के लिये इस बारे में भावी योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) वर्ष 1977 के अंत तक 8 से 11 मीटर तक की लगभग 14000 छोटी यंत्रीकृत नौकाएं प्रयोग में लायी गई हैं। इनसे लगभग 84,000 वास्तविक मछुओं को रोजगार मिला है तथा मछली के रख-रखाव, परिसंस्करण तथा विपणन के कार्य में कम से कम लगभग 2 लाख कार्मिकों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। आर्थिक क्षेत्र की 200 मील की सीमा का उपयोग करने के लिए सरकार 20 से 90 मीटर लम्बी बड़ी नौकाओं का प्रयोग करती रही है। फरवरी, 1978 तक लगभग 48 नौकाएं प्रयोग में लाई गई और ये काम कर रही हैं। इनसे 576 दक्ष तकनीकी व्यक्तियों तथा रख-रखाव, परिसंस्करण और विपणन संबंधी कार्यों में लगभग 5000 कर्मचारियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

छठी योजना अवधि के दौरान 6000 और यंत्रीकृत नौकाओं तथा लगभग 300 बड़ी नौकाओं को प्रयोग में लाने का विचार है, जिससे अधिकतर कमजोर वर्गों से संबंधित लगभग 1.7 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

REPORT OF D.D.A. COMMITTEE

1758. SHRI SHIV NARAYAN SARSONIA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to the answer given to Unstarred Question Nos. 6610, 1607, 2276 and 4714 on 15th April, 1974, 5th August, 1974, 12th April, 1976 and 25th July, 1977 respectively and state :

(a) whether the Technical Committee of Delhi Development Authority have decided to implement the Award;

(b) if so, the decision taken in this regard;

(c) if not, the time by which the decision is likely to be taken by the Committee;

(d) the time by which the house building permission will be granted to the plot owners; and

(e) whether a time limit can be fixed for the complete procedure prior to granting the House building permission ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a), (b) and (c) The Technical Committee decided that the case be examined first keeping in view the standards prescribed in the Master Plan for density and community facilities and the municipal services provided at site. The concerned officers have been asked to send their reports in this regard. On receipt of their report, the matter will again come up to the Technical Committee for further consideration.

(d) As soon as a final decision is taken.

(e) No, Sir.

BUNGLING BY D.D.A. IN RAISING THE LEVEL OF COLONIES

1759. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the D.D.A. has purchased earth for rupees four crores in order to raise the level of land in various colonies;

(b) if so, whether the earth has not at all been purchased nor has it been layed anywhere only it was shown in the records; and

(c) if so, whether Government would get an enquiry conducted into it by the C.B.I., and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) and (b) The Delhi Development Authority has reported that about Rs. 1.00 crore has been spent on items of earth works, including filling up of low lying areas, levelling, dressing, etc. in various re-settlement colonies. Earth filling has been done on a large scale in hundreds of acres of land in several re-settlement colonies where land was low lying particularly in colonies in the trans-Jamuna area.

(c) The C.B.I. is looking into certain records in this regard.

दिल्ली में नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा से अधिक भूमि पर मकान/प्लाट

1760. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 के अन्तर्गत अधिकतम सीमा से अधिक भूमि के रिहायशी प्लाटों/मकानों के लिए छूट दिये जाने के लिए दिल्ली के सक्षम अधिकारी को अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इन मामलों पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं क्योंकि इससे दिल्ली में निर्माण कार्य पर और मकानों और प्लाटों के क्रय/विक्रय पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) इन मामलों का निर्णय कब और किन आधारों पर किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 1470।

(ख) तथा (ग) फालतू रिक्त भूमि की छूट के किसी आवेदन पर निर्णय देने से पहले नगर आयोजना प्राधिकरण आदि से परामर्श किया जाता है कि क्या फालतू रिक्त भूमि का उपयुक्त उपयोग किया जा सकता है, क्या उस क्षेत्र के ले-आऊट पर इसका प्रभाव पड़ेगा, आदि। सरकार ने अब दिल्ली प्रशासन को सलाह दी है कि वे फालतू रिक्त भूमि की छूट दे दें यदि उस क्षेत्र की ले-आऊट प्लान, इसके पर्यावरण तथा सौंदर्यता या इसके पर्याप्त रूप से निर्मित स्वरूप को देखते हुए फालतू रिक्त भूमि को टुकड़ों में विभाजित करना और इन पर निर्माण करना वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे गन्दी बस्तियों के हालात हो जाने की संभावना है। इस परामर्श के परिणामस्वरूप यह आशा है कि निपटान तीव्रता से होगा।

EXTINCTION OF EMU-MESHI (WILD GOAT) AND BOAR IN SIMLA

1761. SHRI RAJKESHAR SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the breed of the Emu-Meshi (wild goat) and Boar are continuously disappearing in hilly regions of Simla District; and

(b) if so, the action being taken by the Government to protect these breeds ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) and (b) According to information received from the Himachal Pradesh Government, there is no evidence on record to indicate that the population of wild goats and boars is decreasing in Simla District. However, the wild goat is totally protected from hunting and only restricted shooting of boars is allowed by the Himachal Pradesh Government.

समवर्ती सूची में से शिक्षा को निकालना

1762. **डा० वसन्त कुमार पण्डित**
डा० रामजी सिंह } : क्या **क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा को समवर्ती सूची से हटाने के प्रश्न पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या अनेक शिक्षा संस्थानों, अध्यापक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और अन्य संगठनों ने शिक्षा को समवर्ती सूची से हटाने के लिए सरकार से सिफारिश की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) मामला अभी तक विचाराधीन है। विभिन्न क्षेत्रों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें शिक्षा को समवर्ती सूची में बनाए रखने की मांग की गई है ?

खाद्यान्नों के मामले में राज्यों की आत्म-निर्भरता

1763. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य द्वारा खाद्यान्नों मामले में प्राप्त आत्म-निर्भरता सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं, और

(ख) खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता के मामले में जो राज्य बहुत पीछे हैं उन्हें आत्म-निर्भर बनाने के लिये उन राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) खाद्यान्नों के उत्पादन तथा आवश्यकताओं में होने वाली कमी-पेशी के कारण विभिन्न राज्यों द्वारा खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के विषय में सही आंकड़े बताना सम्भव नहीं है। विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की मात्रा का मोटा अनुमान संलग्न विवरण से लगाया जा सकता है, जिसमें 1973-74 से 1975-76 तक की अवधि के विषय में खाद्यान्नों के औसत उत्पादन व उनके विभिन्न राज्यों में लाने-ले-जाने के आंकड़े दिए गए हैं। (अनुबंध -1)

(ख) भारत सरकार की यह नीति नहीं है कि प्रत्येक राज्य खाद्यान्नों के उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर हो। नीति यह है कि प्रत्येक राज्य ऐसी फसलें पैदा करे जिनके लिये उस राज्य में अत्यधिक उपयुक्त कृषि जलवायु संबंधी परिस्थितियां मौजूद हों। खाद्यान्नों का उत्पादन बढाने के कार्यक्रमों में बुवाई के क्षेत्र का विस्तार करना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, बहुफसलों किस्मों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र को लाना, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग एवं क्षमता में सुधार करना, कीटनाशी औषधियों का न्यायोचित उपयोग करना, जल प्रबन्ध, संस्थागत ऋण का विस्तार प्रमाणित बीजों के संवर्धन एवं वितरण के कार्यक्रम शामिल हैं।

अनुबन्ध 1

खाद्यान्नों का उत्पादन तथा रेल द्वारा खाद्यान्नों का अन्त:देशीय संचलन
(औसत 1973-74 से 1975-76)

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	उत्पादन	अन्त:देशीय संचलन* (निवल आयात (+)/निर्यात (—)
आंध्र प्रदेश	9,061	—469
असम (मेघालय सहित)	2,360	+302
बिहार	8,398	+511
गुजरात	3,530	+142
हरियाणा	4,072	—663
जम्मू तथा कश्मीर	1,004	+126
हिमाचल प्रदेश	1,044	+9
कर्नाटक	6,672	+239
केरल	1,340	+669
मध्य प्रदेश	10,889	—329
महाराष्ट्र	8,002	+570
उड़ीसा	4,939	+120
पंजाब	8,171	—2,334
राजस्थान	6,478	+29
नागालैण्ड	69	+24
उत्तर प्रदेश	17,172	—320
पश्चिम बंगाल	7,782	+1,065
त्रिपुरा	355	+30
तमिलनाडु	6,435	—47

*रेल द्वारा संचलन से संबंधित हैं, क्योंकि सड़क द्वारा संचलन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

गढ़वाल क्षेत्र में "ट्रैकिंग" के लिए छात्रों/युवकों के समूहों का भेजा जाना

1764. **श्री जगन्नाथ शर्मा** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में 'ट्रैकिंग' के लिए उपयुक्त कुछ रमणीक स्थलों की सरकार को जानकारी है ; और

(ख) क्या हिमालय के सौन्दर्य और उसकी छटा से परिचित कराने के लिए इस क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए छात्रों/युवकों के समूहों को भेजने संबंधी किसी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) :

(क) जी, हां।

(ख) सरकार युवकों को ट्रैकिंग के लिए वित्तीय सहायता देती है। तथापि, सरकार युवक दलों को किसी विशिष्ट क्षेत्र में नहीं भेजती है।

INCREASE IN JUVENILE DELINQUENCY

1765. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether juvenile delinquency registered an increase during the past year as compared to the incidence thereof during the year proceeding to that and if so, the percentage of the increase registered; and

(b) whether Government have taken or proposed to take in future some special action to check juvenile delinquency and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN) : (a) Statistics on the incidence of Juvenile delinquency for the past 2 years are not yet available.

(b) The State Governments and Union Territory Administrations who are responsible for the prevention and control of juvenile delinquency, have been pursuing various appropriate measures to check the problem. The Central Government renders advice, guidance and assistance to the State Governments to develop the programmes and train personnel in this sphere. The Children Act, 1960, which is applicable to Union territories and has served as a model legislation in this field is being amended to strengthen services for the care, protection, maintenance, welfare, training, education and rehabilitation of neglected and delinquent children.

देश में बनाये गये रिहायशी एककः

1766. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 से जनवरी, 1978 के अन्त तक देश में कितने रिहायशी एककों का निर्माण किया गया है ; और

(ख) इनमें से कितने विभिन्न आय वर्गों में हैं।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर इस मंत्रालय द्वारा बनाई गई विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अधीन मार्च, 1977 से जनवरी, 1978 तक के अन्त तक 90,188 मकान बनाये गए हैं। इसके अलावा 1 मार्च, 1977 से 31 जनवरी, 1978 तक आवास तथा नगर विकास निगम ने 34,227 मकानों के निर्माण की योजनाएं मंजूर की हैं। इसके अतिरिक्त सहकारी भवन निर्माण समितियों ने भी मकान बनाये हैं।

(ख) जहां तक राज्य योजना स्कीमों के अन्तर्गत बने मकानों का संबंध है निम्न आय वर्ग के लिए 66164 मकान, मध्यम आय वर्गों के लिए 1056 मकान बनाये गए। 876 मकान बागान मजदूरों के लिये बनाये गए जिनकी प्रतिमास आय 300 रुपये से अधिक नहीं है। अन्य योजनाओं के संबंध में सूचना योजनावार है न कि आय वर्गवार। आवास तथा नगर विकास निगम ने 1-3-77 से 31 जनवरी, 1978 तक जो मंजूरियां प्रदान की वे इस प्रकार हैं :—

वर्ग	एक्कों की संख्या
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	16,425
निम्न आय वर्ग	11,982
मध्यम आय वर्ग	5,148
उच्च आय वर्ग	672
कुल	34,227

देश बन्धु चितरंजन स्मारक समिति को प्लाट का आवंटन

1767. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन पार्क में व्यक्तिगत अलाटियों को पुनर्वास विभाग ने उनके द्वारा कुल प्रीमियम की 20% धनराशि के प्रारम्भिक भुगतान के बाद भूमि के प्रीमियम को सात वार्षिक किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दे दी थी ;

(ख) क्या देशबंधु चितरंजन स्मारक समिति को भी वही सुविधायें दी जायेंगी जो एक महान् राष्ट्रीय नेता की स्मृति को समुचित रूप से सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) व्यक्तिगत अलाटियों के लिए जो भुगतान की शर्तें हैं वे सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्मार्थ और अन्य संगठनों को लागू नहीं होती क्योंकि सामान्य नियमों के अनुसार इनसे प्रीमियम की एकमुश्त राशि वसूल की जाती है। तथापि, देशबन्धु चितरंजन स्मारक समिति द्वारा व्यक्त की गई वित्तीय कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए नियमों में ढील दे दी है और समिति को प्रारम्भ में प्रीमियम के 25% का एकमुश्त भुगतान करने तथा शेष 75% का भुगतान, उस पर आए ब्याज सहित 4 बराबर वार्षिक किश्तों में करने की अनुमति दे दी है।

समुद्री तूफान से पीड़ित केरल को केन्द्रीय सहायता

1768. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल को उस राज्य के समुद्री तूफान तथा बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए केन्द्रीय सहायता की कितनी राशि दी गयी है; यदि हां, तो यह योजना के अन्तर्गत कितना है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) समुद्री तूफान तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के लिए केरल को 363.72 लाख रुपए की अग्रिम योजना सहायता तथा 1250 मीटरी टन गेहूं तथा इतने ही चावल की अनुदान के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। नगद अनुदान योजना के अन्तर्गत है।

गिरिडीह बिहार में लघु कृषक विकास एजेन्सी के अन्तर्गत विकास खंडों (ब्लाक्स) को शामिल किया जाना

1769. **श्री रत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गिरिडीह जिले के छोटे और सीमान्त किसानों का अधिकतम संख्या में उत्थान सुनिश्चित करने के लिए मन्डे, बेंगाबाद, बागोदर, नवडीह पेटखार और जरीडीह खण्डों को 1978 से लघु तथा सीमान्त कृषक एजेंसी, गिरिडीह में शामिल करना अवश्य है ; और

(ख) अब तक इस योजना में शामिल किए गए खण्डों के नाम क्या हैं और उसमें कितनी प्रगति हुई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) परियोजना अवधि के दौरान 50,000 लाभभोगियों को सुविधाएं देने के लिए लघु कृषक विकास एजेंसी परियोजना का परिचालन कार्यक्षेत्र लघु/सीमान्त किसानों को उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कार्यक्रम की प्रतिनिधियों को सहायता देने के लिए आधारभूत ढांचे की उपलब्धता तथा डेरी, मुर्गीपालन आदि जैसे सहायक व्यवसायों को शुरू करने के लिए उपयुक्तता पर भी विचार किया जाता है। इन सिद्धान्तों के आधार पर परियोजना क्षेत्र जिले के 18 खण्डों में से 7 में रखा गया है। वे खण्ड जहां लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, ये हैं:—(1) गिरिडीह, (2) जमुआ, (3) धनवाडा, (4) मवान, (5) पीरतन्ड (6) डुमरी तथा (7) नवडीह।

एजेंसी ने 110.00 लाख रुपये के परिव्यय से अप्रैल, 1975 में कार्य करना शुरू किया था। इस प्रकार, आरम्भ होने से लेकर अब तक एजेंसी को 31.57 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है। एजेंसी द्वारा लगभग एक लाख भागीदारों को पहचाना गया है तथा उनमें से केवल 6,297 को अब तक सुधरी कृषि पद्धतियों, लघु सिंचाई, डेरी आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत लाया गया है। उपर्युक्त उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, इस अवस्था में परिचालन क्षेत्र को अधिक खण्डों तक बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

खाद्यान्नों के उत्पादन और खपत में अन्तर

1770. **श्री बी० पी० मण्डल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान चावल, गेहूं और खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) देश में खाद्यान्नों की कुल आवश्यकता कितनी है और कुल उत्पादन कितना है ; और

(ग) उत्पादन और आवश्यकता में यदि कोई अन्तर है तो सरकार का विचार उसे किस प्रकार पूरा करने का है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारत में वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान चावल, गेहूं और कुल खाद्यान्नों के उत्पादन का विवरण संलग्न है। (अनुबंध)

(ख) तथा (ग) खाद्यान्नों की मांग काफी सीमा तक परिवर्तनीय होती है और खाद्यान्नों तथा अन्य एवजी खाद्य पदार्थों की उपलब्धि , उनके तुलनात्मक मूल्यों, आय के स्तर, आबादी में वृद्धि आदि बातों पर निर्भर करती है। अतः देश में खाद्यान्न की आवश्यकताओं का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, कुल उत्पादन के अनुमानों, सरकारी स्टाक से हुए वास्तविक वितरण तथा निर्यात से निकाले गये उपलब्धि के अनुमानों से आवश्यकताओं का पता लगाया जा सकता है। सन् 1977 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान कुल औसत उत्पादन 1108 लाख मीटरी टन, वास्तविक सार्वजनिक वितरण (वितरण में से अधिप्राप्ति को घटाकर) 1 लाख मीटरी टन तथा निर्यात 1 लाख मीटरी टन था। इस प्रकार उपलब्धि 1106 लाख मीटरी टन बैठी। बीज, आहार तथा अपक्षय को निकालकर मानव उपभोग के लिए उपलब्धि 968 लाख मीटरी टन थी। वर्ष 1978 के लिए यह आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि सरकार के पास काफी स्टाक है जिससे सन् 1978 में खाद्यान्नों—उत्पादन और आवश्यकता के बीच के अन्तर को भरा जा सकता है।

विवरण

चावल, गेहूं और कुल खाद्यान्नों का उत्पादन

(हजार मीटरी टनों में)

फसल	1976-77 (अन्तिम)	1975-76 (संशोधित)
चावल . .	42,787.5	48,739.8
गेहूं . . .	29,082.1	28,846.3
कुल खाद्यान्न	111,569.5	121,034.3

SINDH REFUGEES IN RAJASTHAN AND GUJARAT DURING 1971

1771. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of refugees who came to Rajasthan and Gujarat from Sindh in Pakistan during the war in 1971;

(b) the number of persons out of these refugees still living in the camps;

(c) the annual expenditure being incurred so far on the maintenance of these refugees; and

(d) the details of the scheme for the permanent rehabilitation of these refugees ?

THE MINISTER OF STATE FOR WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR) : (a) 74,753.

(b) 51,150.

(c) About Rs. 250.00 lakhs.

(d) These displaced persons are entitled to return to Pakistan in safety and honour as and when the conditions permit. In order that they may not continue to be unemployed in the camps, certain schemes have recently been sanctioned for their economic rehabilitation. The matter regarding their permanent rehabilitation is being actively considered and a decision is expected soon.

सिंचाई आयोग से सिंचित क्षेत्र बढ़ाने का सुझाव

1772. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई आयोग ने देश के उन राज्यों में, जहां सिंचाई सुविधाएं कम हैं, कुल कृषि योग्य भूमि की तुलना में सिंचित क्षेत्र का अनुपात बढ़ाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों के नामों का उल्लेख किया गया है और प्रत्येक राज्य के लिए आयोग ने क्या कदम उठाए जाने का सुझाव दिया है ;

(ग) इन राज्यों ने गत तीन वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता मांगी थी और केन्द्र ने कितनी राशि दी थी ;

(घ) इन राज्यों में से प्रत्येक में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार तत्काल क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी, हां।

(ख) सिंचाई आयोग (1972) ने यह उल्लेख किया था कि सिंचित क्षेत्र समान-रूप वितरित नहीं है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से बहुत ही कम है। सिंचाई आयोग द्वारा सुझाए गए कुछ मुख्य उपाय नीचे दिए गए हैं:—

(i) सिंचाई का आयोजन ऐसी तरह से किया जाना चाहिए कि जल के प्रति यूनिट से अधिकतम उत्पादन हो और अधिकतम क्षेत्र सिंचित हो।

(ii) चूंकि देश में जल के संसाधन अपर्याप्त हैं, इसलिए चैनलों को पक्का किया जाना चाहिए।

(iii) सूखे क्षेत्रों में जो अधिकांशः इन राज्यों में हैं, सिंचाई स्कीमों के मामले में लाभ-लागत अनुपात में छूट दे कर तथा जल भण्डार जलाशयों में कैरो-ओवर क्षमता की व्यवस्था करके तथा सामान्य दर से आधी रियायती दर पर राज्यों को ऋण की व्यवस्था करके उदार मानदण्ड अपनाए जाने चाहिएं।

(iv) सिंचाई के अधिकतम कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ग) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपने विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत की जाती है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास के किसी विशिष्ट सेक्टर अथवा स्कीम के साथ जुड़ी नहीं होतीं। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने 1975—78 के दौरान इन राज्यों की चुनी हुई बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से संलग्न विवरण के अनुसार अग्रिम योजना सहायता दी है।

(घ) इन राज्यों में पहले से ही बहुत सी बृहद और मध्यम परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है और उनको शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन राज्यों में सिंचाई कार्यक्रमों के परिव्ययों में बढ़ोत्तरी की जा रही है और नई स्कीमों को हाथ में लिया जायेगा जिनमें वर्तमान सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना शामिल है, ताकि उनकी कार्य-कुशलता में सुधार किया जा सके तथा अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके।

विवरण

गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्यों में 1975—78 के दौरान बृहद/मध्यम परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त परिव्यय (अग्रिम योजना सहायता)

(करोड़ रुपयों में)

राज्य का नाम	1975-76	1976-77	1977-78 (प्रस्तावित)
गुजरात . . .	7.30	3.00	11.00
कर्नाटक . . .	2.00	3.55	11.00
मध्य प्रदेश . .	—	1.75	11.00
महाराष्ट्र . . .	5.50	3.85	15.00
राजस्थान	6.00	3.00	7.30

AVAILABILITY OF INSECTICIDES TO FARMERS

1773. SHRI MANOHAR LAL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that farmers cannot make use of the insecticides according to their requirements as the insecticides are sold at higher prices under different names; and

(b) the steps being taken by Government to make available the insecticides to farmers at cheaper rates ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) No, Sir.

(b) The steps taken by the Government of India and the State Governments to make insecticides available to farmers at cheaper rates include the following :

(i) The Government entrusted the work of examining the cost structure of major items of pesticides manufactured in the country to the Bureau of Industrial Costs and Prices in order to ascertain the margin of profit with the ultimate objective of fixing the price at reasonable level. The Bureau of Industrial Costs and Prices' reports covering 10 items of technical grade pesticides revealed that there was some scope for reduction in the prices of these items and their formulations. The Government, therefore, initiated a dialogue with the industry with a view to persuade them to reduce their prices. As a result of the discussions, the industry agreed to reduce the prices for a number of pesticides ranging from 2% to 12%. Most of these reductions have since been effected by the manufacturers.

(ii) The Government have brought pesticides under the Essential Commodities Act by declaring pesticides as an essential commodity.

(iii) The Government is giving a subsidy @ 50% of the cost of pesticides for the control of 5 nationally important pests/diseases.

(iv) A subsidy of Rs. 10/- per acre towards the operational charges for aerial spraying on cotton, mustard and groundnut is given to small and marginal farmers, other farmers got the subsidy @ only Rs. 7/- per acre.

(v) For control of Endemic Pests subsidy @ Rs. 7/- per acre towards aerial spraying operational charges and @ Rs. 3/- per acre towards ground spraying operational charges are given to the farmers.

(vi) The Government introduced a scheme of 50% distribution of technical grade pesticides from the year 1974 in order to ensure easy availability of pesticides as well as to stabilise the prices through their formulation within the State.

(vii) The Government is encouraging the local Industry to produce more pesticides with the object of breaking the monopoly and develop keen competition in the market.

(viii) The State Governments have been advised to maintain a buffer stock of pesticides in the States to ensure supply during emergencies as well as to stabilise the price of insecticides.

(ix) Some State Governments have also been giving subsidies on pesticides to small and marginal farmers ranging from 25% to 50% under their State scheme.

(x) The total incidence of customs duty on Phosalone-technical grade material has been reduced from 75% to 45%. As regards other pesticides recommended for Custom Duty concession by the Committee appointed by Government, the matter is under consideration.

PROPOSAL TO INCREASE PROCUREMENT PRICE OF WHEAT

1774. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the dates on which production cost of wheat was determined by the Agricultural Prices Commission during the last five years and the per quintal production cost of wheat in rupees determined;

(b) whether the Agricultural Prices Commission is again examining the question of determining production cost of wheat at present and if so, when this is likely to be completed;

(c) whether Government are considering the question of increasing the procurement price or support price of wheat for 1978-79; and

(d) the quantity of wheat procured by the Government or the Food Corporation of India during 1977-78 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) As would be seen from the A.P.C's Reports on the wheat pricing and procurement policy which are placed in the Parliament library from year to year, the Commission does not determine the cost of production of wheat, even though, in making its recommendations to the Government on the price policy for wheat, it does take into account *inter alia* the available estimates of cost of wheat production.

(b) and (c) The A.P.C. Report on the price policy for wheat for 1978-79 marketing season is expected shortly. The recommendations of the A.P.C. will be considered in consultation with the State Governments and a decision regarding the procurement/ support price of wheat is likely to be announced before the onset of the marketing season.

(d) 5.16 million tonnes of wheat have been procured in different States during 1977-78 rabi marketing season.

आदिवासी क्षेत्रों में लघु सिंचाई के लिये मास्टर प्लान

1775. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में आदिवासी क्षेत्रों में लघु सिंचाई के विकास हेतु मास्टर प्लान बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे आदिवासी क्षेत्रों में लघु सिंचाई के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करें ।

(ख) मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों ने आदिवासी क्षेत्रों में लघु सिंचाई के अधीन दिए जाने वाले लाभों के संबंध में जानकारी दी है।

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बंधी कानून के लिये उच्च शक्ति प्राप्त समिति

1776. **श्री वसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम त्रुटिपूर्ण है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्यों के वर्तमान कानून में त्रुटियों की जांच के बारे में एक उच्च शक्ति समिति नियुक्त करने पर विचार करेगी और उससे छोटे सीमान्त किसानों और बटाईदारों के हितों की रक्षा के लिये उचित सिफारिशें देने का अनुरोध करेगी; और

(ग) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में भूमिहीनों को फालतू भूमि वितरित करने के मामलों में रूकावट आई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों को 1972 में जारी किए गए राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार संशोधित किया गया था। इन कानूनों की त्रुटियों का पता लगा कर उनकी ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ताकि वे संशोधित कानून बना सकें। इस उद्देश्य के लिये किसी उच्च स्तर की समिति की स्थापना करना आवश्यक नहीं है।

(ग) चालू वर्ष (1977-78) के दौरान वितरित किए गए क्षेत्र के बारे में अद्यतन जानकारी राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। भारत सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी से पता चला है कि कुछ राज्यों में नवम्बर, 1977 के अन्त तक तथा अन्य राज्यों में उस से कुछ पहले की अवधि तक 1,83,123 एकड़ क्षेत्र वितरित किया गया है। अनुमान है कि 1975-76 और 1976-77 में क्रमश: 2,82,778 एकड़ तक 8,77,866 एकड़ क्षेत्र वितरित किया गया है। चालू वर्ष में कम उपलब्धि के निम्नलिखित कारण हैं:—

(1) राज्य सरकारों से अद्यतन जानकारी का प्राप्त न होना, और

(2) कार्यान्वियन के प्रारम्भिक चरणों में आसान से आसान मामलों का भारी संख्या में निपटान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिशेष भूमि को तेजी से कब्जे में कर लिया जाता है। शेष मामले अपेक्षाकृत जटिल होते हैं तथा कब्जा करने से पहले अपील की सुनवाई आदि के विषय में कार्यवाही समाप्त करनी पड़ती है।

आवास समस्या के समाधान में विदेशी साझेदारी

1777. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा सम्बन्धित आवास विकास वित्त निगम 20 दिसम्बर, 1977 के इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार हमारी आवास समस्या को हल करने के संबंध में विदेशी साझेदारी लेने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे आवास समस्या किस प्रकार कम हो जायेगी; और

(ग) योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) (ख) तथा (ग) आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड इस बात की सम्भावनाओं का पता लगा रहा है कि क्या 10 करोड़ रुपये की प्रस्तावित प्रेषित पूंजी के 10 प्र० श० तक आवास विकास वित्त निगम की साम्य पूंजी में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन (आई० एफ० सी० डब्ल्यू०) वित्त सहायता देगा और क्या आई० एफ० सी० डब्ल्यू० 40 लाख संयुक्त राज्य डालर भी देगा। यह भी प्रयास किये जा रहे हैं कि शीघ्र ही प्रस्तावित की जाने वाली सार्वजनिक तौर पर प्रेषित शेयर पूंजी में गैर आवासी भारतीयों की रुचि संजोई जाए। आई०

एफ० सी० डब्ल्यू० और गैर-आवासी भारतीयों द्वारा लगाई गई विदेशी पूंजी भारत में आवासीय समस्या को कम करने के लिए और अधिक मकान बनाने के लिए साधन जुटाने के प्रयासों की कमी पूरी करेगी।

आवास विकास वित्त निगम का आरम्भ में 20 करोड़ रुपये की साम्य पूंजी प्रेषित करने का प्रस्ताव है जिनका एक बड़ा अंश स्थानीय तौर पर संग्रह किया जाएगा। औद्योगिक फर्में, बैंक, बीमा कम्पनियों और वित्तीय संस्थाएं प्रस्तावित प्रेषण में पूंजी लगाने पर सहमत हो गई हैं और आवास विकास वित्त निगम शीघ्र ही उन्हें 5 करोड़ रुपये के शेयर अलाट करेगा। शेष पूंजी मार्च-अप्रैल में सार्वजनिक प्रबन्ध के जरिये जुटाई जाएगी। इस प्रकार जुटाए गए वित्तीय साधनों को देश में आवासीय गतिविधियों में धन लगाने के प्रयोग में लाया जाएगा।

ALLOTMENT OF LAND TO FARMERS AFFECTED BY KADANA AND MAHI DAM IN RAJASTHAN

†1778. SHRI HEERA BHAI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether land of farmers in Banswara district in Rajasthan has submerged as a result of construction of Kadana and Mahi dams;

(b) if so, the area of land of each farmer submerged; and

(c) whether Government have made arrangements to allot land to those landless farmers, and if so, the time by which they will be allotted land and if so, the reason therefor ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Yes, Sir. Private lands of farmers of Banswara district would come under submergence due to the construction of Kadana and Mahi Bajajsagar dams.

(b) About 4,110 hectares of private land of farmers in Rajasthan is likely to come under submergence at full reservoir level of 419 of Kadana dam being constructed by Gujarat. Of this, about 1,693 ha. would be in Banswara district of Rajasthan. The area of private land of farmers under Mahi Bajajsagar Project at full reservoir level of 921 would be about 7,650 hectares.

(c) The Government of Rajasthan have informed that according to the State's approved norms, there is no provision for allotment of agricultural land to landless oustees.

DIFFICULTY OF CULTIVATION IN HILL AREAS

1779. SHRI BHARAT BHUSHAN : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether he is aware that water for irrigation is not available in hill areas and the fields are so scattered there that it is difficult to have cultivation there as a result of which people of the area are unable to get due remuneration for their labour; and

(b) if so, the details of the effective scheme proposd to be implmented by Government to remove these difficulties ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the table of the House as and when received.

HINDI SANSTHAN, AGRA

†1780. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state the amount of grant being given every year by Government to Hindi Sansthan, Agra for conducting extensive Hindi training ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SMT. RENUKA DEVI BARATAKI) : The Kendriya Hindi Sansthan, Agra, started functioning in 1961. Besides conducting extensive Hindi training, the Sansthan also conducts research in methodology of teaching Hindi to people of Non-Hindi speaking States, undertakes basic and contrastive research in Hindi and also other Indian and foreign languages and produces teaching material and aids for Hindi language teachers. Grants are not earmarked for specific purposes.

A statement giving year-wise figures of total grants given to the Sansthan is attached

STATEMENT

Statement showing the grant received from the Government in respect of Non-Plan and Plan Schemes of Agra Centre from 1961-62 to 1977-78.

Year	Non-Plan	Plan	Total
	Rs.	Rs.	Rs.
Jan. 1961 to March, 61	24,880	..	24,880
1961-62	1,58,292	..	1,58,292
1962-63	2,20,000	..	2,20,000
1963-64	2,75,000	..	2,75,000
1964-65	4,25,000	..	4,25,00
1965-66	5,99,000	..	5,99,000
1966-67	6,33,000	..	6,33,000
1967-68	6,20,000	..	6,20,000
1968-69	6,00,000	..	6,00,000
1969-70	5,65,000	2,75,000	8,40,000
1970-71	7,18,000	2,81,000	9,99,000
1971-72	7,20,000	2,20,000	9,40,000
1972-73	7,60,000	5,66,000	13,26,000
1973-74	7,10,000	6,12,000	13,22,000
1974-75	12,25,000	2,40,000	14,65,000
1975-76	16,53,000	7,06,000	23,59,000
1976-77	12,37,000	14,17,000	26,54,000
1977-78	11,92,859	17,10,000	29,02,859
TOTAL	1,23,36,031	60,27,000	183,63,031

विद्यार्थियों के लिए जनसंख्या प्रावैगिकीय और परिवार नियोजन तरीकों का अध्ययन प्रारंभ करना

1781. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और सांस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए जनसंख्या प्रावैगिकीय और परिवार कल्याण के तरीकों का अध्ययन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सरकार का विचार है कि स्वास्थ्य और जनसंख्या शिक्षा के विषय यदि शिक्षा पद्धति के सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर लिए जाएं तो वांछनीय होगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान

एवं प्रशिक्षण परिषद् 10+2 स्तर के पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण करते हुए इस मामले की पहले ही जांच कर रही है। जहां तक विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों का संबंध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी मामले की जांच की जा रही है।

EXPENDITURE ON EDUCATION

†1782. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the percentage of total national income being spent on education indicating the amount of expenditure incurred on primary, secondary and higher education respectively;

(b) whether it is proposed to spend more on primary education keeping in view the fact that two out of every three persons are illiterate and the University education is not job oriented;

(c) if not, whether Government propose to make the higher education selective as suggested by the Prime Minister and if so, the qualitative shape thereof; and

(d) whether the process of universallation of education will commence from the lowest rung or from the affluent section of the society ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a), (b), (c) and (d) The percentage of Government budgeted expenditure on education to the total national income for 1976-77 is 3.6%. The amount of expenditure on the revenue account of Central and State budget on different sector of Education for the year 1976-77 are :—

	Rs. in lakhs
Primary Education	8,66,06. 50
Secondary Education	5,80,05. 12
University & Higher education	2,79,61. 21

It is proposed to spend more on Elementary Education but not only for the considerations mentioned. As for the higher education the approach has been regulation of enrolment with emphasis on access to the weaker sections of the society. As bulk of the non-attending children are from the weaker sections of society such as scheduled castes and scheduled tribes, landless labour and girls—the efforts at universalisation will have to be directed to these groups.

केरल में ब्रेल प्रेस चालू करने के लिए सहायता

1783. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के गूंगा और बहरा संगठन से यह अनुरोध मिला है कि केरल में एक ब्रेल प्रेस चालू करने के लिए केन्द्र सहायता और आवश्यक स्वीकृति दे;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में निर्णय क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) केरल फेडरेशन आफ दि ब्लाइंड ने त्रिवेन्द्रम में एक ब्रेल प्रिन्टिंग प्रेस शुरू करने के लिए 1976 में सहायक अनुदान के लिए अनुरोध किया था।

(ख) फेडरेशन ने 2,24,352 रुपए की सहायता मांगी थी जो 2,49,724 रुपए के अनुमानित खर्च का 90 प्रतिशत थी। ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मद	धनराशि	
	(रुपए)	
1. प्रेस के लिए मशीनरी . . .	1,75,000.00	गैर आवर्ती
2. कार्यालय फर्नीचर, उपकरण और टाइपराइटर इत्यादि	5,000.00	गैर-आवर्ती
3. भवन का किराया . . .	1,800.00	आवर्ती
4. स्टाफ का वेतन	30,924.00	आवर्ती
5. ब्रेल पेपर, एलुमीनियम शीट्स और फुटकर खर्च	37,000.00	आवर्ती
जोड़ .	2,49,724.00	

(ग) इस बात को देखते हुए कि मद्रास में पहले से ही एक क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस है, जो दक्षिणी क्षेत्र में सभी चारों राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, केरल में एक और प्रेस के लिए रुपया लगाना उचित नहीं है समझा गया।

नागार्जुनकंडी (आन्ध्र प्रदेश) स्थित संग्रहालय तथा पुरातव सर्वेक्षण विभाग के लिए टेलीफोन तथा लांच

1784. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुनकंडी (आंध्र प्रदेश) स्थित संग्रहालय और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्राधिकारियो और अन्य सम्बद्ध लोगों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि उस द्वीप पर संग्रहालय के दर्शकों के उपयोग के लिए विभाग का अपना टेलीफोन और लांच होने चाहिए ।

(ख) क्या प्रति वर्ष हजारों दर्शक इस संग्रहालय को देखने जाते हैं ;

(ग) क्या यह क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है ; और

(घ) यदि हां तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा उसका भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां। यह प्रस्ताव कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास अपना लांच होना चाहिये, परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण छोड़ दिया गया था।

अनेक परीक्षणों के पश्चात् डाक-तार विभाग ने द्वीप और पहाड़ी बस्ती के मध्य एक बी० एच० पी० लिंक टेलीफोन लगाना स्वीकार कर लिया है।

(ख) जी हां।

(ग) नागार्जुन सागर बांध स्थल, विजयपुरी के समीप नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक "महंगा स्थान" घोषित किया गया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहां नियुक्त अपने कर्मचारीगण के लिए दुष्कार्य भत्ता देना स्वीकार किया है।

(घ) जहां तक (ख) और (ग) भागों का संबंध है कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

संतरागाछी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी क्वार्टर हावड़ा

1785. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि संतरागाछी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी क्वार्टरों में चारदीवारी के निर्माण में लापरवाही बरतने के कारण चोरी, छुटफुट चोरी आदि के कारण सरकारी सम्पत्ति को भारी हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो वहां चारदीवारी का निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) फिटिंग की चोरी और हेरा-फेरी की कुछ घटनाएं घटी थीं जबकि क्वार्टरों को दखल में नहीं लिया गया था। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि चारदीवारी न होने की वजह से ये घटनाएं घटी हैं।

(ख) चार दीवारी बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया था परन्तु मितव्ययता के कारण और इस कारण कि इस चारदीवारी के अन्तर्गत बने क्वार्टरों में बाहर से आने वालों को रोकना सम्भव नहीं होगा, इसलिए इस विचार को स्थगित किया गया।

जम्मू और काश्मीर में मत्स्य-पालन के विकास की योजना

1786. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू और काश्मीर राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य में मत्स्य-पालन के विकास की कोई योजना बनाई है और उसके लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : जम्मू तथा काश्मीर सरकार से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का विघटन

1787. **श्री रोबिन सेन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को भंग करने तथा इसके अनेक विभागों को नये संगठनों में अंतरित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"सिचुएशन आफ चाइल्ड इन एशिया टुडे"
(एशिया में आज शिशु की स्थिति) विषय पर गोष्ठी

1788. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में "सिचुएशन आफ चाइल्ड इन एशिया टुडे" (एशिया में आज शिशु की स्थिति) विषय पर एक सर्वक्षेत्रीय गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख), नई दिल्ली में 30 जनवरी से 2 फरवरी, 1978 तक "सिचुएशन आफ चाइल्ड इन एशिया टुडे" (एशिया में आज शिशु की स्थिति) विषय पर एक सर्वक्षेत्रीय गोष्ठी हुई थी। यह गोष्ठी "इन्टरनेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन, बर्लिन" द्वारा प्रायोजित और "नेशनल कमेटी फार द एशियन रीजनल सेमिनार आन चाइल्ड" द्वारा आयोजित की गई थी। 13 देशों अर्थात् अंगोला, बंगलादेश, क्यूबा, भारत, जापान, कोरिया, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, सोवियत रूस, वियतनाम तथा संयुक्त राष्ट्र के "यूनेस्को", "यूनिसेक" और एशिया व प्रशान्त के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग जैसे संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस गोष्ठी में भाग लिया था।

2. गोष्ठी का उद्घाटन केन्द्रीय शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री ने किया था और इसमें एशियाई देशों में बच्चों की स्थिति पर, विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं पोषाहार, शिक्षा, अपंग बच्चों, बाल श्रमिकों, श्रमजीवी माताओं, परिवार नियोजन, बच्चों के अधिकारों के लिए जन संचार और परिपाटी की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया था।

FAKE SLIPS FOR ALLOTMENT OF JHUGGI-JHONPRIES IN DELHI

1789. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether fake slips were prepared in respect of occupants of Jhuggi-Jhoupries in Delhi;

(b) if so, the action taken against the persons who got allotment of plots gainst these slips as also against the officers who issued such slips; and

(c) in case no action has been taken, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) Complaints to this effect were received.

(b) and (c) Cases have been registered with the police who are enquiring into the matter. The structures which were being raisd by the persons, who obtained the allotments by fraudulent means were demolished in the cases where the structures were unoccupied. Some officials against whom a prima-facie case was made out have been placed under suspension and departmental enquiry has been instituted. Anti-corruption Branch of Delhi Administration has also been requested to lodge a case under the Prevention of Corruption Act against these officials.

CONSTRUCTION CERTIFICATE IN DELHI

1790. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided not to issue certificate for construction of houses in Delhi unless there is a prescribed number of trees in the area;

(b) if so, whether such directives have since been given to concerned officers; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास

1791. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाइप V और टाइप VI आवास के हकदार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी दिल्ली में टाइप III आवास में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो टाइप V और टाइप VI के लिए प्राथमिकता की तारीख क्या है;

(ग) क्या इन अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी इच्छा के स्थान पर टाइप IV के आवास का आवंटन किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) उन अधिकारियों को जिनकी अग्रता की तारीखें 26-6-1967 तथा 7-5-1969 है 1 मार्च, 1978 को क्रमशः टाइप V और टाइप VI में नियमित आवंटन किया जा चुका है इनमें वे अधिकारी शामिल नहीं हैं जिन्होंने अपना आवंटन एक विशेष क्षेत्र तक सीमित रखा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में वनों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता

1792. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में मध्य प्रदेश में वनों के विकास के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है, और

(ख) राज्य में जिलेवार राशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित वानिकी योजनाओं के अन्तर्गत 1975-76 और 1976-77 के दौरान मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता के रूप में क्रमशः 38.01 लाख रुपये और 44.41 लाख रुपये दिए गए हैं। योजनावार ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(लाख रुपये)

	1975–76	1976–77
(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं		
1. अकृष्य भूमि, पंचायती भूमि आदि पर मिश्रित बागान . .	—	3.00
2. उजड़े हुए वनों में फिर से वृक्ष लगाना और छायादार पट्टियां लगाना . .	—	1.75
योग क .	—	4.75
(ख) केन्द्रीय योजनाएं		
1. चुने गए राष्ट्रीय पार्कों तथा आश्रय-स्थलों का विकास .	1.71	1.13
2. बांध परियोजना .	8.30	13.53
3. राज्य वन निगम में केन्द्र का योगदान .	28.00	25.00
योग ख .	38.01	39.66
कुल योग (क+ख) . .	38.01	44.41

पाकिस्तान के साथ टूर्नामेंट

1793. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के खेलकूद संगठनों ने पाकिस्तान के साथ विभिन्न खेलों के टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में प्राप्त निम्नलिखित प्रस्तावों की इस समय विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है :—

(i) भारतीय विश्वविद्यालय संघ और भारतीय स्कूल खेल संघ का हाकी तथा क्रिकेट में विश्वविद्यालय और स्कूल छात्रों की टीमें पाकिस्तान भेजने का प्रस्ताव है ।

(ii) भारतीय शैली कुश्ती संघ ने, पाकिस्तान के साथ पहलवानों के विनिमय के लिए अनुमति मांगी है ।

(iii) भारतीय अव्यवसायी मुक्केबाजी संघ ने अप्रैल, 1978 में कराची में होने वाली द्वितीय पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता और चौथी एशियाई मुक्केबाजी चैम्पीयनशिप में भाग लेने हेतु सीनियर और जूनियर टीमें प्रायोजित करने की अनुमति मांगी है ।

(iv) पंजाब क्रिकेट परिषद् जालंधर ने पाकिस्तान से एक क्रिकेट टीम को आमंत्रित करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया है ।

(v) भारतीय बैडमिंटन संघ ने दोनों देशों के बीच बैडमिंटन टीमों के विनिमय की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजने का प्रस्ताव भेजा है ।

(vi) भारतीय साईकल पोलो संघ ने अप्रैल, 1978 के अंतिम सप्ताह में किसी समय हैदराबाद में होने वाली पांचवी राष्ट्रीय साईकिल पोलो चेम्पियनशिप में भाग लेने के लिए पाकिस्तान सहित विदेशी टीमों को आमंत्रित करने की अनुमति मांगी है ।

(vii) अखिल भारतीय फुटबाल संघ ने आंन्ध्र प्रदेश फुटबाल परिषद् के, मई, 1978 में पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाईन्स फुटबाल क्लब, कराची को आमंत्रित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है ।

(viii) भारतीय शुटिंग बाल संघ ने, करांची में मार्च के अंतिम सप्ताह में होने वाली भारत-पाकिस्तान शुटिंग शैली वालीबाल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी टीम भेजने की अनुमति मांगी है ।

पंजाब में जमीन हड़पना

1794. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 1978 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "लैण्ड ग्रैब बाई टाप ब्रास इन पंजाब" (पंजाब में उच्च अधिकारियों द्वारा जमीन हड़पना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में पंजाब राज्य सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि उस पर कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

PERIOD OF FOODGRAIN STOCK WITH GOVERNMENT

1795. **DR. RAMJI SINGH** : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the total quantity of foodgrain stocks with Government which was procured one, two, three, four or five years ago or even prior to that, respectively;

(b) the quantity of foodgrains, out of it, kept in the open by putting 'tripals' etc.;

(c) the total quantity and the value of foodgrains, which became unfit for human consumption last year; and

(d) whether Government is not in a position to construct godowns to protect the food grains from loss; if so, whether these foodgrains cannot be kept in the lakhs of godowns owned by the private owners ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) and (b) The total stocks of foodgrains with the Food Corporation of India as on 1-2-1978 were about 14.3 million tonnes out of which about 5.1 million tonnes were stored in CAP (Cover & Plinth). The stocks comprise of imported as well as indigenously procured foodgrains. It is not possible to indicate as to how much of the available stocks were procured one, two, three, four or five years ago or even prior to that. All efforts are however, made to dispose of the old grains first and to keep the comparatively new grains in stock.

(c) A quantity of about 44.1 thousand tonnes of foodgrains valued at about Rs. 5.9 crores was rendered unfit for human consumption during 1976-77 on account of heavy floods, cyclones etc.

(d) Various steps have been taken to increase storage capacity to replace CAP storage. These include hiring of covered space from all available sources, construction of godowns on a large scale by the FCI and encouraging construction of godowns by private parties under guarantee scheme as per the FCI's specifications.

अधिक ऊंचाई वाले वनस्पति और जीवों का अस्तित्व समाप्त होना

1796. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अधिक ऊंचाई वाले वनस्पति और जीवों की अत्याधिक खतरे में और प्राय: समाप्त होने वाली नस्लों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन्हें नष्ट होने से बचाने और सुरक्षा प्रदान करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस संबंध में देश में अभी तक कोई क्रमबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) वन्य प्राणियों की खतरे में पड़ी हुई नस्लों को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल करके उन्हें शोषण से सामान्य संरक्षण देने तथा विशेषकर 1976 से जब से भारत वन्य वनस्पति तथा वन्य प्राणियों की खतरे में पड़ी नस्लों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का सदस्य बना, निर्यात पर सख्त नियंत्रण लगाने के अतिरिक्त, ऐसी ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के प्राकृतिक वासों की सुरक्षा के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है । इसी उद्देश्य से 1977 में सिक्किम में कंचन जोगा राष्ट्रीय पार्क तथा उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी जिले में भी गोबिंद पशु बिहार आश्रय-स्थल स्थापित किया गया है । लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसे पार्कों की स्थापना के प्रस्तावों पर सम्बंधित राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें विचार कर रही हैं ।

गढ़वाल में नन्दा देवी बेसिन में वन्य जीव शरणस्थली

1797. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व वन्य जीव निधि ने अधिक ऊंचाई पर वनस्पति और जीव हेतु वन्य जीव शरणस्थली के लिये हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में नन्दा देवी बेसिन की सिफारिश की है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई प्राथमिक सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना पर कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के वन्य प्राणि संगठन द्वारा नन्दा देवी बेसिन में अब तक कोई वन्य प्राणि सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार का नन्दा देवी बेसिन में प्राथमिक सर्वेक्षण करने के लिये परियोजना शुरू करने का अब तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

MEASURES TAKEN BY I.O.A. FOR DEVELOPMENT OF GAMES

†1798. SHRIMATI PARVATI DEVI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether satisfactory measures are not being taken by Indian Olympic Association for the development of games in the country;

(b) whether attitude of Indian Olympic Association towards the development of sports is being criticised in some quarters; and

(c) whether in the absence of guidelines from the All India Sports Council proper development of sports is not taking place in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN) : (a) The Indian Olympic Association has intimated that within its sphere of responsibility it is taking all possible measures for the development of games in the country.

(b) Yes. Sir.

(c) No, Sir. On the advice of the All India Council of Sports, Government have been issuing from time to time guidelines to the National Sports Federations/Associations, including the Indian Olympic Association, with a view to improving their functioning for the development of sports in the country.

दाल उत्पादन और दाल अनुसंधान संस्थान

1799. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में दालों का कुल कितना उत्पादन हुआ और विभिन्न राज्यों में इसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान इसके उत्पादन में कमी हुई है और यदि हां, तो इस बारे में आंकड़े क्या है;

(ग) क्या इसे ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्र की सहायता से दाल अनुसंधान संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पिछले दो वर्षों में यानी 1975-76 और 1976-77 के दौरान भारत में दालों के कुल उत्पादन के राज्यवार आंकड़े संलग्न वक्तव्य में दिखाये गये है।

(ख) भारत में दालों का कुल उत्पादन 1974-75 में 1 करोड़ 10 हजार टन से बढ़कर 1975-76 में 1 करोड़ 30 लाख 40 हजार टन हो गया है लेकिन 1976-77 में यह घटकर 1 करोड़ 12 लाख 10 हजार टन हो गया।

(ग) जी, हां, श्रीमान । कई राज्य सरकारों, जिनमें मध्य प्रदेश भी है, ने केन्द्र की सहायता से दाल अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अखिल भारतीय समन्वित दाल अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत दालों पर अनुसंधान के लिए 28 केन्द्र लगभग सभी राज्यों में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वित्तीय सहायता से स्थापित किये हैं । दालों पर अनुसंधान के लिए, मध्यप्रदेश में तीन केन्द्र यानी जबलपुर, सिहौर और रायपुर प्रत्येक स्थान पर एक एक केन्द्र खोला गया है । मध्यप्रदेश में उगाये जाने वाली धान की फसलों की समस्याओं के समाधान करने के लिए इन केन्द्रों में संरचना आधार और निधि की व्यवस्था की गई है । इन केन्द्रों में आगामी योजना के दौरान अनुसंधान के प्रयत्नों में तेजी लायी जायेगी । अतः मध्य प्रदेश में एक अलग दाल अनुसंधान संस्थान खोलना आवश्यक नहीं है।

1975-76 और 1976-77 के दौरान भारत में दालों के कुल उत्पादन सम्बन्धी विवरण

(हजार टन)

राज्य	1975-76 संशोधित	1976-77 अन्तिम
आन्ध्र प्रदेश	421.1	362.4
आसाम	35.6	37.2
बिहार	822.4	697.1
गुजरात	179.6	186.8
हरियाणा	952.0	874.3
हिमाचल प्रदेश	31.5	36.8
जम्मू और कश्मीर	23.8	21.6
कर्नाटक	625.7	286.2
केरल	14.6	14.8
मध्यप्रदेश	2539.6	1858.8
महाराष्ट्र	1168.3	977.1
मणिपुर	2.3	2.3
मेघालय	1.0	0.9
नागालैण्ड	2.0	2.8
उड़ीसा	526.7	349.2
पंजाब	402.3	332.9
राजस्थान	2083.2	1999.1
तमिलनाडु	127.4	156.0
त्रिपुरा	1.7	1.7
उत्तर प्रदेश	2656.7	2581.4
पश्चिम बंगाल	410.7	417.5
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.6	0.6
दादर और नगर हवेली	2.6	1.6
दिल्ली	5.7	5.2
मिजोरम	0.2	0.2
पांडिचेरी	2.3	3.6
भारत में कुल उत्पादन	13039.6	11208.1

मध्य प्रदेश में छोटे और सीमान्त फार्म के लिए द्रुत कार्यक्रम का विस्तार

1800. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के अधिक जिलों में छोटे और सीमान्त फार्म के लिए केन्द्रीय सहायता द्वारा "द्रुत कार्यक्रमों" के विस्तार के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लघु कृषक विकास एजेंसी के विस्तार के प्रश्न पर केवल छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों, जो इस समय विचाराधीन हैं, के संदर्भ में ही विचार किया जा सकता है।

योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों में दूध का उत्पादन

1801. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए एक प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) 'आपरेशन फ्लड के' सिद्धान्तों के अनुसार 16 राज्यों में दुग्ध उत्पादन और विपणन में वृद्धि करने का एक समन्वित डेरी विकास कार्यक्रम विचाराधीन है । इस पर 483.49 करोड़ रु० की लागत आएगी । परियोजना के अन्तर्गत 10 लाख ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों के परिवारों तथा 15 लाख दुधारू पशु आते हैं । इसके अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत 1 लाख से अधिक आबादी वाले 147 शहरों में दुग्ध विपणन होने की सम्भावना है । परियोजना के लिए पूर्वी यूरोपीय देशों से उपहार के रूप में सप्लाई होने वाले बटर आयल तथा स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले ऋण से धन उपलब्ध होगा।

SHORTAGE OF DRINKING WATER IN DELHI

1802. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the N.D.M.C. gets a supply of 20 million gallons of water daily;

(b) whether the summer requirement of N.D.M.C. will be of 32 million gallons;

(c) whether the Municipal Corporation of Delhi will be in a position to supply only 29 million gallons;

(d) whether Gole Market DIZ Area), Motibagh, Netaji Nagar, Sarojini Nagar and Kidwai Nagar (New Delhi) are likely to face acute water shortage during summer; and

(e) if so, measures being taken to meet the shortage ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) As two bulk meters are not in working condition, it is not possible to measure the exact quantity of water. However, as per assessment of the New Delhi Municipal Committee, the supply is about 20 million gallons a day.

(b) Yes, Sir, according to the New Delhi Municipal Committee.

(c) to (e) With the completion of certain works, an additional 3 million gallons per day could be supplied. Further, about 2 million gallons per day is being generated through 22 tube-wells installed by New Delhi Municipal Committee. If this is done, there will be partial relief in areas like Gole Market (DIZ) area, Moti Bagh, Netaji Nagar, Sarojini Nagar, Laxmi Bai Nagar and Kidwai Nagar.

देश में पट्टा प्रणाली समाप्त करना

1803. : **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी पट्टा प्रणाली और सरकारी किरायेदारी समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) तथा (ख) दिल्ली में रेजीडेंट्स एसोसिएशनों तथा अन्यों द्वारा यह अभ्यावेदन दिया गया था कि पट्टा प्रणाली से पट्टाधारियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है और इससे भ्रष्टाचार आदि पनपा है अतः इसे समाप्त किया जाना चाहिए । सरकार ने मामले पर विचार करने के लिए अगस्त, 1977 में एक समिति स्थापित की थी । आशा है कि समिति अप्रैल, 1978 तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

D.D.A., GHONDA RESIDENTIAL SCHEME

1804. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the land allotted under Ghonda Residential Scheme by D.D.A. has not been fully developed so far;

(b) if so, the time by which the land under the scheme is likely to be fully developed and whether the time limit for construction of the houses will continue to be extended till the development is complete; and

(c) whether the street lights have not been provided in certain blocks where people have started constructing houses with the result that they are not getting full benefit of Government loans therefor ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) Development works in the Ghonda Residential Scheme are in progress.

(b) It is not possible to state precisely the date by which the work for development will be completed. However, the time limit for construction of houses will continue to be extended till the development work is completed.

(c) The street lights have not yet been provided. The question of electrification of 'B' and 'C' Blocks is under process for preparation of estimates. The scheme for electrification/street-lighting will be prepared on completion of certain formalities between DDA and DESU.

REPRESENTATION AGAINST FCI, BHOPAL

1806. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation from Bhopal, in which demand for an enquiry against Bhopal Branch of Food Corporation of India was made; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The Food Corporation of India was asked to look into the matter who, on enquiry, reported that the allegations could not be substantiated.

आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पीएच० डी० डिग्री दिया जाना

1807. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मंत्रालय की जानकारी में कुछ ऐसे मामले लाये गये हैं जिनमें आगरा विश्वविद्यालय द्वारा "इलेक्ट्रोमैकेनिक्स एण्ड मैग्नेटोमैकेनिक्स" नामक उस थीसिस पर पीएच० डी० डिग्री दे दी गई थी, जिसमें पृष्ठ 186 से 199 तक समस्या का जो समाधान प्रस्तुत किया गया है, वह "मैथेमेटिकल एजूकेशन, खण्ड VII सं० 2, दिनांक जून, 1973" नामक पत्रिका में पहले प्रकाशित एक शोध पत्र की शब्दश: नकल है;

(ख) क्या इस समाधान को उस पर्यवेक्षक द्वारा शोधछात्र का स्वतन्त्र योगदान प्रमाणित किया गया है, जो स्वयं ही उस शोध-पत्र का लेखक था;

(ग) क्या यह चुनाव मूलत: गलत था;

(घ) क्या गलत चुनावों के ऐसे दो अन्य शोधपत्र भी शोधपत्रिका में प्रकाशित होने दिये गये थे; और

(ङ) यदि हां, तो ज्ञान के इस अपमिश्रण और ऐसी जाली डिग्रियों के दिये जाने को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) जी, हां।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति से इस शिकायत की जांच करने का अनुरोध किया गया था । कुलपति ने आयोग को यह सूचित किया कि संबंधित पर्यवेक्षक ने इस बात की पुष्टि की थी कि संदर्भाधीन लेख उसी विद्यार्थी का प्रामाणिक शोध कार्य था जिसका नाम

गलती से पर्यवेक्षक के नाम के साथ पत्रिका में नहीं छपा था । कुलपति, विश्वविद्यालय की पत्रिकाओं में गणित के प्रकाशनों के अन्य मामलों की भी जांच कर रहे हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी इस मामले को गणित संबंधी अपने पेनल को विचारार्थ भेजने का, प्रस्ताव है ।

MEMORIAL IN MEMORY OF VIR SAVARKAR IN ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

1808. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that patriots and freedom fighters like 'Vir Savarkar' were kept in the jail in Andaman and Nicobar Islands; and

(b) if so, whether Government propose to raise any memorial in their memory there ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India have already decided to preserve the historic cellular jail in memory of the freedom fighters including 'Vir Savarkar'. It is not proposed to raise any other memorial.

SETTING UP OF A SUGAR FACTORY AT BETUL IN MADHYA PRADESH

1809. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to set up a sugar factory at Betul in Madhya Pradesh; and

(b) if so, by what time it will be set up ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

तमिलनाडु में चीनी उद्योग द्वारा लेवी मूल्य में वृद्धि करने संबंधी मांग

1810. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में चीनी उद्योग सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लेवी मूल्य में वृद्धि करने के लिए न्यायालय में मामला दायर किया है ;

(ख) क्या अन्य दक्षिणी राज्यों के उद्योगों द्वारा भी ऐसी ही कार्यवाही किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि तमिलनाडु और पांडिचेरी जौन की 10 चीनी मिलों ने सरकार द्वारा 22-12-1977 को 1977-78 मौसम के लिए लेवी चीनी के निर्धारित किए गए मूल्य को चुनौती दी है और उन्होंने ऊंचे मूल्य निर्धारित करने की मांग की है ।

(ख) और (ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचनानुसार, आन्ध्र प्रदेश की 16 चीनी मिलों और कर्नाटक की 9 मिलों ने भी उपर्युक्त मूल्य को चुनौती दी है। सरकार ने इन मामलों के बचाव के लिए पग उठाए हैं। अन्तरिम आदेशों के रूप में, मद्रास उच्च न्यायालय ने फैक्ट्रियों को 214.91 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की है (जबकि सरकार द्वारा 178.23 रु० प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित किया गया) था और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 226/- रु० प्रति क्विंटल की अनुमति दी है (जबकि सरकार द्वारा 173.45 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित किया गया था)। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी ऊंचे मूल्य की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सरकार अपने निर्णय पर कायम है और वह उसका बचाव करेगी।

DISBURSEMENT OF CONSUMER LOANS IN RURAL AREAS

1811. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the arrangements made by Government for disbursement of consumer loans in rural areas;

(b) the total amount provided therefor in 1977-78 and the amount utilised; and

(c) the provision made for the current financial year 1978-79 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) The Expert Committee on Consumption Credit had recommended that the re-organised primary agricultural credit societies will be the most appropriate agencies for advancing consumption loans in rural areas. The commercial banks and regional rural banks were also recognised as a supplemental source. In the areas where institutional arrangements were insufficient, the State Governments were expected to make adequate arrangements for meeting the requirements for consumption loans. The programme of re-organisation of the base level cooperative credit societies to form viable institutions with a trained and full-time paid Secretary or Manager had been taken up as a priority programme. The financial resources of the societies and the banks have been strengthened. The Reserve Bank of India has issued detailed guidelines regarding the issue of consumption loans by the cooperatives and commercial banks. The Government of India also provided special Central assistance to the State Governments during 1976-77 for meeting a part of the estimated consumption loans in areas where institutional credit was weak.

(b) and (c) The Government of India have not made any provision for consumption loans during 1977-78 and 1978-79, since such loans are to be given by institutional agencies or by arrangements to be made by the State Governments themselves.

OPENING OF LIQUOR SHOPS IN DELHI ON 30TH JANUARY

1812. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether all liquor shops in Delhi were opened on 30th January this year; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) Yes, Sir.

(a) The Delhi Administration has reported that, through inadvertance, January 30, 1978 could not be included while increasing the number of "dry days" in the Union Territory and that this omission stands rectified for the future.

नारियल बोर्ड

1813. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नारियल की फसल के विकास के लिए एक नारियल बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

AIR POLLUTION

1814. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA
SHRI P. K. KODIYAN } : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government are preparing any special programme for checking air pollution;

(b) whether Government have also conducted research about the causes of air pollution;

(c) whether Government would prepare any concrete programme for checking air pollution caused by power houses also; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) Yes, Sir. A legislation to control air pollution in the country is being processed and the necessary Bill will be introduced in the Parliament soon.

(b) The National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur, have set up air quality monitoring net works for assessing air pollution in a few selected stations in major cities in the country. Evaluation of data on air quality already collected has been undertaken by them.

(c) & (d) The Central Government have prepared guidelines for the thermal power project planners for incorporating air pollution control measures. The project report for every new thermal power station to be set up has to make specific mention of the pollution control measures to be adopted and every such report is scrutinised by the Department of Science and Technology.

LEVY CHARGED ON THE INTEREST CHARGED BY SCHEDULED BANKS

1815. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the Central Government charges 7 per cent interest levy on the interest charged by the Scheduled Banks as well as on the Interest charged by the Gujarat State Cooperative Banks;

(b) whether the Gujarat State Cooperative Bank Ltd. charges 7 per cent interest levy from Rajkot District Cooperative Bank Ltd.;

(c) whether the Rajkot District Cooperative Bank Ltd.; Gujarat State Cooperative Bank Ltd. and Government Societies take loan at the rate of 1 per cent, ½ per cent, and 1 per cent respectively and give loan to the small farmers at the low rate of 2½ per cent; if so, when Government propose to stop taking interest levy from the Cooperative Banks; and

(d) whether the All India State Cooperative Banks Federation has demanded that Government charge lower rate of interest on the loans given to the small farmers and stop charging interest levy; and if so, the action taken so far or proposed to be taken by the Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a), (b), (c) and (d) In terms of Clause 4 of the Interest Tax Act 1974, the Central Government levies a tax of 7% on the interest earned by Scheduled Banks from the assessment year commencing after the first day of April 1975. In the Budget proposals for the year 1978-79, presented on 28th February, 1978, the Interest Tax has been proposed to be abolished.

The Gujarat State Cooperative Bank, being a scheduled bank, is required to pay such interest tax. The rates of interest normally charged by the Gujarat State Cooperative Bank to the Rajkot district cooperative bank and those charged by Rajkot bank and affiliated societies are 8.0%, 10.5% and 12.5% respectively.

The Gujarat State Cooperative Bank has voluntarily introduced the scheme of differential rates of interest in favour of the small/marginal and economically weaker sections. Rates of interest charged on short term agricultural loans under the scheme by the Apex Bank, Central Cooperative Banks and Primary Credit Societies in Gujaratare 7 : 5. 8.5 and 10.0% respectively. The rate of interest to the members of weaker sections is 10 per cent as against 12.5% charged to other farmers. Thus the rate of interest to the weaker sections is lower by 2.5%.

The Federation had submitted a memorandum to the Finance Minister to exempt the scheduled State Cooperative Banks from payment of interest tax. As mentioned above, the Interest Tax is now proposed to be abolished. No request has been received from the All India State Cooperative Banks Federation regarding Government charging lower rate of interest on loans given to small farmers.

सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान

1816. **श्री बापू कालदाते** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 की अवधि के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए किन-किन संस्थाओं को मान्यता दी गई है और अनुदान दिए गए हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1977-78 के दौरान अनुदान देने के प्रयोजनार्थ अनुदान प्राप्त कर रही बहुत सी संस्थाओं की मान्यता समाप्त कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं और उनकी मान्यता समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) समाज कल्याण और संस्कृति विभागों की सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को मान्यता देने की कोई प्रणाली नहीं है। ऐसी संस्थाओं को योजनाओं/कार्यक्रमों के स्वीकृत ढांचे के अनुसार अनुदान दिए जाते हैं। अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की सूची संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1711/78]**।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

1817. **डा० बापू कालदाते** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास किया गया है और (एक) उन्हें किस स्थान पर बसाया गया है; (दो) प्रत्येक स्थान पर कितने तिब्बती विस्थापित हैं ; (तीन) प्रत्येक पुनर्वास पर कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ख) क्या यह राशि विदेश मंत्रालय के अनुदान खाते में लिखी जाती है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) एक विवरण, जिसमें भारत में बसाए गए कुल तिब्बती शरणार्थियों की संख्या, स्थान जहां पर उन्हें बसाया गया है और प्रत्येक स्थान पर बसाए गए शरणार्थियों की संख्या दी गई है, संलग्न है। भारत सरकार ने 31-3-1977 तक तिब्बती शरणार्थियों को राहत तथा पुनर्वास और शिक्षा प्रदान करने पर कुल 16.66 करोड़ रुपये व्यय किए हैं।

(ख) 1968-69 तक यह व्यय विदेश मंत्रालय के बजट के खाते में डाला जा रहा था। इसके पश्चात् यह व्यय पुनर्वास विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है।

विवरण

पुनर्वास का स्थान	व्यक्तियों की संख्या
1	2
अरुणाचल प्रदेश	
1. तेजु	1,900
2. तेजीगांव	1,350
3. नामचिक	1,359
कर्नाटक	
1. बैलाकुपे	3,700
2. कावेरी घाटी	4,549
3. मुण्डगोड	4,093
4. लामा बस्ती (मुण्डगोड और बैलाकुपे)	916
5. वृद्धों के लिए गृह	547
6. कोलगेल	3,030
7. चौकुर	312
सिक्किम	
1. रूमताक, केवजिंग	1,300
2. केवजिंग, रोबांग	1,000

1	2
उड़ीसा	
1. चन्द्रगिरी/मोहेन्द्रगढ़	2,614
महाराष्ट्र	
1. गोंथागांव	900
मध्य प्रदेश	
1. मेनपत	1,883
हिमाचल प्रदेश	
1. तिब्बती औद्योगिक पुनर्वास समिति	4,688
2. दौलांजी	170
उत्तर प्रदेश	
1. देहरादून (क्लेमेन्ट टाउन)	600
जम्मू और काश्मीर	
1. लेह	1,523
2. स्पीतुक	166

टिप्पणी :— (1) लगभग 3,000 तिब्बती शरणार्थियों को भूटान में बसाया जा चुका है ।

(2) लगभग 10,000 शरणार्थी स्वयं लघु व्यापार/रोजगार में बस गए हैं ।

SURVEY REGARDING SCHOOLS UNDER TREES

†1818. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have conducted any survey to ascertain the number of primary schools in the country where the girls and boys are taught by the teachers under the trees;

(b) if so, the State-wise number thereof; and

(c) the amount sanctioned by Government during the current year for construction of buildings ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) . (a) Yes, Sir. The Third Educational Survey which was conducted in the country with 31st December, 1973 as the reference date, collected information on the type of accommodation in which primary schools had been functioning. According to the findings of the survey, out of 4,55,729 primary schools, as on 31-12-1973, 27,707 (6.08%) primary schools were functioning in open space.

(b) A statement is attached.

(c) The Government of India do not give any grant directly for the construction of primary school buildings in the country. State Governments incur expenditure on primary school buildings out of their Plan or non-Plan provisions.

STATEMENT

Number of Primary Schools Functioning in Open Space (As on 31-12-1973)

Sl. No.	Name of the State Union Territory	Total No. of Schools	No. of Schools functioing in open space
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	36974	1173
2.	Assam	19696	744
3.	Bihar	50426	7506
4.	Gujarat	22371	698
5.	Haryana	5281	123
6.	Himachal Pradesh	3922	154
7.	Jammu & Kashmir	5576	139
8.	Karnataka	21988	68
9.	Kerala	7051	7
10.	Madhya Pradesh	48967	2342
11.	Maharashtra	31093	758
12.	Manipur	3160	..
13.	Meghalaya	3044	3
14.	Nagaland	979	..
15.	Orissa	31822	2823
16.	Punjab	9427	729
17.	Rajasthan	19603	1217
18.	Tamil Nadu	26820	47
19.	Tripura	1487	14
20.	Uttar Pradesh	63025	8177
21.	West Bengal	39132	968
22.	A. & N. Islands	144	..
23.	Arunachal Pradesh	483	..
24.	Chandigarh	39	
25.	Dadra & Nagar Haveli	135	..
26.	Delhi	1469	3
27.	Goa Daman & Diu	834	4
28.	Lakshadweep	19	..
29.	Mizoram	416	..
30	Pondicherry	286	10
	TOTAL	455729	27707

ग्रामीण आवास कार्यक्रम

1819. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्य आरम्भ करने के बारे में सोच रही है ;

(ख) निर्माण और आवास शीर्षक के अन्तर्गत इस वर्ष कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ग) इस बारे में राज्यवार कितना धन व्यय किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की आवासीय स्थिति को सुधारने की दृष्टि से सरकार ने दो योजनायें आरम्भ की हैं, नामतः ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना। ये दोनों प्लान योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं।

आवास तथा नगर विकास निगम ने भी उन एजेन्सियों को ऋण देने की योजना आरम्भ की है जो राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए नामित की गई हैं। ये ऋण कम लागत के मकान बनाने के लिए उपलब्ध होंगे जिसकी अधिकतम लागत 4000 रुपये होगी। आवास तथा नगर विकास निगम परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत के बराबर ऋण देगा तथा शेष राशि निर्माण एजेन्सी द्वारा अपने संशोधन से जुटाई जाएगी जो आबंटी के अपने अंशदान अर्थात् नकद राशि या श्रम, राज्य सरकार से राज्य सहायता/तथा अथवा ऋण के रूप में हो सकती है।

(ख) तथा (ग) आवास सहित सभी राज्य क्षेत्र प्लान योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को 'समेकित ऋणों' तथा "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है जो किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती। राज्य सरकारें निधियों को अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार ग्रामीण आवास सहित विभिन्न राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए उपयोग करने में स्वतंत्र है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वर्ष 1977-78 के लिए आवास की अनुमोदित प्लान आउट ले 133.20 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र प्लान योजना तथा बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के लिए वर्ष 1977-78 की अनुमोदित प्लान आउट ले 2.10 करोड़ रुपये है।

चावल और धान के विशिष्टिकरण में छूट देने के बारे में आंध्र प्रदेश का अनुरोध

1820. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री के० मालन्ना
श्री के० प्रधानी
श्री डी० बी० चन्द्र गोडा } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चावल और धान के विशिष्टिकरण के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार का अनुरोध अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) समूचे आन्ध्र प्रदेश राज्य की बजाय केवल तुफान से प्रभावित जिलों के उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए धान की निर्दिष्टियों में कुछ ढील देना स्वीकार कर लिया गया है ।

संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को समाप्त करने के संदर्भ में और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सामान्य ढील देना व्यवहार्य नहीं समझा गया था ।

कालेज पाठ्यक्रम में पर्यावरण स्वास्थ्य अध्ययन

1821. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से कालेज पाठ्क्रम में पर्यावरण स्वास्थ्य अध्ययन लागू करने का आग्रह किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चद्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) कालेज स्तरीय पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में, पर्यावरण स्वास्थ्य अध्ययन, एक विषय के रूप में प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

कृषि विस्तार प्रशासन के लिए केन्द्रीय सहायता

1822. **श्री के० राममूर्ति**
श्री चतुर्भुज } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों को, जिन्होंने कृषि विस्तार प्रशासन के पुनर्गठन संबंधी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है, दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस मामले में कितने राज्यों ने अभी विशिष्ट प्रस्तावों को तैयार करना है और इस कार्य को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) राज्यों में कृषि विस्तार प्रशासन के पुनर्गठन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 1977-78 के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राज्यवार केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित है :—

राज्य	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता की धनराशि (रुपए लाखों में)
असम	19.10
मध्य प्रदेश	5.95
उड़ीसा	85.86
राजस्थान	38.64
पश्चिम बंगाल	48.20
योग	197.75 लाख रुपए

आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक की सरकारों ने केन्द्रीच सहायता के लिए अपने-अपने प्रस्ताव हाल ही में भेजे हैं जो विचाराधीन हैं।

अन्य राज्यों ने केन्द्रीय सहायता के लिए अपने प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजे हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे प्रस्ताव शीघ्र भेज दें।

व्यावसायिक सर्वेक्षण

1823. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 150 जिलों का क्रमिक ढंग से व्यावसायिक सर्वेक्षण करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने जिलों में ऐसा सर्वेक्षण पूरा किया गया है ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अभी तक असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा के 50 चुने हुए जिलों में व्यावसायिक सर्वेक्षण के संचालन के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। कार्य चल रहा है और सर्वेक्षण रिपोर्टें अभी प्राप्त होनी हैं। कुछ मामलों में देरी का कारण राज्य सरकारों द्वारा अनुभव की गई कुछ प्रशासनिक और प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां हैं।

दिल्ली में बाढ़ के कारण हानि

1824. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की बाढ़ से दिल्ली की कुल कितनी हानि हुई है ;

(ख) दिल्ली में बाढ़ की रोकथाम के लिये क्या योजना बनाई गई है ;

(ग) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) यह योजना कब पूरी होगी और इसकी लागत क्या होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार 1977 में दिल्ली में बाढ़ के कारण लगभग 618 लाख रुपए की हानि हुई है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली प्रशासन के साथ सलाह करते हुए साहिबी नदी की बाढ़ समस्या के समाधान के लिए एक एकीकृत योजना तैयार कर रहा है। भारत सरकार द्वारा स्थापित कार्यकारी दल और निदेशन समिति ने प्रस्तावित मास्टर योजना के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रस्थापनाएं प्रस्तुत की हैं :—

(i) राजस्थान में अजमेरीपुरा में साहिबी नदी पर एक बांध का निर्माण।

(ii) हरियाणा में निरोधक बेसिन/बराज का निर्माण।

(iii) दिल्ली के नजफगढ़ नाले की मौजूदा 3000 क्यूसेक क्षमता में वृद्धि करना।

केन्द्रीय जल आयोग इन प्रस्थापनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक सक्षमता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कर रहा है। वैकल्पिक प्रस्थापनाओं की भी जांच की जा रही है। मास्टर योजना के तैयार हो जाने के बाद ही यह पता चलेगा कि इसके क्रियान्वयन पर कितनी लागत आयेगी और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा।

मास्टर योजना के तैयार होने तक, दिल्ली प्रशासन का विचार बाढ़-नियंत्रण के कुछ अन्तरिम उपाय करने का है, जैसे धांसा बांध को मजबूत बनाना, नजफगढ़ नाले और उसके सहायक नालों के किनारों को मजबूत बनाना, आदि।

दिल्ली में अनधिकृत मारकीटों का निर्माण

1825. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत 9 महीनों में दिल्ली में अनेक अनधिकृत मार-कीटें बनाई गई हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और अन्य एजेन्सियों ने उन लोगों के साथ सांठ-गांठ कर रखी है, जो ऐसी अनधिकृत मारकीटें बना रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार को मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि गत 9 महीनों में अभी तक एक भी ऐसी मारकीट नहीं गिराई गई है ;

(ङ) दिल्ली में मारकीटों के अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(च) गत एक वर्ष में सरकार को इस बारे में कितनी शिकायतें मिली हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि स्टाफ के गुप्त साजिश के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, इनका संबंध स्थानीय स्वायत्त शासन से है, जिन्होंने ऐसे स्टाफ के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही भी की है जो अपनी ड्यूटी की अवहेलना करता पाया गया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माणों को गिराने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए एक विशेष दल का गठन किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्टाफ द्वारा उनके क्षेत्रों में उनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अनधिकृत निर्माणों का पता लगाने के लिए नियमित गश्त लगाई जाती है। अनधिकृत निर्माणों को सुनिश्चित करने के बाद कानून की उचित-प्रक्रिया द्वारा उन्हें गिराया जाता है।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण को सदर बाजार क्षेत्र के बारे में तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दिल्ली नगर निगम निर्मित अनधिकृत मार्कीटों का कोई अलग से रिकार्ड नहीं रख रहा है।

पीतमपुरा आवासीय योजना कालोनी में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था

1826. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतमपुरा आवासीय योजना कालोनी, दिल्ली में इस बीच आवश्यक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करा दी गई हैं ;

(ख) वहां पार्क, सड़क, पानी, मल निष्कासन व्यवस्था, स्कूल भवन तथा मार्कीट और गलियों में प्रकाश व्यवस्था के बारे में क्या स्थिति है ; और

(ग) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने गलियों में प्रकाश व्यवस्था के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पास राशि जमा कर दी थी, यदि हां, तो कब और तब से वहां गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करने के मामले में क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) नागरिक सेवाओं की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है। विभिन्न विकास कार्यों की स्थिति इस प्रकार है :—

(1) **पार्क** : सीमांकन और जंगले की बाढ़ की व्यवस्था पाकेट 'बी' दक्षिणी और 'एस' उत्तरी के सिवाये सभी पाकिटों में कर दी गई है। पाकेट 'बी' दक्षिणी और 'एस' उत्तरी के निर्माण कार्यों के लिए टेंडर मंगाए जा रहे हैं। 3.5 एकड़ के आकार के एक पार्क का विकास किया जा चुका है।

(2) **सड़कें** : सड़क निर्माण कार्य पाकेट 'के' और 'टी' के सिवाये चरण-1 तक पूरा किया जा चुका है।

(3) **जलपूर्ति** : 80 प्रतिशत पानी के पाइप बिछाये जा चुके हैं। 'डी' 'एच' के पूर्वी "यू० टी०" (उत्तरी) और 'सी' और 'जी' (दक्षिणी) के पाकिटों में कार्य डिजाइन, अनुमान, टेंडर और आबंटन के विभिन्न चरणों में है। अन्तरिम प्रबंधों के रूप में कुछ नलकूप लगाये गए हैं।

(4) **सीवरेज** : वह पाकेट जो मूलतः ग्रुप आवास के लिए निर्धारित किया गया था जहां कार्य डिजाईनिंग, अनुमान टेंडर और आबंटन के विभिन्न चरणों में है, के सिवाय मुख्य योजना का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। मल व्ययन के अन्तरिम निपटान के लिए नलकूप और आक्सिकृत तालाब आदि का प्रस्ताव है जिनके लिए डिजाइनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(5) **स्कूल** : दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुविधायें उपलब्ध की जा चुकी हैं।

(6) **सड़क की बत्तियां** : सितम्बर, 1976 में निधियों को दिल्ली विद्युत वितरण संस्थान के पास जमा करा दिया गया था और कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

DAIRY DEVELOPMENT SCHEME UNDER DROUGHT PRONE AREAS PROGRAMME IN BETUL, MADHYA PRADESH

1827. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the steps taken to implement dairy development scheme approved by Government in Betul district in Madhya Pradesh under D.P.A.P. Programme; and

(b) whether this scheme could not be implemented so far due to negligence on the part of higher officers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) An allocation of Rs. 37.50 lakhs has been made under DPAP for Betul district for the current year for Cattle and Dairy Development Programme by the Government of India. The Programme envisages establishment of 500 dairy units, organisation of 75 dairy cooperative societies, establishment of one chilling centre, establishment of one semen collection centre, organising training for 75 cooperative societies, calf starter subsidies for female cows, supply of medicines to 27 veterinary hospitals and dispensaries and setting up a technical/project cell.

(b) There was some delay in issue of the sanction by the State Government since provision for these scheme was included as a new item of expenditure in the State Budget and certain formalities were to be completed. State Government expect to utilise the provision by the end of March, 1978.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरिंग स्नातक

1828. **श्री अघन सिंह ठाकुर** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरिंग स्नातकों की आवश्यकता के बारे में 19 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4498 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई गत तीन परीक्षाओं में जूनियर इंजीनियरों (सिविल) के पद के लिए चुने गए स्नातकों और डिप्लोमाधारियों की अलग-अलग संख्या क्या है ;

(ख) उपरोक्त चयनों के परिणामस्वरूप कितने स्नातकों और कितने डिप्लोमाधारियों ने सेवा में प्रवेश किया ; और

(ग) गत तीन वर्षों में कितने स्नातक जूनियर इंजीनियरों ने अपने पदों से त्यागपत्र दिया ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त)

(क) परीक्षा का वर्ष

	चयन किए गए उम्मीदवारों की संख्या	
	स्नातक	डिप्लोमा होल्डर
जनवरी, 1976	24	284
अक्तूबर, 1976	64	487
जुलाई, 1977	142	330

(ख) परीक्षा का वर्ष	उपर्युक्त चयन किए गए उम्मीदवारों में से उन उम्मीदवारों की संख्या जो नौकरी पर आए	
	स्नातक	डिप्लोमा होल्डर
जनवरी, 1976	11	248
अक्तूबर, 1976	27	362
जुलाई, 1977 . . .	48	283

(ग) 26 (छब्बीस)

दिल्ली विकास प्राधिकरण में धन का दुर्विनियोग

1829 **श्री समर मुखर्जी**
डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा लगाये गए इस आरोप की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि सरकार प्राधिकरण में व्याप्त बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को छिपा रही है और 200 करोड़ रुपये की आवर्ती निधि रहस्यमय ढंग से गायब हो गई है ;

(ख) क्या डी० डी० ए० की दुर्व्यवस्था के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने और एक उच्चाधिकार प्राप्त केन्द्रीय जांच के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या जांच पड़ताल के दौरान भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा ; और

(घ) अगर-भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) तथा (घ) दिल्ली के उप-राज्यपाल से अनुरोध किया गया है कि आरोपों पर एक रिपोर्ट भेजें ।

भूमि सुधार द्वारा छोटे तथा सीमान्त किसानों की स्थिति में सुधार

1830. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार भूमि सुधार द्वारा छोटे तथा सीमान्त किसानों के हितों की रक्षा के लिए तथा गांवों में उनकी क्रय शक्ति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : छोटे व सीमान्त कृषकों की सहायता के लिए निम्नलिखित भूमि सुधार उपाय किये गए हैं :—

(क) राज्य सरकारों से खेती करने वाले पट्टेदारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

(ख) पट्टेदारी जारी रहने तक इसका कठोरता से नियमन किया जाना चाहिए जिससे कि पट्टेदार को जान बूझकर बेदखल न किया जा सके या उससे अत्याधिक लगान वसूल न किया जा सके ।

(ग) कई राज्यों में भूस्वामियों का पट्टेदारों से भूमि वापिस लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है । जहां ऐसा अधिकार विद्यमान है, इसका क्रियान्वयन इस शर्त के साथ होता है कि एक न्यूनतम क्षेत्र पट्टेदार के पास रहेगा ।

(घ) भूमि की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत फालतू घोषित भूमि के आबंटियों को अपनी भूमियों को कृषि के अन्तर्गत लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ।

तूफान के विनाश के पश्चात् राज्यों को सप्लाई किये गये खाद्यान्न की मात्रा

1831. **श्री समर मुखर्जी**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी राज्यों में तूफान के विनाश के पश्चात् राज्य सरकारों को राज्यवार खाद्यान्न की कितनी मात्रा की सप्लाई की गई ; और

(ख) तूफान के विनाश के पूर्व तथा उसके पश्चात् भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न के स्टाक की स्थिति क्या थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गये खाद्यान्नों के कुल आबंटन और आबंटनों के प्रति राज्य सरकारों द्वारा ली गई वास्तविक मात्रा इस प्रकार है :—

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

राज्य			खाद्यान्नों का कुल आबंटन	राज्य सरकार द्वारा ली गई कुल मात्रा
आन्ध्र प्रदेश	नव०	1977	24.0	12.5
	दिस०	1977	44.0	7.2
केरल	नव०	1977	156.0	94.8
	दिस०	1977	159.6	104.5
तमिल नाडु	नव०	1977	140.67	78.4
	दिस०	1977	125.71	103.0
कर्नाटक	नव०	1977	30.4	24.0
	दिस०	1977	30.0	23.7

टिप्पणी :—(i) ऊपर बताए गये खाद्यानों के कुल आबंटन में राज्य सरकारों की मांगों के प्रति सामान्य मासिक आबंटनों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को किए गये आबंटन और केरल, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तूफान से प्रभावित क्षेत्रों को देने के लिए मुक्त सहायता के रूप में किए गये विशेष आबंटन शामिल हैं। जहां तक केरल का संबंध है, खाद्यानों के आवंटन में सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के देख-रेख पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर मुहैय्या करने की योजना के अधीन किए गये आबंटन भी शामिल हैं।

(ii) तमिल नाडु के अन्तर्गत दिए गये आंकडों में पांडिचेरी भी शामिल है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास पड़े खाद्यान्नों जिनमें चावल के हिसाब से धान भी शामिल है, की स्टाक स्थिति इस प्रकार थी :—

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

राज्य	1-11-1977 को	1-1-1978 को
आन्ध्र प्रदेश	1082.9	995.1
केरल	336.9	313.4
तमिल नाडु	1031.5	985.8
कर्नाटक	325.8	353.3

अनाज के स्टाक और उसके सार्वजनिक वितरण के बीच भण्डारण अंतर

1832. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अनाज के स्टाक और उसके सार्वजनिक वितरण के बीच कितना अन्तर होने की सम्भावना है; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास इस समय अनाज का कितना स्टाक है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के पास 1-2-1978 को खाद्यान्नों का कुल स्टाक लगभग 143 लाख मीटरी टन था जिसमें से लगभग 92 लाख मीटरी टन खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम के निजी और किराए पर लिए गये कवर्ड स्थान और लगभग 51 लाख मीटरी टन कैप स्टोरेज (कवर तथा प्लिंथ) में स्टोर किया गया था। 1978 की शेष अवधि में भण्डारण स्थान संबंधी अन्तर के बारे में बताना कठिन है क्योंकि यह आन्तरिक वसूली के स्तर और सार्वजनिक वितरण के स्तर, जोकि स्वयं बहुत से विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करते हैं, पर निर्भर करेगा। तथापि, अतिरिक्त वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता तैयार करने के लिए प्रत्येक प्रयास किये जा रहे हैं।

कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कालिजों के लिए विकास अनुदान

1833. **श्री भगत राम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कालेजों को विकास अनुदान मिल रहा है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने कालेज, शर्तें पूरी न करने के कारण इस अनुदान का लाभ नहीं उठा सकते ; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा के मामले में सहायता करने के लिए कौन से प्रस्ताव विचाराधीन है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने हाल ही में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों को सहायता देने के उद्देश्य से न्यूनतम पात्रता शर्तों में ढील देने का निर्णय लिया है। ढील युक्त इन शर्तों के अनुसार किसी ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्र में स्थित कोई कालेज आयोग से विकास सहायता का हकदार होगा यदि उसमें दाखिल छात्रों की संख्या 200 और अध्यापकों की संख्या 10 है जबकि इसकी तुलना में आम अपेक्षा क्रमशः 400 और 20 है। ढील युक्त शर्तों के अन्तर्गत जिन कालेजों को सहायता दी गई थी और जो सहायता प्राप्त नहीं कर सके थे उनकी राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

ढील युक्त शर्तों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जिन कालेजों को सहायता दी गई थी और जो कालेज यह सहायता प्राप्त नहीं कर सके थे उनकी संख्या दर्शाने वाला राज्यवार विवरण ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	ढील युक्त शर्तों के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले कालेजों की संख्या	सहायता प्राप्त न कर सकने वाले कालेजों की संख्या
1.	केरल	16	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	31	8
3.	कर्नाटक	2	14
4.	तमिलनाडु	7	5
5.	राजस्थान	18	12
6.	महाराष्ट्र	25	14
7.	बिहार	64	14
8.	उड़ीसा	17	14
9.	नागालैंड	1	—
10.	मेघालय	4	—
11.	मिजोरम	2	—
12.	पश्चिम बंगाल	36	—
13.	असम	15	—
14.	मणिपुर	5	2
15.	अरुणाचल प्रदेश	—	1
16.	पंजाब	19	2
17.	हरियाणा	9	1
18.	जम्मू और कश्मीर	15	1
19.	गुजरात	3	7
20.	मध्य प्रदेश	3	14
21.	उत्तर प्रदेश	98	42

बालाघाट जिले से प्राप्त किया गया चावल

1834. **श्री कचरू लाल हेमराज जैन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से कुल कितना चावल प्राप्त किया और किन दरों पर प्राप्त किया ; और

(ख) जिले की छोटी सिंचाई योजना के संबंध में सरकार का क्या रुख है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सरकारी एजेन्सियों द्वारा वसूल किए गए चावल की मात्रा और जिस दर पर वसूल किए गए, का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

खरीफ विपणन मौसम	वसूल की गई मात्रा (मीटरी टन में)	वसूली दर (रुपये प्रति क्विंटल)
1974-75 . . .	2178	116–128
1975-76 . . .	19954	120–132
1976-77 . . .	16461	121–133

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1975-76 में निकाले गए आंकड़ों के अनुसार, बालाघाट जिले में बोया गया कुल निवल क्षेत्र 6.79 लाख एकड़ बैठता है, जिसमें से 2.69 लाख एकड़ सिंचाई के अन्तर्गत आता है। यह समस्त राज्य की 9.6 प्रतिशत की औसत के प्रति 39.6 प्रतिशत बैठता है। 1976-77 और 1977-78 के दौरान, 247.43 लाख रुपये की लागत की कुल 16 लघु सिंचाई योजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनके अधीन 17665 एकड़ में सिंचाई करने का प्रस्ताव है। इनमें से 198.67 लाख रुपये की लागत की 14 योजनाएं आदिवासी क्षेत्रों में हैं और आशा है कि इनसे 14005 एकड़ में सिंचाई होगी। कुल मिलाकर, इस जिले में 350 लाख रुपये की लागत के 79 लघु सिंचाई वर्क्स निर्माणाधीन हैं।

GROUNDNUT IN SAURASHTRA, GUJARAT

1835. **SHRI DHARMASINHBHAI PATEL** : Will the Minister of **AGRICULTURE AND IRRIGATION** be pleased to state :

(a) whether a scheme has been prepared by Dr. Kurian for increasing groundnut production in Saurashtra region of Gujarat, and if so, the details thereof;

(b) the outlay involved in the implementation of this scheme and how this outlay will be utilized;

(c) when and how much groundnut production is likely to go up thereby; and

(d) whether any assistance from the World Bank is likely to be received for the purpose and if so, when and the amount and value thereof ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Yes, Sir. The object of the scheme formulated by Dr. Kurian for Gujarat is to help the cultivators to adopt production techniques which will decrease the vulnerability of the groundnut crop to climatic variations while also raising yields and offering year to year price stability thereby increasing growers' income. For this purpose, production, processing and marketing of groundnut will be coordinated by organising a federation of oilseeds growers cooperatives. The main features of the scheme are :—

(i) Arrange production of seeds and supply the same to the growers cooperatives by establishing farms at suitable sites. These farms may also serve the purpose of adaptive research.

(ii) Procurement of the produce at a coordinated price and arrange for processing.

(iii) Marketing of vegetable oils through consumers' cooperatives.

(b) Exact amount of outlay is not known at present. However, the estimated outlay is Rs. 150 crores over a period of seven years. The outlay will be utilised in arranging coordinated production, processing and marketing of groundnut.

(c) Estimates of likely increase in the production of groundnut by the implementation of the scheme have not so far been worked out.

(d) No assistance from World Bank is envisaged to be received for the purpose. However, the funds required for the project are proposed to be generated by the disposal within India of the gift supplies of oilseeds and vegetable oils.

DEMAND FOR INCREASE IN SUGARCANE PRICE

1836. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in a rally organised in Delhi on 23-12-77 on "Kisan Diwas" the price of sugarcane was declared or demanded at Rs. 15 per quintal and if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard;

(b) the State-wise price of sugar cane per quintal since November, 1977 to date, month-wise; and

(c) the steps taken by Government to ensure that farmers get fair price of sugarcane in times ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) It was learnt through the news paper reports that a resolution for demanding Rs. 15 per quintal as price of sugarcane was passed by the rally. No such demand was, however, received officially. No action as such has been taken.

(b) A statement showing the minimum notified price and the actual price being paid by factories during the current sugar season (1977-78) is attached. (Appendix-I).

(c) The following steps have been taken by Government to ensure payment of cane price to cane growers in time :

(i) as a deterrent to the sugar factories delaying payment of cane price, the Sugarcane (Control) Order has been amended w.e.f. 2-2-78 to provide for interest at the rate of 15% on delayed payments;

(ii) From 1-3-78 the ex-factory prices of levy sugar have been increased by Rs. 18.03 per quintal in all the zones to enable the factories to function in a viable manner and to pay the State advised prices; and

(iii) a continuous dialogue is maintained with the State Governments to keep the cane price arrears at the minimum.

APPENDIX-I

Statement referred to in reply to part (b) of Unstarred Question No. 1836 for answer in the LOK SABHA on the 6th March, 1978.

Statement showing the range of sugarcane price notified for factories in different States and the prices actually paid/being paid by factories at Gate during 1977-78 season as per information furnished by Factories

(Rs. per quintal)

State	Minimum notified price	Price paid by factories.
Uttar Pradesh	8·50 to 11·00	12·50 @ to 13·50
Bihar	8·50 to 10·80	12·25 to 12·50
Punjab	8·60 to 10·20	13·50
Haryana	8·50 to 9·80	13·50
Assam	8·50 to 9·10	11.00+ Transport Subsidy
West Bengal	9.30 to 9·40	12·50 to 14·50
Orissa	8·50 to 8·80	11·00 to 14·20
Madhya Pradesh	8·50 to 10·20	12·50
Rajasthan	8·50 to 10·20	12·25 to 14·25
Maharashtra	8·50 to 12·40	9·30* to 16·20*
Gujarat	8·50 to 11·80	9·00* to 14·13*
Andhra Pradesh	8·50 to 10·80	9·50* to 12·00*
Tamil Nadu	8·50 to 10·00	@@9·30* to 12·70*
Karnataka	8·50 to 11·30	10.60* to 14·60*
Kerala	8·50 to 8·60	13·00
Pondicherry	8·70	9·30*
Nagaland	8·60	11.25
Goa	8·60	16·50

NOTE:—@One factory "Kashi" has reported to have paid Rs. 12·25 per quintal.
*These are the provisional prices paid as advance mostly ex-field by Co-operative factories.
@@One factory (Vellor) had sarted paying initially at Rs. 8·50 per Qtl. but now it is paying Rs. 11·50 per Qtl.

IRRIGATION FACILITIES IN STATES

1837. SHRI DHARAMASINHBHAI PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the per acre or hectare irrigation facilities State-wise, available at present for the cultivation of wheat, cotton, groundnut, paddy and sugarcane;

(b) the reasons why Gujarat is having the lowest rate of irrigation facilities among all the States;

(c) the steps Government propose to take to increase irrigation facilities in Gujarat or bring the State at par with other States; and

(d) whether a programme is being chalked out to provide uniform irrigation facilities to all the States ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) The percentage of area irrigated to the total cropped area under paddy, wheat, cotton, groundnut and sugarcane in different States as per the latest Land Utilisation Statistics for the year 1974-75 (for which latest statistics are available) is given in Annexure I.

(b) It would appear from Annexure I that the percentage of irrigation facilities available under different crops is not the lowest in Gujarat although these are lower than all India percentages. The low percentage of irrigation in the State is mainly due to inadequate water resources particularly in the north Gujarat, Saurashtra and Kutch regions because of low rainfall confined to about 4 months in a year.

(c) The State Government have taken up a number of major-medium and minor irrigation schemes to increase the irrigation facilities and financial allocations for this programme are being raised from Plan to Plan.

(d) The development of irrigation facilities in a region depends upon the availability of water resources and efforts, are being made to fully exploit the usable resources in each State as expeditiously as possible.

STATEMENT

Sl. No.	Name of State	Paddy (Rice)	Wheat	Ground-nut	Sugar-cane	Cotton
1.	Andhra Pradesh	95·1	60·0	15·6	98·5	12·1
2.	Assam (a)	33.8	..	..	..	..
3.	Bihar	33·3	63·9	..	27·0	38·2
4.	Gujarat	24·8	74·1	2·9	73·2	18·9
5.	Haryana	93·1	88·6	9·1	89·4	98·8
6.	Himachal Pradesh	54·8	16·9	..	25·0	..
7.	Jammu & Kashmir	92·0	23·0	..	100·0	5·5
8.	Karnataka	63·5	12·7	6·3	100·0	7·2
9.	Kerala	61·1	..	..	40·0	..
10.	Madhya Pradesh	12·7	22·1	0·4	95·1	3·1
11.	Maharashtra	25·7	39·1	2·6	100·0	3·0
12.	Manipur	42·6	..	..	..	..
13.	Meghalaya	45·0	..	..	..	..
14.	Nagaland	58·5	..	..	..	..
15.	Orissa	24·4	81·8	25·2	..	..
16.	Punjab	95·3	88·9	22·6	89·4	99·1
17.	Rajasthan	40·0	71·6	6·6	96·1	76·8
18.	Sikkim	..	..	..	..	..
19.	Tamilnadu	90·6	..	17·3	180·0	40·0
20.	Tripura	7·0	69·0	..	50·0	..
21.	Uttar Pradesh	20·8	74·5	0·7	71·6	88·9
22.	West Bengal (b)	28·7	40·5	..	40·7	..
23.	Total States.	38·8	61·5	8·6	76·4	21·6

(a) Based on the figures for year 1953-54.
(b) Based on the figures for year 1967-68.

समुद्री तूफान से प्रभावित लोगों के लिये अमरीकी सोयाबीन तेल

1838. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री तूफान से प्रभावित लोगों के लिये भेजा गया अमरीकी सोयाबीन तेल रास्ते में ही उड़ा लिया गया है ;

(ख) क्या सहायता के रूप में अमरीका से भेजे गये सोयाबीन तेल के बहुत से खाली टिन मध्य प्रदेश में सिहोर कस्बे के निकट एक जोहड़ में पाये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे जघन्य अपराध करने वाले गिरोह का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या ऐसे गिरोह का इस बीच पता लगा लिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) तक कृषि विभाग को इस विषय में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों से इस संबंध में परामर्श किया जा रहा है।

WRITING HISTORY OF FREEDOM MOVEMENT

†1839. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether authentic version of history of revolutionaries of freedom struggle of the country has not been written by Government;

(b) if so, the reasons therefor ?

(c) whether Government propose to have such a history written; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a), (b), (c) and (d) The Government has published "History of Freedom Movement" of India edited by Dr. Tara Chand in four volumes. The Government has also published three volumes of "Who is Who of Indian Martyrs". Besides these the Government has no proposal to publish a separate history of revolutionaries of freedom struggle of the country. The Government is of the opinion that the publication of the history can best be left to the historians themselves.

AVAILABILITY OF MUSK AND PROTECTION TO MUSKDEERS

1840. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state the steps being taken by Government for making available musk for indigenous use and export by protecting and increasing the number of muskdeers in the country ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : The Musk Deer has become an endangered species as a result of excessive hunting and poaching for indigenous and export trade. To protect it from extinction, it has been included in Schedule I of the Wildlife (Protection) Act, 1972, under which hunting of the Musk Deer is banned. Export trade of musk is also not allowed with its inclusion in Part 'A' of Schedule I of the Export Trade Control Order.

With the protection given to Musk Deer in some of the Wildlife reserves in its mountain habitates, it is hoped that its numbers will increase. Government have no proposal at this stage to make musk available for indigenous and export trade.

CENTRAL AID FOR MINOR IRRIGATION SCHEME IN JHALAWAR, RAJASTHAN

1841. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state the names of minor irrigation schemes in Jhalawar district of Rajasthan for which the Central assistance is being given and the present position in respect of each scheme and when these are likely to be completed ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : Central assistance is given in the form of block loans and grants for State Annual Plan as a whole and is not related to any specific head of development/scheme. As such, question of giving Central assistance for minor irrigation schemes in Jhalawar district of Rajasthan does not arise.

हिमालयी जल संसाधनों को उपयोग में लाना

1842. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री श्याम सुन्दर गुप्त } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसाकि 6 फरवरी, 1978 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है प्रधानमंत्री द्वारा गोहाटी में हाल ही में घोषित की गई हिमालयी जल संसाधन को उपभोग में लाने संबंधी योजना का विशिष्ठ स्वरूप क्या है ; और

(ख) इस योजना से क्या उद्देश्य प्राप्त किये जाने हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कितनी धनराशि और कितने समय की आवश्यकता होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) हिमालय के जल संसाधनों को उपयोग में लाने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। लेकिन केप्टन दस्तूर ने एक गारलैंड नहर स्कीम का सुझाव दिया है, जिसमें हिमालय को दक्षिणी ढलानों के साथ-साथ रावी को ब्रह्मपुत्र से जोड़ने वाली एक हिमालय नहर के निर्माण की परिकल्पना की गई है जिसका विस्तार ब्रह्मपुत्र से आगे तक होगा और जिसमें एकीकृत जलाशय होंगे तथा हिमालय नहर के समकोण पर दो-दो मील के फासले पर सहायक नहरें होंगी। हिमालय नहर के पानी को केन्द्रीय और दक्षिणी गारलैंड नहर नामक एक अन्य नहर में, जो मध्य और दक्षिणी प्रायःद्वीप के चारों ओर होकर गुजरेगी, दो स्थानों पर 12–12 फुट व्यास वाली पांच पाइपों द्वारा (जिनमें आवश्यकता पड़ने पर वृद्धि की जा सकती है) ट्रांस्फर करने का भी विचार है। केन्द्रीय और दक्षिणी गारलैंड नहर के अन्तर्गत विभिन्न नदियों पर 200 एकीकृत जलाशय होंगे और मुख्य नहर से दो-दो मील के फासले पर सहायक नहरें होगी। नागौर के निकट 300 मिलियन एकड़ फुट क्षमता वाले जलाशय और सोन नदी पर 100 मिलियन एकड़ फुट क्षमता वाले जलाशय के निर्माण की भी प्रस्थापना की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए हिमालय के जल-साधनों का उपयोग किया जाए।

इस स्कीम का संबंध कई जटिल मुद्दों से है और अभी इतनी जल्दी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस पर कितनी लागत आएगी और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा।

AIR POLLUTION IN DELHI

1843. **SHRI HARGOVIND VERMA** : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have held talks with American firm to check air pollution in Delhi; and

(b) if so, the name of this firm, and terms and conditions ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) and (b) The Delhi Electric Supply undertaking had invited one Expert from the American firm M/s Air Correction Division of M/s Universal Oil Products Co. to study the conditions of the existing anti-pollution equipments of units No. 2, 3 and 4 of the Indraprastha Power Station and to advise them about improving their performance. The expenditure on travelling and stay of the expert of the firm in India, was agreed to be borne by the Delhi Electric Supply Undertaking.

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की प्रस्तावित विशाल रैली

1844. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए 27 मार्च, 1978 को संसद के समक्ष एक विशाल रैली करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार को उनकी मांगों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी)

(क) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ALLOTMENT OF TENEMENTS TO WEAKER SECTIONS BY DDA

1845. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that D.D.A. has made an announcement in January, 1978 to allot tenements to weaker sections of society, Harijans and domestic servants; and

(b) if so, the time by which these tenements would be allotted and the mode of payment ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) Yes, Sir.

(b) The last date for submitting applications was 25th January, 1978. 2913 applications have been received. Allotment will be made after the applications are processed. The cost of the houses will be approximately Rs. 4500/- per house, excluding the cost of land. Rs. 900/- (subject to marginal adjustment) will be payable at the time of acceptance of the offer of allotment. Arrangement has been made for grant of loan to the extent of Rs. 3600/- by the State Bank of India for the applicants, if found eligible, by the Bank. This amount will be payable in one lump sum.

LOW PRICE OF SUGARCANE AND GUR IN SAHARANPUR

1846. SHRI DAYA RAM SAKYA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the prices of sugarcane and Gur during December; 1977 and January, 1978 in different States of the country;

(b) whether it is a fact that the private crusher owners in Saharanpur district of Uttar Pradesh have paid for sugarcane at the rate of Rs. 6 & 7 per quintal and the prices of Gur also have not exceeded Rs. 100 per quintal; and

(c) the action being taken by the Government to protect the sugarcane cultivators from incurring heavy loss ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) A statement showing the wholesale prices of gur in different States during December, 1977 and January, 1978 is attached (APPENDIX-I). Another statement showing the minimum notified prices vis-a-vis actual prices being paid to cane growers by sugar factories in different States of the country during the sugar season 1977-78 is also attached (APPENDIX-II). A third statement showing the prices of sugarcane fixed by the State Governments of Andhra Pradesh, U.P. and Haryana for khandsari units is also attached (APPENDIX-III). [Placed in Library. *See* No. L.T. 1712/78]

(b) The Government of U.P. have reported that complaints have been received by them of purchases of cane by khandsari units at a rate lower than the minimum fixed by the State Government.

Information regarding the prices of gur prevailing in Saharanpur District of U.P. are not available. However, in the marketing centres of Hapur, Kanpur and Muzaffarnagar, the prices have been ranging from Rs. 90 to 125/- per quintal during the period December, 1977 to 28-2-78.

(c) The Gur Industry which utilises a sizeable portion of cane production is practically a cottage industry, unlicensed and uncontrolled. There is no control on its production or prices. The prices of sugarcane payable by the vacuum pan sugar factories all over

the country and by the khandsari units in U.P., Haryana and A.P. are however fixed by Government and the grower is ensured a remunerative price. In order to protect the interests of the cane growers supplying cane to gur producing units, the following measures have been taken :

(i) export of gur has been allowed without any restrictions on the quantity to be exported;

(ii) The National Agricultural Cooperative Marketing Federation have undertaken price support purchases of gur so as to push up the prices of gur to a level of about Rs. 125/- per quintal.

WORK ON CANAL IN HASTINAPUR

†1847. SHRI DAYA RAM SAKYA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work on a large canal has been undertaken in Hastinapur area of District Meerut in Uttar Pradesh, which would start from Shukratal and would go to Rajasthan; and

(b) if so, whether the construction work is being done under the Central Government; the amount to be spent thereon and the time likely to be taken in its completion ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) The Madhya Ganga canal project of Uttar Pradesh envisages construction of a barrage across Ganga 10 Km. downstream of Shukratal on the border of districts Muzafarnagar and Bijnore and a 120 Km. long feeder canal of 8280 cusecs capacity taking off from the right bank of the river Ganga and passing through Hastinapur area of district meerut. The canal will provide additional irrigation facility to the Districts of Saharanpur, Muzaffarnagar, Bulandshahr, Aligarh, Mathura, Agra and Etah. The feeder canal will terminate at its junction in the Math Branch in District Bulandshahr and will not extend to Rajasthan.

(b) The project which is estimated to cost Rs. 66 crores is being executed by the Irrigation Department of the Government of Uttar Pradsh. It has been reported by the State Government that the work of the project is in its initial stages and is expected to be completed in about 5 years period.

ACCOMMODATION FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

1848. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA :Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the type-wise number of quarters for Central Government employees in Delhi/ New Delhi and Ghaziabad at present;

(b) the type-wise number of quarters constructed in Delhi/New Delhi and Ghaziabad during the last three years, year-wise as well as during the current year uptill now;

(c) the number of quarters under construction in Delhi/New Delhi and Ghaziabad at present and when these quarters are likely to be completed; and

(d) the number of quarters proposed to be constructed by the Central Government during the next financial year and the advance action taken by Government in this regard so far ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) and (b) A statement giving the number of quarters available in general pool under the Ministry of Works and Housing at Delhi/New Delhi and Ghaziabad and the number of quarters constructed during the last three financial years and during the current financial year up to 28th February, 1978, is attached.

(c) 5,107 quarters are under construction in Delhi/New Delhi and 300 quarters at Ghaziabad. Likely period of completion of these quarters is given below :—

	1977-78	1978-79	1979-80
Delhi/New Delhi. . . .	713	2,59	1,835
Ghaziabad	36	264	..

(d) 16,000 quarters are to be taken up for construction at Delhi/New Delhi and 6,000 in other cities. The type plans have been approved. Estimate and designs of the houses are being worked out.

STATEMENT

	Types of Quarters								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Total
1. No. of quarters in general pool available at present:									
(a) Delhi/New Delhi.	12,980	15,480	5,451	5158	1,837	4,78	117	15	41,516
(b) Ghaziabad	64	104	32	..	..	..	..	..	200
2. No. of quarters constructed :									
(a) in Delhi/ New Delhi :									
1974-75	..	148	264	70		..			482
1975-76	112	288	336	346		..			1,082
1976-77	..	164	..	64		..			228
1977-78**	338	245	94	68		..			745
(b) Ghaziabad									
1974-75 .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1975-76 .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1976-77 .	..	104	32	..	..	..	..	..	136
1977-78** .	64	..	..	..	..	..	..	..	64

**Upto end of February, 1978.

ENGINEERING COLLEGES AND UNIVERSITIES

†1849. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the number of Government recognised Engineering Colleges and Universities in the country at present, locations thereof and the subjects included for study in each of them; and

(b) the number of new Engineering Colleges and Universities proposed to be opened by Government in the ensuing academic session and the names of the places at which these are likely to be opened ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) Two statements giving the number and location of Government recognised Engineering Colleges and Universities separately are attached. The subjects included for study in each of them are given in the "Universitities Hand-book—India, 1977", a copy of which is available in the Lok Sabha Secretariat Libraray. [Placed in Library. *See* No. L.T. 1713/78]

(b) The Central Government has no proposal under consideration to open any new engineering college or university during the ensuing academic session 1978-79.

BUNGLING IN CONSTRUCTION OF HOUSES

1850. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news, item published in the 'Nav Bharat Times' dated the 11th January, 1978 entitled "Give bribe and construct your house" (Rishwat dijiye aur makan banaiye);

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to stop such illegal steps; and

(c) whether Government are considering any scheme to root out bungling in matter of construction of houses and if so, the details thereof;

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Certain cases of illegal sale of plots in J.J. resettlement colonies were reported. These cases have been registered with the police who are enquiring into the matter. The structures which were being raised by the persons who had obtained allotments by fraudulent means have been demolished in the cases where the structures were unoccupied. Some officials against whom a prima-facie case was made out have been placed under suspension and departmental enquiry has been instituted. Anti-Corruption Branch of Delhi Administration has also been requested to lodge a case under the Prevention of Corruption Act against these officials.

पुरातत्वीय खोज के लिए रेडियो कार्बन परीक्षण

1851. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पुरातत्वीय खोज पर तिथि अंकित करने में रेडियो कार्बन परीक्षण अधिक विश्वसनीय प्रमाणित नहीं हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुरातत्व विभाग का विचार विभिन्न खोजों पर फिर से तिथि अंकित करने और भारतीय इतिहास की विकृतियों को ठीक करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) नवीनतम वैज्ञानिक संशोधनों के अनुसार अन्तरिक्ष में सी ^{14}, ओ$_2$ की गणना की स्थिरता, जो रेडियो-कार्बन-काल प्रमाण का एक आधारभूत साधन है, दृढ़तापूर्वक प्रमाणिक नहीं मानी जाती। इसलिए रेडियो कार्बन तिथियों को सही तिथियों में लाने के लिये संशुद्धियों की आवश्यकता पड़ती है। सुझायी गयी सी ^{14} तिथियों की संशुद्धियों का आधार व्यासमापन रेखाओं से प्राप्त होता है, जो वृक्षवलय कालमापन से नियमित है । परन्तु इन व्यासमापन रेखाओं के प्रयोग का सर्वसम्मत अभिप्राय नहीं है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस विषय पर नवीनतम विकासों कीं ओर पूर्णरूपेण जागरूक है ।

गन्ने के लिए बकाया राशियां

1852. श्री डी० डी० देसाई : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसे समाचार मिले हैं कि इस पिराई के मौसम के बारे में गन्ना उत्पादकों की बहुत अधिक राशियां विभिन्न चीनी मिलों की और बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादकों को मिलने वाली राशियां समय पर उनको दिलाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने गन्ने के मूल्य की बकाया राशि को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) बकाया राशि को कम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ अक्सर पत्र-व्यवहार होता रहता है ।

(2) ईख (नियन्त्रण) आदेश में 2-2-78 से निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया गया है :—

(क) गन्ने के मूल्य की देर से अदायगी पर 15 प्रतिशत ब्याज ; और

(ख) गन्ने के मूल्य की बकाया राशि, जिसके लिए संबंधित गन्ना उत्पादकों में से कोई वास्तविक दावेदार न हो, को राज्य निधि में हस्तान्तरण इस शर्त पर करना कि राज्य सरकार यथा सम्भव इसका इस्तेमाल गन्ने के विकास के लिए करेगी।

अनाज भाण्डागार क्षमता बनाने के लिए विश्व बैंक से मांगे गए ऋण की स्थिति

1853. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाज भाण्डागार क्षमता बनाने के लिए विश्व बैंक से मांगे गए ऋण के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) ऐसे स्थान कौन-कौन से हैं जहां भाण्डागार क्षमता बनाई जा रही है या बढाई जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जनवरी, 1978 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (अ० वि० ए०) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन खाद्यान्नों की 35.75 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के लिए 1070 लाख डालर प्रदान करेगा। परियोजना की कुल लागत 2155 लाख डालर है और भारत सरकार शेष लगभग 1085 लाख डालर का अंशदान करेगी।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [Placed in Library *See* No. L.T. 1714/78]

EMPLOYEES OF RAM GANGA PROJECT, KALAGARH

†1854. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the number of Class III and Class IV employees appointed on permanent basis as also the number of trained and experienced employees appointed, separately in Ram Ganga Project, Kalagarh, and the number of employees, category-wise removed from service after the completion of the project;

(b) the reasons for removing from service the aforesaid trained and experienced employees and appointing the employees of private or non-Government contractors in their places, keeping in view the requirement for trained and experienced employees in a large number in Madhya Ganga (Central Ganga), Rahul Ghati, Tehri and Haldwani projects; and

(c) the time by which the said employees who were removed from service, would be employed elsewhere ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) to (c) Information has been called for from the Government of Uttar Predesh and would be laid down on the Table of the House as soon as received.

ALLOCATION OF FUNDS FOR RAM GANGA PROJECT, KALAGARH

†1855. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the total funds allocated by the Government of India for the Ram Ganga Project, Kalagarh; and

(b) the outlay estimated therefor orginally as against the expenditure actually incurred ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned, investigated, formulated, constructed and financed by the State Governments themselves. The central assistance is given in the form of block loans for the State Plan as a whole and is not related to any sector of development or individual project.

(b) Ram Ganga Multi-purpose Project was originally approved for Rs. 39.8 crores in 1959. According to the Annual Plan Report for 1978-79 of Uttar Pradesh, the latest estimated cost of the Project is Rs. 162.5 crores, comprising Rs. 117.19 crores for irrigation and Rs. 45.31 crores for power components The expenditure likely to be incurred by the end of 1977-78 is Rs. 125.89 crores on irrigation and Rs. 39.75 crores on power. The excess expenditure is against certain credits to be afforded to the project estimates on its completion for the sale of special T&P etc.

REPORT ON REGULARISATION OF UNAUTHORISED COLONIES

1856. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4386 on 19th December, 1977 and state :

(a) whether the implementation group constituted under the Chairmanship of the Lt. Governor of Delhi has since completed the examination of the question of regularising unauthorised colonies;

(b) if so, the findings thereof;

(c) the other steps taken to regularise such colonies;

(d) the grounds on which the colonies would be regularised; and

(e) the time by which all the colonies would be regularised ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) An aerial survey has been conducted. It has been decided to conduct a ground survey of each colony and prepare a development plan. This plan will be examined by a Technical Group already constituted, on which both Municipal Corporation Delhi and Delhi Development Authority are represented. Municipal Corporation Delhi have completed ground survey of 13 colonies. Similar survey of 30 other colonies in their area is in progress. Delhi Development Authority is also undertaking similar survey in their area.

(d) The terms and conditions are contained in Ministry of Works and Housing letter dated 16th February, 1977 (copy annexed). [Placed in Library. *See* No. LT. 1715/78].

(e) No time limit can be indicated.

कृषि स्नातकों को गांवों में काम करने के लिए भेजने सम्बन्धी नीति

1857. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कृषि स्नातकों को किसी विशेष अवधि के लिये गांवों में काम करने के लिये भेजने हेतु कोई नीति बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों तथा कृषि विश्वविद्यालयों को इस बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिये कहा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) नहीं, श्रीमान्। यद्यपि इस मामले में कोई निश्चित नीति नहीं है फिर भी बहुत से कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी अपने कृषि विस्तार प्रशिक्षण के भाग के रूप में तथा कीट व्याधियों के नियंत्रण जैसे विशिष्ट उद्देश्यों से गांवों में खरीफ और रबी उत्पादन अभियानों में भाग लेते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम

1858. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से विश्वविद्यालयों ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं और उन्होंने कौन से पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के पाठ देर से भेजते हैं जिससे छात्रों को बहुत असुविधा होती है ;

(घ) क्या कुछ विश्वविद्यालय सत्र के लगभग अंत तक भी पाठ नहीं भेजते हैं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसे पाठ्यक्रमों के चलाए जाने पर केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विश्वविद्यालय पर कोई नियंत्रण रहता है ; और

(च) यदि हां, तो पत्राचार पाठ्यक्रमों में सुधार करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों को अनुदेश जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या कदम उठा रहा है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (च) केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पात्राचार पाठ्यक्रमों के वातस्तविक कार्यान्वयन पर कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि, आयोग ने उन विश्वविद्यालयों द्वारा पालन की जाने वाली मार्गदर्शी रूपरेखाओं का एक सेट भेजा है, जो पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करते हैं। आयोग समय-समय पर इन पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण करता है। ऐसे पुनरीक्षणों के दौरान ध्यान में आने वाली त्रुटियों तथा प्राप्त शिकायतों की जांच भी की जाती है, जिसके आधार पर विश्वविद्यालयों को उन्हें दूर करने की सलाह दी जाती है।

विवरण

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम
1	2	3
1.	इलाहाबाद . .	बी० ए०/बी० काम०
2.	आन्ध्र . . .	पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, बी० ए०/बी० काम०
3.	भोपाल . .	बी० ए०/बी० काम०
4.	बम्बई . .	इन्टर (कला व वाणिज्य), बी० ए०/बी० काम०
5.	दिल्ली . . .	बी० ए०/बी० काम०
6.	हिमाचल प्रदेश . .	प्रेप, बी० ए०, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, में एम० ए०, एम० एड०, एम० काम०
7.	जम्मू . . .	बी० ए०/बी० काम०
8.	काश्मीर . .	बी० ए०/बी० काम०
9.	मदुरै . . .	प्रेप, बी० ए०, बी० काम०
10.	मेरठ . .	बी० ए०
11.	मैसूर . .	पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, बी० ए०, बी० काम०, बी० जी० एल०, अंग्रेजी, कन्नड़, इतिहास, राजनीति-विज्ञान और समाज-शास्त्र में एम० ए०, बी० एड०।

1	2	3
12.	उस्मानिया . .	बी० ए०/बी० काम०
13.	पंजाब . . .	प्रेप, बी० ए०, बी० काम०, अंग्रेजी, लोक-प्रशासन अर्थशास्त्र, राजनीति-विज्ञान और इतिहास में एम० ए० ।
14.	पंजाबी . .	प्रेप, बी० ए०, पंजाबी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान में एम० ए० ।
15.	राजस्थान . .	बी० काम०, इतिहास और राजनीति विज्ञान में एम० ए० ।
16.	श्री वेंकटेश्वर . .	बी० ए०/बी० काम० ।
17.	उत्कल . . .	आई० ए० और बी० ए० ।
18.	उदयपुर . .	बी० ए० ।
19.	सी० आई० ई० एफ० एल०, हैदराबाद ।	अंग्रेजी अध्यापन में उत्तर-स्नातक, रूसी, फ्रेंच और जर्मन में एम० ए० ।
20.	गुजरात . .	बी० ए० ।

डेरी उद्योग का सम्मेलन

1859. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में हाल ही में भारतीय डेरी उद्योग पर कोई सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन ने एक राष्ट्रीय मिल्क ग्रिड स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय डेयरी संघ के तत्वावधान में बंगलौर में 18 से 20 जनवरी, 1978 तक एक डेरी उद्योग सम्मेलन हुआ था ।

(ख) जी हां ।

(ग) सम्मेलन ने संतुलन बनाए रखने वाली दुग्ध प्रदायक डेरियों की एक श्रृंखला की स्थापना के माध्यम से दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के राज्य से बाहर व राज्य के भीतर लाने ले जाने के संबंध में कानूनी बाधाओं से मुक्त एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड की स्थापना करने, मूल्यों के सम्बन्ध में द्विपक्षीय व्यवस्था, लदान किए जाने वाले दूध की मात्रा तथा क्वालिटी और सड़क तथा रेल परिवहन के आधुनिक तरीकों के बारे में सिफारिश की है, ताकि मौसम और उत्पादन के क्षेत्रों के कारण दुग्ध-उत्पादन में होने वाली कमी बेशी में समान रूप से संतुलन बनाए रखा जा सके ।

सरकार एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड बनाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। आपरेशन फ्लड की चालू परियोजनाओं के अंतर्गत कुछ प्रगति हुई है, जिसका छठी योजना के दौरान और विस्तार किया जाएगा।

TRAINING INSTITUTES UNDER THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

1860. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the total number of training institutes under the Ministry and its attached and Subordinate Offices;

(b) the total number of courses taught in Hindi Medium as well as English medium separately; and

(c) the steps taken to teach through Hindi medium the courses still being taught through English medium ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) There are no training institutes under the administrative control of the Ministry and its attached and Subordinate Offices.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

MANUALS OF FORMS IN USE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

1861. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the total number of manuals and forms in use in his Ministry/Department;

(b) the number out of the them already translated into Hindi and of those published/ printed in diglot form;

(c) the reasons for not translating or printing in bilingual form the rest of them; and

(d) the time by which they are likely to be prepared in bilingual form ?

The MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) :

(a) Manuals 40
Forms 638

(b) (i) Translated

Manuals 15
Forms . . 448

(ii) *Published/printed in diglot form*

9 Manuals and all the 448 Forms have been published/printed in diglot form. 4 Manuals have been printed both in Hindi and English separatly. One Manual is under print and remaining one is under review after translation.

(c) The remaining manuals and forms are in the process of translation with Central Hindi Directorate of the Ministry of Education and Central Translation Bureau of the Ministry of Home Afairs. Some of these are also being revised in the Departments.

(d) These will be printed as soon as the translation work is completed.

होटल प्रबन्ध और खान-पान पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए संस्थान

1862. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटल प्रबन्ध और खान-पान पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण की व्यवस्था वाले संस्थानों की देश में राज्य-वार संख्या क्या है ;

(ख) क्या ऐसे संस्थानों में प्रवेश चाहने वाले व्यक्तियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार निकट भविष्य में होटल प्रबन्ध और खान-पान पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने के लिए अधिक संख्या में ऐसे संस्थान स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) संस्थानों की एक सूची संलग्न है जहां होटल प्रबन्ध और केटरिंग पाठ्यक्रमों तथा सम्बद्ध क्राफ्टों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है ।

(ख) और (ग) होटल तथा केटरिंग उद्योग से संबंधित विभिन्न क्राफ्टों में प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न भागों में और खाद्य क्राफ्ट संस्थान, सोपानवार, खोलने का विचार है । यथा-समय में कुछेक खाद्य क्राफ्ट संस्थान होटल उद्योग की जरूरतों के मुताबिक, प्रबन्ध पाठ्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं। मौजूदा संस्थानों में सीटें बढ़ाकर या नये संस्थान स्थापित कर जनता की जरूरतें पूरी करने के प्रश्न की बराबर समीक्षा की जाती है ।

विवरण

होटल प्रबन्ध तथा केटरिंग और सम्बद्ध क्राफ्टों के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों की सूची

संस्थान का नाम	राज्य	कैफियत
1. होटल प्रबन्ध, केटरिंग तथा पोषाहार संस्थान, नई दिल्ली	दिल्ली	प्रबन्ध तथा क्राफ्ट दोनों पाठ्यक्रम
2. होटल प्रबन्ध, केटरिंग औद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषाहार संस्थान, बम्बई	महाराष्ट्र	,,
3. केटरिंग औद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषाहार संस्थान, कलकत्ता	पश्चिमी बंगाल	,,
4. केटरिंग औद्योगिकी और व्यावहारिक पोषाहार संस्थान, मद्रास	तमिलनाडु	,,
5. खाद्य क्राफ्ट संस्थान, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	(केवल क्राफ्ट पाठ्यक्रम)
6. खाद्य क्राफ्ट संस्थान, चंडीगढ़	चंडीगढ़	,,
7. खाद्य क्राफ्ट संस्थान, गोआ	गोआ, दमन, दीव	,,

संस्थान का नाम	राज्य	कैफियत
8. खाद्य क्राफ्ट संस्थान, अहमदाबाद	गुजरात	(केवल क्राफ्ट पाठ्यक्रम)
9. खाद्य क्राफ्ट संस्थान, बंगलौर	कर्नाटक	,,
10. खाद्य क्राफ्ट संस्थान, कलमेसरी	केरल	,,
11. खाद्य क्राफ्ट संस्थान, भोपाल	मध्य प्रदेश	,,
12. खाद्य क्राफ्ट संस्थान, पुणे	महाराष्ट्र	,,
13. खाद्य क्राफ्ट संस्थान, भुवनेश्वर	उड़ीसा	,,
14. खाद्य क्राफ्ट संस्थान, जयपुर	राजस्थान	,,
15. खाद्य क्राफ्ट संस्थान, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	,,

IRRIGATION SCHEMES TO BE TAKEN UP IN M.P., ORISSA AND RAJASTHAN

†1863. SHRI Y. P. SHASTRI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have decided to provide irrigation facilities for 17 million hectares of land during the next five years; if so, whether with a view to remove regional imbalances, the irrigation schemes will be implemented only in those parts of the country during the next five years where the national average of the irrigated land is even below 26 per cent; and

(b) if so, the names of the major irrigation schemes proposed to be implemented in Madhya Pradesh, Orissa and Rajasthan during the next five years ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) The target of creating additional irrigation potential of 17 million hectares during the next five years commencing April, 1978 was agreed to by the Third Conference of State Irrigation Ministers held in November, 1977. The Conference urged the State Governments to prepare physical and financial programme for completion of ongoing schemes and taking up new project to be completed within the time bound schedule, taking into consideration the needs of drought prone and tribal areas and for minimising the regional imbalances with regard to irrigation development.

(b) The State Governments of Madhya Pradesh, Orissa and Rajasthan have been requested to draw up their proposals for the next plan in accordance with the decision of the Irrigation Ministers Conference.

CENTRAL GRANTS TO RAJASTHAN PRACHYA VIDYA PRATISHTHAN

†1864. SHRI RAM KANWAR BERWA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE & CULTURE be pleased to state the amount of Central grants provided annually to the Rajasthan Prachya Vidya Pratishthan (Rajasthan Institute of Oriental Studies) Tonk (Rajasthan) ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SMT. RENUKA DEVI BARKATAKI) : No grant has been given to the Rajasthan Prachya Vidya Pratishthan (Rajasthan Institute of Oriental Studies) Tonk by the Central Government as the Institute is administered directly by the Rajasthan State Government.

DEMAND FOR ABOLITION OF COMPULSORY ATTENDANCE IN LLB CLASSES

†1865. SHRI RAM KANWAR BERWA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether there is growing demand from students from various parts of the country for abolition of compulsory attendance in LL.B. classes; and

(b) whether some Universities have been permitted by the University Grants Commission to introduce the new system and if so, the details in this regard and Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) According to information furnished by the University Grants Commission, there is no indication of any growing demand for abolition of compulsory attendance in LL.B. classes

(b) The University Grants Commission had in May, 1977, approved a proposal of the Jammu University to introduce a two-year LL.B. (Academic) Course through correspondence subject to the condition that students who completed this course should be eligible for admission to the third year of the LL.B. professional degree. The Bar Council of India, whose approval was sought by the University for the purpose, however, informed that they were not in favour of correspondence courses in Law.

EXPENDITURE INCURRED ON MAINTENANCE OF UNION MINISTERS BUNGALOWS

1866. SHRI RAM DHARI SHASTRI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the maintenance and furnishing of bungalows of Union Ministers of Janta Party as against the expenditure incurred during 1976-77 on bungalows of Congress Ministers; and

(b) in case the expenditure on the maintenance of bungalows of Janta Party Ministers has been higher, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) The expenditure on the maintenance of bungalows of Prime Minister and Union Ministers are as under :—

1976-77	——	Rs. 27,04,624
1977-78 (Upto 31-1-78)	——	Rs. 18,91,381

(b) A direct comparison of the 2 figures is not possible because for 1976-77 figures available are for the entire year whereas those of 1977-78 are for 10 months. If a proportionate comparison is undertaken, the expenditure during the 10 months of the current year is less than that of 10 months in 1976-77.

PERMISSION TO BUILD ROOM ON THE TERRACE IN DDA, BUILT HOUSES

1867. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether there is any suggestion or proposal under consideration of Government and the D.D.A. for construction of room etc. on the terrace of the C.S.P. houses on 30 sq. meters; and

(b) if so, the time by which this facility is likely to be provided to the poor allottees of these houses ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) Yes, Sir.

(b) In case construction is found feasible structurally, a standard plan will be prepared by the Delhi Development Authority. After approval this can be adopted by the allottees.

जनकपुरी, दिल्ली में नालियों और सड़कों की मरम्मत

1868. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनकपुरी के सी०एस०पी० हाउसिंग क्षेत्र में नालियों तथा सड़कों की सफाई और मरम्मत का कार्य न तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जा रहा है और न दिल्ली नगर निगम द्वारा जिसके परिणाम स्वरूप कालोनी निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कालोनी में सड़कों और नालियों का उचित रख रखाव और मरम्मत सुनिश्चित कराने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सड़कों/बरसाती पानी के नालों के रख रखाव और सफाई कार्य दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

CONVEYANCE DEED

1869. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether some allottees of C.S.P. flats have written to the DDA for conveyance deed after paying full dues but the DDA is illegally harassing the allottees by not helping them in the registration of their flats; and

(b) if not, whether the DDA is prepared to get these flats registered in the name of allottees ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) Delhi Development Authority has reported that two allottees have asked for documents after paying the full dues and that they have sent these to them for stamping.

(b) Conveyance deeds are executed after full cost of the flat is paid.

ताजेवाला से ऊपर की ओर किशाऊ में बांध

1870. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमना नदी पर ताजेवाला से ऊपर की ओर किशाऊ में उच्च जल-भण्डारण बांध के निर्माण की प्रस्तावित योजना पर सरकार ने विचार किया है और उसे मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार 1965 में किशाऊ बांध परियोजना के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें विद्युत् उत्पादन और यमुना से दिल्ली को जल सप्लाई करने तथा सिंचाई करने के लिए विनियमित रूप से छोड़े गए जल का उपयोग करने के लिए यमुना को सहायक नदी टोन्स पर 770 फुट ऊंचे बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। इन प्रस्थापनाओं की जांच की गई और राज्य सरकार को वैकल्पिक बांध स्थलों पर अन्वेषण करने तथा परियोजना अनुमानों को अद्यतन बनाने की सलाह दी गई थी। संशोधित रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

सम्बद्ध कालेजों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विकास अनुदानों की प्राप्ति

1871. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री सम्बद्ध कालेजों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विकास अनुदानों की प्राप्ति के बारे में 14 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सभा पटल पर कब रखी जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सूचना एकत्र तो कर ली गई है किन्तु इसकी जांच आदि अपेक्षित है । मंत्रालय में इसके प्राप्त होते ही आश्वासन पूरा कर दिया जाएगा ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घोटाला

1872. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लेखा परीक्षा से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए अत्याधिक घोटालों के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुनर्वास बस्तियों पर 27 करोड़ रुपये खर्च किए और 17 करोड़ रुपए लेखा बाह्य के तथा 4 करोड़ रुपये मिट्टी भराई पर खर्च किए गए ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व ने भारत के महानिरीक्षक तथा लेखा परीक्षक की वर्ष 1976–77 केन्द्रीय सरकार (सिविल) की वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण का पुनरीक्षण किया है तथा वित्तीय तथा अन्य अनियमितताओं के बारे में कई पैरे शामिल किए हैं ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्राप्त सूचना के अनुसार पुनर्वास कालोनियों में वर्ष 1975–76 से जनवरी, 1978 तक दिए गए निर्माण कार्यों पर 17.47 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था जिसमें लगभग एक करोड़ रुपये मिट्टी की भराई में खर्च हुए थे । इसके अलावा भूमि की लागत 2.27 करोड़ रुपये बनती है । यह सारा व्यय खाते में ले लिया गया है ।

GUPTA AGE CAVES IN DHAR DISTRICT OF M.P.

†1873. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2572 on the 5th December, 1977 regarding Gupta age caves in Dhar District of M.P. and state whether any arrangements are being made by Central Government for the maintenance of caves at Bandha, District Dhar in Madhya Pradesh, which are said to be belonging to Gupta Period and are in dilapidated condition and the cavs which are not being properly maintained by Archeological Department such as Bharthari cave in the south of Mahabaleshwar temple; and the number of other caves in M.P. which are being neglected and the number of caves on which money is being spent by the Central and State Governments ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDER CHUNDER) : The reply to the Unstarred Question No. 2572, refers to the seven unfinished caves of the Gupta period at Bagh, District Dhar; there is no site containing rock cut cave of the Gupta period at Bandha, District Dhar, Madhya Pradesh. There is no cave known as Bharthari cave south of Mahabaleshwar temple in Madhya Pradesh under the protection of the Archaeological Survey of India.

In Madhya Pradesh there are seven groups of caves located in Districts Dhar, Hoshangabad, Mandasor, Shahdol, Surguja and Vidisha under Central protection. The Archaeological Survey of India is paying due attention to their maintenance.

EXPENDITURE ON JAWAHAR JYOTI

†1874. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the head under which expenditure is being incurred on Jawahar Jyoti inside Teen Murti;

(b) the total amount spent on this during the last three years; and

(c) the average daily expenditure on it ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDER CHUNDER) : (a) The expenditure on Jawahar Jyoti inside Teen Murti House is being incurred by the Nehru Memorial Museum and Library out of the yearly grant given to it by the Central Government. This expenditure does not include the cost of gas for feeding the Jyoti which is being supplied free of cost to the Museum and Library by the Indian Oil Corporation.

(b) The total amount spent on the Jyoti during the last three years is Rs. 171/-.

(c) The average daily expenditure incurred by the Museum and Library on the Jyoti comes to 16 paise approximately.

शान्ति वन, राजघाट और विजय घाट पर खर्च की गई धनराशि

1875. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्ति वन, राजघाट और विजय घाट का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है और कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) शान्ति वन, राजघाट और विजय घाट का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कुछ अतिरिक्त निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ख) अभी तक शान्ति वन पर 84.42 लाख रुपये राजघाट पर 67.02 लाख रुपये तथा विजय घाट पर 44.02 लाख रुपये का कुल व्यय किया गया है।

(ग) अतिरिक्त निर्माण कार्य 1980–81 तक पूरे हो जाने की संभावना है। सभी समाधियों के अतिरिक्त निर्माण कार्यों पर व्यय कुल मिलाकर 16 लाख रुपये होने की संभावना है।

EXPENDITURE INCURRED ON THE HOUSES OF UNION MINISTERS

1876. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the amount of expenditure being incurred annually on Government Houses allotted in New Delhi to the Prime Minister and other Union Ministers; and

(b) the amount provided under this head during the financial year 1978-79 ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) The expendture incurred on maintenance and furnishings of Ministers' houses during the last 2 years is as under :—

1976-77	... Rs. 27,04,624
1977-78 (upto 31-1-78)	... Rs. 18,91,381

(b) No separate Budget provision is made for the Ministers' bungalows. The total provision for maintenance of houses proposed for 1978-79 **is Rs. 6.13 crores.**

गंगा को कावेरी के साथ जोड़ना

1877. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री श्याम सुन्दर गुप्त } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्पूर्ण भारत में जल उपलब्ध करने और बाढ़ नियंत्रण के लिए भारत की सम्पूर्ण नदी व्यवस्था को जोड़ने सम्बन्धी, श्री दस्तूर द्वारा तैयार की गई "गारलैण्ड कैनाल स्कीम" नामक अत्यधिक चर्चित और विवादग्रस्त योजना की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या प्रतिक्रियाएं हैं ;

(ग) क्या गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने की पिछली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का सरकार ने परित्याग कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो परियोजना के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) गारलैण्ड नहर स्कीम में 'नों' कैप्टन दस्तूर द्वारा परिकल्पित है और उनके द्वारा नवम्बर, 1977 में संशोधित की गई थी, निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) एक हिमालय नहर जो रावी को ब्रह्मपुत्र से जोड़ेगी और हिमालय के दक्षिणी ढलान के साथ साथ औसत समुद्र स्तर से 1500 फुट से 1100 फुट तक की ऊंचाई पर 50 समेकित झोलों सहित (प्रत्येक लगभग 30 मील × 1 मील × 90 से 100 फुट गहरी) 1500 मील लम्बी, 1000 फुट चौड़ी तथा 40 फुट गहरी होगी । इस नहर को ब्रह्मपुत्र से आगे 1100 मील तक लगभग 40 समेकित जलाशयों के साथ विस्तार करना प्रस्तावित है ।

(2) हिमालय नहर से समकोण पर 2–2 मील के अन्तराल पर सहायक नहरें ।

(3) समुद्र स्तर से 1100 फुट और 800 फुट की ऊंचाई के बीच विभिन्न नदियों पर 200 समेकित जलाशयों के साथ लगभग 5800 मील लम्बी केन्द्रीय और दक्षिणी गारलैंड

नहर जो मध्यवर्ती पठार और दक्षिणी प्रायद्वीप के चारों ओर होकर जाएगी तथा इसके अलावा मुख्य नहर से 2–2 मील के अन्तराल पर सहायक नहरें।

(4) हिमालय नहर से जल के ट्रांसफर के लिए दो स्थानों पर 12–12 फुट व्यास के 5 पाइपों द्वारा (जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है) हिमालय नहर और गारलैंड नहर को आपस में जोड़ना।

(5) राजस्थान में नागौर के निकट 300 मिलियन एकड़ फुट की क्षमता वाले एक जलाशय का निर्माण।

(6) सोन नदी पर 100 मिलियन एकड़ फुट की क्षमता वाले जलाशय का निर्माण।

(ग) और (घ) गारलैण्ड नहर प्रस्ताव और गंगा-कावेरी लिंक नहर प्रस्ताव देश के जल संसाधनों के इष्टतम विकास को राष्ट्रीय योजना तैयार करने के सुझाव हैं। इनका संबंध राष्ट्र-व्यापी स्तर पर कई जटिल मामलों से है, जैसे तकनीकी व्यवहार्यता, आर्थिक सक्षमता, कानूनी और पर्यावरण विषयक आदि पहलू जिनका अध्ययन किया जा रहा है। इस बारे में कोई मत निर्धारित करने में अभी समय लगेगा।

सब के लिए प्राथमिक शिक्षा

1878. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**

श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सब के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए एक योजना बनाई है जिसमें अनौपचारिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर अनुमानतः कितना व्यय आयेगा और किन संसाधानों से धन जुटाया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां। प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण से सम्बन्धित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों द्वारा सर्वव्यापीकरण के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की जा रही हैं। यह कार्यकारी दल 6–14 आयु-वर्ग (श्रेणी I से VIII) तक के बच्चों के लिए अगले 5–7 वर्षों की अवधि में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए उपयुक्त योजना सुझाने के लिए गठित किया गया था। सर्वव्यापीकरण शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त कराने का प्रस्ताव है। छठी योजना (1977–83) में अतिरिक्त दाखिले का लक्ष्य 3.20 करोड़ है (2.20 करोड़ कक्षा I-V में और 1.00 करोड़ कक्षा VI-VIII में)। कार्यकारी दल ने यह महसूस किया कि स्कूलों में कक्षा V में 220 लाख बच्चे (100 लाख पूर्ण-कालिक स्कूलों में और 120 लाख अंश-कालिक कक्षाओं में) और कक्षा VI-VIII में 100 लाख बच्चे (60 लाख पूर्ण-कालिक स्कूलों में और 40 लाख बच्चों को अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत) दाखिल करना संभव होगा। कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर राज्य-सरकारों से कार्यान्वयन के लिए विस्तृत मास्टर योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है। वर्ष 1978–79 आवश्यक तैयारियां करने के लिए पायलट वर्ष के रूप में समझा जायेगा।

(ग) 1978—83 के दौरान दाखिल न किए गए बच्चों को शामिल करने के लिए कार्यकारी दल द्वारा अनुमानित खर्च 1,000 करोड़ रुपए है। यह राशि छठी योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने की संभावना है।

शिक्षा को बीच में ही अधूरी छोड़ देना

1879. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी शिक्षा प्रणाली में पढ़ाई को बीच में ही अधूरी छोड़ देने की गम्भीर समस्या है, जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में धनराशि बरबाद होती है।

(ख) यदि हां, तो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़ देने वाले छात्रों के बारे में ब्यौरा क्या है और धन के रूप में तथा बरबाद हुए समय के रूप में बरबादी का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रवृत्ति के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए सरकार ने कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां, विशेष रूप से प्रारम्भिक स्तर (कक्षाएं 1–8) पर।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय स्तर पर इस विषय में अभी कोई अध्ययन नहीं है। तथापि, एक अत्यन्त सीमित नमूने के आधार पर एक ऐसा अध्ययन 1977 में किया गया था, जिसे केवल प्राथमिक स्तर तक ही सीमित रखा गया था, जिसके परिणाम संलग्न हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1879/78]

धन तथा समय के रूप में बरबादी के परिमाण के सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

जो कुछ अध्ययन उपलब्ध है, उससे यह पता चलता है कि शिक्षा को बीच में अधूरी छोड़कर जाने वाले छात्र मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों तथा लड़कियों की श्रेणी में से है। सर्व व्यापीकरण से सम्बन्धित कार्य दल ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जैसे कमजोर वर्गों के बच्चों की गैर-हाजिरी के लिए निम्नलिखित कुछ कारणों का पता लगाया है।

(i) एक बच्चा बहुत ही छोटी सी उम्र में परिवार के आर्थिक प्रयासों में सहायता करना शुरू कर देता है। अतः एक पूर्ण कालिक औपचारिक स्कूल में हाजिर होना एक विलासता है जिसे अधिकांश परिवार सहन नहीं कर पाते।

(ii) औपचारिक स्कूल का समय ऐसा होता है कि वे शिक्षा को अपने आर्थिक व्यवसाय के साथ-साथ जारी नहीं रख सकते हैं।

(iii) कुछ बच्चे एक या दो वर्ष के बाद शिक्षा को विभिन्न कारणों के बीच में ही अधूरी छोड़ देते हैं। औपचारिक पद्धति उन्हें स्कूल में पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं देती हैं।

संसद के सचिवालयों के कर्मचारियों के रहने के लिए सरकारी क्वार्टर

1880. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान टाइप-एक से टाइप-चार तक के कितने सरकारी क्वार्टर सामान्य पूल से लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(ख) क्वार्टर दोनों सचिवालयों को कब तक सौंप दिए जाएंगे इस बारे में (टाइप वार और तारीख-वार) ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) डी०आई०जैड० क्षेत्र में सामान्य पूल में निर्माणाधीन क्वार्टरों में से चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्वार्टर लोकसभा और राज्य सभा सचिवालयों को अस्थायी तौर पर आवंटित किए जाएंगे ।

टाइप -I	20
टाइप-II	45
टाइप-III	10
टाइप-IV	कुछ नहीं

इस आवंटन के बाद में केवल लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों के लिए इस समय निर्माण किए जा रहे से इसी टाइप के समान संख्या के क्वार्टरों के विपरीत समायोजित किया जाना है ।

इन क्वार्टरों को पूर्ण होते ही आवंटित किया जाएगा ।

HOUSING GRANTS TO STATES

1881. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the amount of Central Grant under the head Works and Housing given to various States, State-wise during 1975, 1976 and 1977 indicating the criteria therefor; and

(b) whether Government propose to make backwardness and population the criteria for giving grants, and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) & (b) No Central Grant under the head Works and Housing is given to the State Governments. Central financial assistance to the States etc., all the State Sector schemes is given by the Ministry of Finance to the State Governments in the shape of 'block loans' and 'block grants' without their being tied to any particular scheme, project or head of development. The State Governments are free to allocate and utilise the block assistance on various schemes according to their requirements and priorities.

The Central assistance to the States for the State Plans is allocated on the basis of the Gadgil Formula which takes into consideration population and backwardness, among other things.

कृषि क्षेत्र के लिये नियतन की प्रतिशतता

1882. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिये बजट नियतन को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सूखा से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिये राज्यवार कितने प्रतिशत निधि का प्रयोग किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) इनसे सम्बन्धित स्थिति राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार करने के बाद आगामी पांच वर्षों की योजना में स्पष्ट की जाएगी।

तिलहनों तथा दालों के समर्थन मूल्य निश्चित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की मांग

1883. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन में स्थिरता सुनिश्चित कराने के लिये, जो बदले हुये मूल्यों के साथ बदलता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने तिलहनों तथा दालों के लिये समर्थन मूल्य निश्चित करने की मांग की है ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) 10 और 11 जनवरी, 1978 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से उनके उपयुक्त समर्थन मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी के बीजों के लिए 1978–79 के मौसम के लिए समर्थन मूल्य पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। कृषि मूल्य आयोग ने भी तोरिया और सरसों के समर्थन मूल्यों के स्तर पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जिन पर इस समय विचार किया जा रहा है। दालों के संबंध में, 1978–79 में बेची जाने वाली चने की फसल के समर्थन मूल्य की घोषणा अक्तूबर, 1977 में कर दी गई थी। कृषि मूल्य आयोग ने अरहर और मूंग के समर्थन मूल्यों पर भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। इस सम्बन्ध में सरकार के निर्णय की घोषणा शीघ्र ही किए जाने की संभावना है।

डी० डी० ए० द्वारा वसूल न हो सकने वाले करों को बट्टे खाते डाला जाना

1884. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डी०डी०ए० के अधिकारियों ने कोई समर्थक ऋणाधार सुनिश्चित किए बिना ही बहुत बड़ी संख्या में ठेकेदारों को बड़ी मात्रा में धनराशि दे दी थी और डी०डी०ए० के अधिकारियों ने यह प्रस्ताव किया है कि एक ठेकेदार को दी गई दस लाख रुपये की धनराशि को बट्टे खाते डाल दिया जाए क्योंकि उसका अता पता मालम नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार उक्त मामले में जांच करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कोई समर्थन सुनिश्चित किये बिना कोई ठेकेदार को कोई अग्रिम नहीं दिया जाता है। एक ठेकेदार को 10 लाख रुपये अग्रिम बट्टे खाते डालने के बारे में भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी क्वार्टर्स हावड़ा

1885. **श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महासचिव, कल्याण संघ संतरागाछी केन्द्रीय सरकार कर्मचारी क्वार्टर्स, हावड़ा से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। एक ज्ञापन हाल ही में प्राप्त हुआ है।

(ख) एसोसिएशन ने चिकित्सा सुविधा, केन्द्रीय स्कूल, रेलवे ओवरब्रिज, चाहरदीवारी जैसी कुछ सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये अभ्यावेदन दिया है। संबंधित विभागों में कहा गया है कि कालोनी में इन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए विचार किया जाए।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए नई योजना

1886. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापक और समेकित ग्रामीण विकास के लिए पूर्णत: एक नया कार्यक्रम शीघ्र आरम्भ करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह अनुभव करती है कि एस०एफ०डी०ए०, डी०पी०ए०पी० तथा कमांड एरिया विकास जैसे वर्तमान कार्यक्रमों में कोई पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है और इसलिए नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

(ग) यदि हां, तो नई योजना में मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) उसे कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है और उन पर कितनी लागत कम होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लघु कृषक विकास एजेंसी मुख्यत: एक लाभभोगी उन्मुख कार्यक्रम है जबकि सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम मुख्यत: "क्षेत्र" पहुंच का अनुसरण करते हैं। ये कार्यक्रम कुछेक चुने क्षेत्रों तथा लाभभोगियों तक सीमित हैं और ये पूर्णतया सफल रहे हैं। नये कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के काफी अधिक क्षेत्र को लाने का प्रस्ताव है। कुछेक समयावधि में ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे रोजगार के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से नई पहुंच की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। नये कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र कार्यक्रमों तथा लाभभोगी उन्मुख कार्यक्रम के मुख्य घटक क्षेत्र के लिए कार्यक्रम की उपयुक्तता के अनुरूप इन कार्यक्रमों में से किसी एक के अन्तर्गत लाये गए क्षेत्र में से प्रत्येक पर प्रभाव डालेंगे। इसके अलावा, नई पहुंच के अन्तर्गत कार्यक्रम खंड स्तर पर विकेन्द्रीकृत सूक्ष्म-आयोजना पर आधारित होगा। यह भी प्रस्ताव है कि खंड योजनाओं के गठन तथा कार्यान्वयन में स्थायी तथा सुविख्यात स्वैच्छिक संगठनों को शामिल किया जाए।

(ग) नई योजना गठित की जा रही है।

(घ) यह 1978-79 से आरम्भ की जाएगी। 20.00 करोड़ रुपये का एक सांकेतिक बजट प्रावधान किया गया है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

Re : ADJOURNMENT MOTION

महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिये दोनों कांग्रेस दलों के नेताओं को निमंत्रित करने में विलम्ब

श्री बयालार रवि : (**घिरयंकित**) : महाराष्ट्र से प्राप्त एक रिपोर्ट के आधार पर मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। विधान सभा के 149 सदस्य राज्यपाल के सामने गये लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि राज्यपाल संवैधानिक रूप से कार्य करने के बजाय स्वयं सदस्यों को अपने विचार बदलने के लिये प्रेरित कर रहे हैं। राज्यपाल सत्तारूढ़ दल का उपकरण बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह संविधान का सरासर उल्लंघन है। अतः मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वह मेरे प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दें।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : यह विषय अविलम्बनीय है । महाराष्ट्र की विधान सभा के 150 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। फोटो खीचें गये। हस्ताक्षर लिये गये। यदि राज्यपाल महाराष्ट्र में जनता की सरकार नहीं बनने देंगे तो यह अच्छा नहीं होगा क्योंकि ऐसा करना उनकी शक्तियों के अन्तर्गत नहीं है। अनुच्छेद 163 के अन्तर्गत उनकी अपनी मंत्री परिषद् होनी चाहिये। जनता सरकार राज्यपाल पर इस सौदेबाजी को बढ़ावा देने के लिये दबाव डालने की कोशिश कर रही है। पहले ही दो दिन की देरी हो गई है। **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : मोरार जी भाई, मैं आपसे बचन चाहता हूं कि राज्यपाल श्री बसन्त दादा पाटिल को, **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न करें।

(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे बिना बात उत्तेजित न हों। राज्यपाल की शक्तियों के मामले में केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई राज्यपाल स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूप से काम नहीं करता तो हमें उसका क्या फायदा है । केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी राज्यपाल पर विशेषकर इस मामले में प्रभाव डालने का प्रश्न ही नहीं उठता। पहले ही दिन जब परिणाम घोषित हुए और जब मुझे राज्यपाल ने इस बारे में बताया तो मैंने उनसे कहा कि वह निष्पक्ष रूप से उचित कार्यवाही करें **(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नही किया गया ।

Not Recorded

श्री किशोर लाल (दिल्ली-पूर्व) : वे प्रधान मंत्री को बोलने नहीं दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या केन्द्र सरकार राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि वे हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : हम इसे स्वीकार नहीं करते **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री सरकार की ओर से बोलते हैं।

श्री वसन्त साठे : वे असहाय व्यक्ति हैं..... **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रधान मंत्री की बात सुनी है। अतः स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवुत्तपूजा) : नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय को उनकी बात अवश्य सुननी चाहिये क्योंकि उन्होंने स्थगन प्रस्ताव के लिये भी नोटिस दिया है। जब स्थगन प्रस्ताव के मामले को लिया गया तो प्रधानमंत्री ने सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी। अतः मुझे भी संकल्प के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया जाये। आपको मुझे अपने स्थिति स्पष्ट करने से इनकार करने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप किस नियम के अधीन मुझे अपनी बात कहने से रोक सकते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री मोरार जी देसाई : इस बारे में इतना आवेश में आने की क्या आवश्यकता है? मैं सरकार में असहाय नहीं हूं। मैं सदन के शोर गुल में असहाय हो जाता हूं। मेरी बात नहीं सुनी गई।

अतः यह उचित नहीं है। इस मामले में सरकार के हस्तक्षेप का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री वसंत साठे : आपने कर्नाटक के मामले में क्यों हस्तक्षेप किया?

श्री मोरारजी देसाई : इसका उत्तर मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के उत्तर के दौरान दूंगा।

मैंने अखबारों में पढ़ा है कि एक पक्ष ने 149 सदस्यों और दूसरे ने 145 सदस्यों की सूची राज्यपाल को दी है।

श्री वसंत साठे : यह कैसे हो सकता है। हमने 150 की सूची दी है। वे 145 की सूची कैसे दे सकते हैं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया
Not Recorded

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस बात पर विस्तार में नहीं जाना चाहता । मैंने यह भी पढ़ा है कि राज्यपाल यह देख रहे हैं कि कौन ठीक है। अब तक अर्थात् 12.00 बजे तक तो फैसला हो चुका होगा। ऐसा ही मुझे बताया गया है। सरकार ने नहीं बल्कि बम्बई से कुछ लोगों ने मुझे बताया है। इतनी उत्तेजना किस लिये है?

श्री वसंत साठे : आखिर तो यह लोकतन्त्र का प्रश्न है । लोगों के अपने अधिकार हैं। लोकतन्त्रात्मक शासन होना चाहिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे व्यवस्था के प्रश्न पर फैसला देना है।

श्री वसंत साठे : यह तो व्यवस्था के प्रश्न से अधिक महत्वपूर्ण है कि उसमें सार क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : जब विषय उठाया जाता है तभी वह महत्वपूर्ण है और मुझे विनिर्णय देना होता है। एक ही विषय पर दो सदस्यों, सर्वश्री वयालार रवि और स्टीफन ने स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। मैंने नियम 60 के अधीन उनमें से किसी के लिये भी अनुमति नहीं दी है। मैं उन पर बाद में विचार करुंगा। जब श्री वयालार रवि ने मेरी अनुमति के बिना ही यह बात उठाई तो उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार राज्यपाल के स्वविवेक में हस्तक्षेप कर रही है। तभी मैंने प्रधान मंत्री से पूछा कि क्या यह सच है? प्रधानमंत्री ने इसका खण्डन किया है। नियम 60 के दूसरे परन्तुक के अनुसार यह बात पूरी तरह अध्यक्ष पर है कि वह तथ्यों का पता लगाये।

श्री वसंत साठे : अब क्या लाभ है? **(व्यवधान)** प्रधान मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : हम चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते। मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कौन से नियम के अधीन । मैं आपको किसी नियम के अधीन ही अनुमति दे सकता हूं। मैं आपको अनुमति नहीं देता। कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये।

** ** ** **

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सभा से बहिर्गमन करना चाहते हैं तो वक्तव्य दे सकते हैं।

समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि आप सभा से उठ कर जाने वाले सदस्य को वक्तव्य देने की अनुमति दे देंगे तो यह बहुत गलत उदाहरण होगा। वे बहिर्गमन करना चाहें तो कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है।

श्री सी० एम० स्टीफन : हम आप से सहयोग नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक प्रणाली यह है कि जब कोई मामला सभा में पेश हो और एक पहलू पर चर्चा हो चुके तो दूसरे दल को भी दूसरे पहलू पर बात कहने दी जाये ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया ।
Not Recorded

(व्यवधान)

मामला यह है कि मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैंने अपनी बात कहने के लिये अनुमति मांगी लेकिन अनुमति नहीं दी गई। मुझे इस पर आपत्ति है।

(व्यवधान)

तत्पश्चात कुछ माननीय सदस्य सभाभवन से बाहर चले गये ।

At this stage, some hon. Members left the house.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई : खेद की बात है कि सदस्यों ने ऐसी बातें कहीं हैं जो नहीं कहीं जानी चाहिये। मैं गलत बातों के लिये उनसे लड़ नहीं सकता। कितना समय और धन खराब हुआ है। लेकिन संसदीय जीवन में ऐसा होता रहता है । लेकिन इस सरकार को दोष क्यों दिया जा रहा है? हम उन्हें कोई निदेश नहीं दे सकते।

यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को हिन्दी में अभिभाषण न दे पाने के लिये क्षमा याचना नहीं करनी चाहिये थी। राष्ट्रपति जी ने क्षमा याचना नहीं की है । इसके बजाय उन लोगों को क्षमा मांगनी चाहिये जो संवैधानिक नीति के विरुद्ध जा रहे हैं। सरकार द्वारा किसी पर हिन्दी थोंपने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिर यह कहा गया कि केरल तथा अन्य अहिन्दी भाषी राज्यों को केन्द्र से हिन्दी में संदेश भेजे जा रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं हैं। केन्द्र में यह प्रथा नहीं है।

केन्द्र सरकार सन्देश अंग्रेजी में भेजती है लेकिन साथ ही हिन्दी की एक प्रति भेजी जाती है। मैं नहीं समझता कि इस पर कोई आपत्ति हो सकती है। यदि किसी सरकारी विभाग द्वारा सन्देश केवल हिन्दी में भेजा गया है तो हम उसके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी विभाग इस प्रकार का कार्य करे ।

एक माननीय सदस्य की बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि अभिभाषण राष्ट्रपति पर थोपा गया है और जो बात वह अपनी इच्छा से कहना चाहते थे नहीं कह पाये हैं। मैं यह कहूंगा कि संसद सदस्य होने के नाते वह (सदस्य) यह भी नहीं जानते कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या है और राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं। सदैव सरकार की नीति की ही व्याख्या की जाती है। यह बात कोई पहली बार नहीं हुई है। लेकिन कुछ भी बात जबरदस्ती नहीं कहलाई गई है और न ही जबरदस्ती का कोई प्रश्न उठता है।

एक माननीय सदस्य भी यह बात सुनकर की मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में तीखेपन, प्रेरणा और दिशा का अभाव है हम किसी के साथ कटुता नहीं रखना चाहते। न तो मैं ही किसी के साथ कटुता रखना चाहता हूं और न ही राष्ट्रपति ऐसा चाहेंगे।

यह भी कहा गया है कि इसमें केवल आधे सच हैं। हमने कौन से अर्द्ध सत्य आपके समक्ष रखे हैं ? क्या यह सच नहीं है कि आज कीमतें गत मार्च की कीमतों की अपेक्षा अधिक नहीं हैं ? यही राष्ट्रपति ने कहा है। वर्ष भर में थोक मूल्यों में उतार-चढ़ाव होते रहे हैं यह भी बात हमने कही है। उपभोक्ता मूल्य भी नियमित किये जा रहे हैं उनमें भी कमी हो रही है। आर्थिक समीक्षा से केवल यह सिद्ध होता है कि हम कुछ बात छिपा कर नहीं रख रहे हैं।

कहा गया है कि हम प्रतिपक्ष का सहयोग नहीं ले रहे हैं। यह बात गलत है। हमसे जितना हो सका है हमने प्रतिपक्ष का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की है और कुछ मामलों में--सभी में नहीं--हमें उनका सहयोग भी प्राप्त हुआ है। लेकिन यह कहना कि हमने उनका सहयोग नहीं लिया है, ठीक नहीं है। हम कुछ संवैधानिक उपबन्धों को समाप्त करने हेतु संवैधानिक संशोधन नियंत्रण ला रहे। भूतपूर्व सरकार द्वारा किये गये कुछ संवैधानिक संशोधन हमें स्वीकार्य नहीं हैं अतः हम उन्हें समाप्त करना चाहते हैं इस कार्य में हम प्रतिपक्ष के सदस्यों का सहयोग चाहते हैं और उनसे इस बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ बातों में उन्होंने सहमति प्रकट की है इसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई है कि प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों को भी राष्ट्रपति का वग्गी में बैठकर संसद भवन न आना अच्छा लगा है। वह चाहते हैं हम इस सम्बन्ध में और भी आगे बढ़े। समय के साथ साथ हम उनकी अन्य बातें भी मान लेंगे।

फिर यह भी कहा गया है जनता सरकार यह दावा कर रही है जैसे देश के इतिहास में पहली बार यह काम करने का श्रेय उसी को है। शायद जो कुछ हमने कहा है उसका उपहास उड़ाया जा रहा है। हम यह बात कैसे कह सकते हैं। पिछले 30 वर्षों में देश में प्रगति हुई है। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है। हम यह भी नहीं कहते कि इन उपलब्धियों का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा है हम यही कह रहे हैं कि इसके लाभ अधिकांश जनता तक नहीं पहुंचे हैं अब हम एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। इसी का हम दावा कर रहे यदि देश प्रगति न करता तो हमारी क्या स्थिति होती। मैंने यह हमेशा कहा है कि पिछली सरकार ने जो भी कार्य किये हैं उन सब को गलत नहीं ठहराया जा सकता। हो सकता है उनकी कुछ बातें तो गलत हों पर सब नहीं, अधिकांश बातें ठीक हो सकती हैं।

फिर यह भी कहा गया है कि अभिभाषण में कानून और व्यवस्था की समस्या का उल्लेख नहीं किया गया है। इस बारे में क्या उल्लेख किया जाता ? कानून और व्यवस्था की स्थिति में समुचित सुधार नहीं हुआ है यदि सदस्य यह कहना चाहते हैं तो इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन क्या हम इसके लिये जिम्मेदार हैं या देश में इस स्थिति को पैदा करने के लिये हमसे पहले जो शासन कर रहे थे वे जिम्मेदार हैं ? यदि इस बात का उल्लेख नहीं किया जाता तो ऐसा कहने का क्या अर्थ है ?

'आंसुका' जारी रखने पर आपत्ति की गई है पुराने नजरबन्दी निवारक कानून को समाप्त किया जा रहा है। आपातस्थिति के दो वर्षों के भीतर इस कानून का बहुत दुरुपयोग किया गया लेकिन यदि हिंसा का सामना करना है तो पुराने ढांचे की आवश्यकता है अतः

हर बात में नुक्स खोजने की आदत अच्छी नहीं है देश के हित में तथा अच्छी भावना से किये जाने वाले काम का समर्थन किया जाना चाहिये।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : जब प्रधान मंत्री तथ्यों से विपरीत बातें करेंगे तो हमें विरोध करना ही पड़ेगा। हमारा दल अलग है।

श्री मोरारजी देसाई : कहा गया है कि यदि 'आंसुका' जारी रहेगा तो व्यैक्तिक स्वतन्त्रता हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगी। आंसुका को जारी नहीं रखा जायेगा लेकिन नजर बन्दी निवारक कानून को दण्ड प्रक्रिया संहिता में रखा जा रहा है। यह हिंसात्मक लोगों हेतु लाया गया है। इसका उपयोग राजनीतिक उद्देश्य से कभी नहीं किया जायेगा लेकिन यदि राजनीतिक कार्य के नाम पर हिंसा का आश्रय लिया जायेगा तो निश्चय ही वह इस श्रेणी के अन्तर्गत आ जायेगा। यह बात हमें भली-भांति समझ लेनी चाहिये।

अल्पसंख्यक आयोग के बारे में भी उल्लेख किया गया है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि श्री मीनू मसानी इजरायल समर्थक और अरब विरोधी हैं। यह बात बिल्कुल गलत है।

केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। दूसरे सदन में भी इसका उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि इस विषय पर राष्ट्रीय चर्चा कराई जाये। समाचारपत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चर्चा तो हो ही रही है यहाँ पर भी इसका उल्लेख किया जा रहा है लेकिन इस विषय पर हम विशेष चर्चा नहीं करा सकते। ऐसा संभव नहीं है। जो लोग इस मामले पर मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं वह जितनी बार चाहें चर्चा करें मैं इसके लिये तैयार हूं।

बेरोजगारी के प्रश्न का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन निश्चय ही उसमें यह कहा गया है कि आर्थिक सुधारों के लिये कार्यवाही की जा रही है। बेरोज़गारी दूर करने का यह भी एक तरीका है। अतः यदि यह समझा जाता है कि इस बारे में विशिष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है तो अगली बार इस सम्बन्ध में हम सतर्क रहेंगे।

यह समझ में नहीं आता कि यह कैसे कह दिया गया कि अथाह पूंजी कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में है। यह हमारे कार्यों का नतीजा नहीं है। यदि एक फर्म अथवा एक परिवार की आस्तियां पिछले छह-सात वर्षों में 300 करोड़ रुपये से बढ़कर 1200 करोड़ रुपये हो गई हैं तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? हम इसके लिये निश्चय ही जिम्मेदार नहीं हैं। बहरहाल हम यह जरूर सुनिश्चित करेंगे कि इतनी अथाह पूंजी गिने चुने लोगों के हाथों में न रहे। लेकिन इस कार्य में थोड़ा समय लगेगा।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है हम निश्चय ही इस सम्बन्ध में, ठोस कदम उठायेंगे विशेषकर उन वस्तुओं के सन्दर्भ में जिनकी सप्लाई कम है और जिनका आयात किया जा सकता है, और उनका आयात हमने किया है तथा उनके मूल्यों में कमी हुई है।

चीनी के मूल्यों में भी कमी हुई है और अब लोग यह चिल्ला रहे हैं कि चीनी के दाम बढ़ने चाहिये हर वर्ग के लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। हमें सभी के हितों में सन्तुलन रखना है और यही हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय बाद इसके परिणाम दिखने लगेंगे। सर्वाधिक आश्चर्य चकित करने वाली बात यह है कि विपक्ष के नेता ने जांच आयोगों का उल्लेख किया है। उन्होंने यह कह कर अपनी ही सुरक्षा की है कि इस मामले में उन्होंने कोई अनुसन्धान नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने यहां पर सुनी सुनाई अथवा गैर-जिम्मेदार समाचारपत्रों के आधार पर बातें कही हैं। उन्होंने बताया है कि 49 आयोग नियुक्त किये गये हैं। उनमें से एक ने तो अपना प्रतिवेदन दे दिया है। शेष आयोग भी तीन-चार वर्ष तक नहीं बैठे रहेंगे।

उन्होंने कहा है कि इन पर 900 करोड़ रुपये व्यय होगा। अब तक इन आयोगों पर 35 लाख रुपये व्यय हुए हैं। यह व्यय 1 करोड़ से अधिक नहीं होगा।

राज्यों में 18 आयोग कार्यरत हैं इनमें 10 ऐसे राज्यों में हैं जिनमें माननीय सदस्य का दल सत्तारूढ़ है। वह तो इसे अभी भी आवश्यक समझते हैं परन्तु हमारे लिये वही अनावश्यक हैं।

यह भी कहा गया है कि सरकार की भूमि सुधार नीति से धनी किसानों को ही लाभ पहुंचेगा। मैंने बड़े जमींदारों के विरुद्ध अभियान 1937 में ही चलाया था। बम्बई में हमने 1946 में ही किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया था।

श्री यशवन्त राव चह्वाण (सतारा) : रोजगार ग्रान्टी अधिनियम के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री मोरारजी देसाई : हम रोजगार देने के पक्ष में हैं बेरोजगारी भत्ता देने के पक्ष में नहीं हैं।

मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि वेतन को उत्पादन से जोड़ा जाये।

यह सच नहीं है कि कांग्रेस शासन में औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन अधिक था। परन्तु पिछले वर्ष का कृषि उत्पादन उससे पूर्व वर्ष से अधिक था।

ग्रामीण क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय कम रही है। इसी लिये ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने को प्रथम वरीयता देना चाहते हैं। हम काम का प्रचार कम करना चाहते हैं तथा वास्तविक कार्य अधिक करना चाहते हैं। आश्चर्य है कि यह कहा जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र की अवहेलना की जा रही है। परन्तु वास्तविकता यह है कि सरकारी क्षेत्र की ओर हम अधिक ध्यान देना चाहते हैं तथा इसे अधिक सक्षम बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र सहयोग से कार्य करे तथा देश में मिश्रित अर्थ व्यवस्था पनपे।

यह भी कहा गया है कि विभिन्न आयोगों की नियुक्ति कुछ व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए की जाती है। हमें बताया जाए कि पार्टी से किस व्यक्ति को आयोगों में लिया गया है।

परिवार नियोजन कार्य को हम बहुत अधिक महत्व देते हैं। आपात स्थिति की प्रतिक्रिया के कारण इस कार्य को आघात पहुंचा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आगामी दो वर्षों में इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे।

दल-बदल के विरुद्ध विधेयक हम शीघ्र लाना चाहते हैं। लोकपाल विधेयक के अन्तर्गत प्रधान मंत्री तथा सभी संसद सदस्यों को लिया जाना चाहिये।

ईरान और जापान के साथ विशेष सम्बन्धों का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी के साथ भी विशेष सम्बन्धों का प्रश्न नहीं उठता। मैत्री सम्बन्धों को दृढ़ बनाने के लिये सभी देश हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं।

नशाबन्दी कार्यक्रम की आलोचना की जा रही है। यह कार्यक्रम संविधान में सम्मिलित है। क्या आज के लोग संविधान निर्माताओं से अधिक बुद्धिमान हैं। यह कार्यक्रम गरीबों के कल्याण के लिए ही है। हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि नशाबन्दी हमारे लिए अनिवार्य है। निर्वाचन के समय कर्नाटक सरकार भंग कर दी गई। ऐसा कांग्रेस के बटवारे एवं उनके आन्तरिक झगड़ों के कारण करना पड़ा ताकि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। सदस्यों को मेरी भूलें दर्शाने का अधिकार है। परन्तु कृपया जो दोष नहीं है वे तो मत दिखायें।

डा० कर्ण सिंह (जम्मू) : मैं प्रधान मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

यह सभा तथा राष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग का स्वागत करता है। कुछ राज्यों में हिन्दू अल्प मत में हैं। क्या यह आयोग उनके हितों का भी ध्यान रखेगा?

श्री मोरारजी देसाई : जिस राज्य में जो समुदाय अल्पसंख्या में हों वे अल्पसंख्यक होने के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

डा० कर्ण सिंह : क्या यह जम्मू काश्मीर पर भी लागू होगा?

श्री मोरारजी देसाई : इसका निर्णय आयोग को लेना है।

SHRI RAM DHAN (Lalganj) : May I seek a small clarification from the hon. Prime Minister. He has not uttered a single word about scheduled castes and scheduled tribes. Would he throw some light on it.

श्री मोरार दसाई : मैं समझता हूं कि मैं इस मामले में दो तीन बार सभा में बोल चुका हूं इस मामले को मैं गम्भीरता से लेता हूं। इसी लिये हमने स्थाई आयोग की नियुक्ति की है। यह राष्ट्रीय समस्या है तथा मुझे उम्मीद है कि सभी पक्ष इस मामले में सहयोग देंगे ताकि हम इस बुराई को दूर कर सकें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए :

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मूल प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने 20 फरवरी, 1978 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।'"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was passed.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बेतवा नदी बोर्ड नियम, 1977 तथा भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा का वार्षिक प्रतिवेदन, 1976-77

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री नुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 की धारा 24 के अन्तर्गत बेतवा नदी बोर्ड नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 22 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 1699/78]।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा, के वर्ष 1976-77 के **वार्षिक प्रतिवेदन** (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 1700/78]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण :

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र, चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 1701/78]

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिणी क्षेत्र) मद्रास का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिणी क्षेत्र) मद्रास के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिणी क्षेत्र,), मद्रास के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित अवधि में उपर्युक्त (5) में उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1702/78]

ANNUAL REPORT OF HINDUSTAN HOUSING FACTORY, NEW DELHI FOR 1976-77 AND URBAN LAND (CEILING AND REGULATION) 8TH AMENDMENT RULES 1978

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKER) : I beg to lay on Table A copy of the Annual Report (Hindi* version) of the Hindustan Housing Factory Limited, New Delhi, for the year 1976-77 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956. [Placed in Library. *See* No. L.T. 1703/78]

A copy of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Eighth Amendment Rules, 1977 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 765(E) in Gazette of India dated the 19th December, 1977, under sub-section (3) of section 46 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 together with an explanatory memorandum. (Placed in Library. *See* No. L.T. 1704/78.

मार्डर्न बेकरी (इंडिया) लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1976–77 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा गन्ना (नियंत्रक) संशोधन आदेश 1978

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मार्डर्न बेकरी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मार्डर्न बेकरी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1705/78)

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा (3) की उपधारा (6) के अन्तर्गत गन्ना (नियन्त्रक) संशोधन आदेश, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 2 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 62 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1706-78]

*The English version of the Report and English and Hindi versions of the Review were laid on the Table on 19th December, 1977.

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीजुल्फिकार उल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 88 (ङ) से 114(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 1 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1707/78]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 115(ङ) से 154(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 1 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1708/78]

[डा० सुशीला नय्यर पीठासीन हुई
DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों द्वारा कैंपों तथा पुनर्वास स्थलों को त्यागने का समाचार

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमन्, मैं निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"भूतपूर्व पाकिस्तान के हजारों शरणार्थियों द्वारा कैंपों तथा पुनर्वास स्थलों को त्यागने और कलकत्ता की ओर भागने का समाचार।"

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : 27-2-1978 को हमारे नोटिस में लाया गया कि दण्डकारण्य परियोजना के पलकानगिरी जोन से लगभग 500 परिवार पुनर्वास स्थलों और कर्मी शिविरों को छोड़ गए थे। ये प्रवासी, दलों में पश्चिमी बंगाल के हावड़ा, सिआलदाह और हसनाबाद रेलवे स्टेशनों पर इस आशा से पहुंच गए कि वे सुन्दर वन/पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास प्राप्त कर सकेंगे। सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ये परिवार कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा किए गए इस प्रचार के परिणामस्वरूप परियोजना को छोड़कर चले गये कि सुन्दरवन तथा पश्चिमी बंगाल के अन्य क्षेत्रों में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति के पुनर्वास की काफी गुंजाइश है। नवम्बर, 1977 से इन तत्वों द्वारा इस प्रकार का प्रचार तेजी से किया जा रहा है। इस मामले को पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ जनवरी, 1978 में उठाया गया था और पश्चिमी बंगाल सरकार ने बताया कि दण्डकारण्य से आए शरणार्थियों को बसाने के लिये पश्चिमी बंगाल के किसी क्षेत्र

में भूमि उपलब्ध नहीं है और न ही उन्हें सुन्दरबन में बसाए जाने की कोई गुंजाइश है। यद्यपि दण्डकारण्य परियोजना प्राधिकारियों द्वारा इस का प्रचार किया गया था, फिर भी कुछ परिवार सुन्दरबन/पश्चिमी बंगाल में उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में दी गई मिथ्या आशाओं के बहकावे में आकर हाल ही में पुनर्वास स्थलों/**कर्मी शिविरों** को छोड़ कर चले गए।

2. लगभग 987 परिवार दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र को छोड़कर चले गये हैं। दण्डकारण्य परियोजना के मलकानगिरी जोन के गांवों और **कर्मी शिविरों** में बसाए गए परिवारों की कुल संख्या क्रमशः 8,355 और 4,209 है।

3. इस सूचना के प्राप्त होने पर कि परिवार पश्चिमी बंगाल के हावड़ा, सिआलदाह और हसनाबाद में पहुंच चुके हैं, मामले को पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ तत्काल उठाया गया। पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि वे इन परिवारों को वापस भेजने का प्रबन्ध कर रहे हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि उन्हें दण्डकारण्य परियोजना के मलकानगिरी जोन में, जिस क्षेत्र को वे वास्तव में, छोड़ कर आए थे, वापस भेजने के प्रबन्ध किए जाएं। सूचित किया गया है कि 2-3-78 को कलकत्ता से गाड़ी द्वारा 20 परिवारों को रायगुडा भेज दिया गया है। इन परिवारों का वहां पर स्वागत किया जा रहा है वहां से इन्हें परियोजना क्षेत्र में ले जाया जाएगा। ऐसा पता चला है कि पश्चिमी बंगाल सरकार शेष परिवारों को भेजने का प्रबन्ध कर रही है।

4. दण्डकारण्य परियोजना प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि छोड़कर जाने वाले परिवारों को वापस आने पर उनका स्वागत करें और उपयुक्त समझ बूझ के साथ उनको पुनर्वास प्रदान किया जाए। अपने गांवों में वापस आने पर इनको उचित सहायता दी जाएगी।

5. इस प्रकार छोड़कर जाने से सम्बन्धित कारणों के कथित तथ्यों की जांच की गई है। उड़ीसा सरकार ने **आदिवासियों** द्वारा तंग किए जाने के आरोप का खण्डन किया है। दण्डकारण्य परियोजना के मुख्य प्रशासक ने बताया है कि पशुओं को चराने तथा भूमि के कुछ टुकड़ों के सम्बन्ध में अपने अपने दावों की छिटपुट घटनाओं के अलावा **आदिवासियों** और बसाए गए व्यक्तियों के बीच कोई समस्या नहीं है। उन्होंने इस आरोप को निराधार बताया है कि 4 मास की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। इसके विपरीत यह बताया गया है कि जोन में सभी परिवारों के लिये अब काम उपलब्ध है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जब कृषि कार्य नहीं होता तो बहुत से बसाए गए व्यक्ति इस समय में शारीरिक श्रम का कार्य करने के लिये राजी नहीं होते हैं। उनमें से कुछ काम किए बिना बेकारी अनुदान चाहते हैं जिसके वे पात्र नहीं हैं।

श्री समर गुह : मैं प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य विस्थापितों को उत्तेजित करना नहीं है।

मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को सीमा पार करते ही उन्हें कैम्पों में रखा गया था। तथा स्थायी पुनर्वास के लिए

उनको सुविधाएं दी गई थीं। परन्तु पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को 1956 तक कैम्पों में प्रतीक्षा करनी पड़ी और इस अवधि में उनकी दशा अर्द्ध मानव की सी हो गई। 1956 के बाद ही उनके पुनर्वास का कार्य प्रारम्भ हुआ।

यदि आप आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो 60 से 75 प्रतिशत विस्थापितों का पुनर्वास उनके अपने प्रयत्नों से सम्भव हो सका। कुछ ही विस्थापितों को सरकारी मदद दी गई !

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को अपनी सम्पत्ति के बदले 400 करोड़ रुपया की क्षतिपूर्ति दी गई थी। हाल ही में उन्हें शत्रु सम्पत्ति के रूप में 9 या 10 करोड़ रुपये मिलने जा रहे हैं।

आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में उन्हें विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न शिविरों में बसाया गया। सरकार ने अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम में उन्हें बसाने के लिये धन दिया है। किन्तु इन पर कई करोड़ रुपये बर्बाद किए गए हैं और वे उन स्थानों को छोड़कर भिखारियों के रूप में पश्चिम बंगाल में इधर-उधर घूम रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था बिगड़ने का एक कारण यह भी है। इस बात को भूतपूर्व सरकार तथा वर्तमान सरकार ने महसूस नहीं किया। लाखों लोग दयनीय स्थिति में हैं। इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस सभा में कई बार कहा गया है कि ये शरणार्थी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आदि को छोड़कर चले गये हैं क्या आपने इस पर ध्यान दिया है ? आखिर वे भी मनुष्य हैं। वे क्या करें ? यदि आप आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि 80 से 90 प्रतिशत शरणार्थी अपने शिविरों को छोड़ कर चले गए हैं।

लगभग 15 वर्ष से, 1,30,000 शरणार्थी माना और देवली शिविरों में सड़ रहे हैं। कुछ लोगों को वहां से हटा कर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। वहां से लोग अन्डमान जाने को तैयार हैं। उनकी सूची पिछली सरकार को दी गई थी। उसने कई बार सदन में उनके वहां भेजे जाने की बात कही, परन्तु उसे कभी पूरा नहीं किया गया। में इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। परन्तु मुझे पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और पुनर्वास मंत्री के इस कथन पर बड़ा खेद है कि उनके लिये कोई जगह हमारे यहां नहीं है। लगता है जब राजनीतिक लाभ के लिये उनकी आवश्यता थी तब तो उनका उपयोग किया गया और अब कोई उन शरणार्थियों की चिन्ता नहीं करता।

'उचित तालमेल' और 'न्यायोचित सहायता' शब्दों को ठीक प्रकार से सोच कर कार्रवाई की जाए।

सभापति महोदया : संक्षेप में बोलिये। आपने तो लम्बा भाषण दे दिया। यह कार्य सूची में भी नहीं है।

श्री समर गुह : यह कार्य सूची में है। यदि यह महत्वपूर्ण न होता तो इसकी अनुमति न दी जाती।

सभापति महोदया : आप अभी और कितना समय लेंगे ।

श्री समर गुह : आपको इस प्रकार टोकने की आदत है । खेद है मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है ।

सभापति महोदया : आपको अध्यक्ष पीठ का सम्मान करना चाहिये । मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप संक्षेप में बोलें ।

श्री समर गुह : 500 परिवार इन शिविरों को छोड़ कर अन्य परियोजनाओं में चले गए हैं ।

अन्त में मैं अनुरोध करता हूं कि इन शरणार्थियों की समस्या पर सहानुभतिपूर्वक अनिवार्य दृष्टि से विचार किया जाए। उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिये संसद सदस्यों की एक समिति बनाई जाए।

श्री सिकन्दर बख्त : शरणार्थियों के पुनर्वास में अत्यधिक सावधानी बरती जा रही है।

मैं स्वयं भी उनके ही समान शरणार्थियों की समस्याओं के सम्बन्ध में चिन्तित हूं। सरकार का यह कर्तव्य है ।

पश्चिमी पंजाब और पूर्व बंगाल के शरणार्थियों में तुलना करना खेदजनक है । हम इस सम्बन्ध में यथाशक्ति जो हो सकता है कर रहे हैं।

श्री समर गुह : तुलना क्यों न की जाएं ?

सभापति महोदया : मैं इस सम्बन्ध में कुछ बता सकती हूं पर यहां से ऐसा करना सम्भव नहीं है। मैं मंत्री को आपके अनुसार उत्तर देने को बाध्य नहीं कर सकती।

श्री समर गुह : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि क्या संसद सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी ।

सभापति महोदया : यह एक सुझाव है।

श्री समर गुह : पिछली सरकार ने जो वायदे किए थे उनका पालन किया जाना चाहिए।

श्री सिकन्दर बख्त : खेद है यह मामला आधा दर्जन बार उठाया गया है, जब से नई सरकार ने कार्य भार संभाला है। मैं बता चुका हूं कि सभी शरणार्थियों को बसाने का हमारा वायदा है। अनेक कारणों से अन्डमान में पुनर्वास का कार्य रोक दिया गया है।

श्री वियालार रवि : मंत्री महोदय मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी दे रहे हैं । मेरा सुझाव है कि वे स्वयं अन्डमान में जा कर देखें कि वहां क्या हो रहा है।

सभापति महोदया : आपका सुझाव नोट कर लिया गया है और जो हो सकेगा वे करेंगे

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) हल्दिया पत्तन की पूरी क्षमता के समुचित उपयोग के बारे में समाचार

***श्री रामकृष्ण डान** (बर्दवान) : हल्दिया पत्तन दुनियां का सबसे आधुनिक पत्तन है। इसका निर्माण भारी व्यय करके किया गया था परन्तु इसका समुचित उपयोग न होने के कारण, देश को काफी वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है। इस प्रश्न के अधिकारियों ने आयात-निर्यात अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया है परन्तु उन लोगों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस पत्तन की उपेक्षा की जा रही है। हमें ऐसा लगता है मानों इन अधिकारियों ने पत्तन की क्षमता का पूर्ण उपयोग न करने की साजिश कर रखी है यह विचित्र बात है कि इस पत्तन का निर्माण कार्य करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि इस पर 40,000 टन सीमेंट उतारा जायेगा परन्तु जब पत्तन का निर्माण हो गया तो यह कहा गया कि केवल 20,000 टन सीमेंट ही यहां उतारा जायेगा। यही बात इस पत्तन पर उतारी जाने वाली अन्य वस्तुओं के बारे में भी है।

निर्यात-आयात प्राधिकारियों ने हाल ही में ये निदेश दिये हैं कि खाद्यान्नों सीमेंट और अन्य आवश्यक वस्तुओं को पश्चिमी बंगाल के बाहर ही उतारा जाये। इसके परिणामस्वरूप विदेशी जहाजों को विदेशी मुद्रा में मुआवजा देना पड़ता है। साथ ही फिर इस उतारे हुए माल को रेल डिब्बों में आसाम, उड़ीसा, त्रिपुरा और मेघालय भेजा जाता है जिसमें परिवहन व्यय बहुत बढ़ जाता है। यह भी कहा गया कि सभी लौह अयस्क का निर्यात इसी पत्तन से होगा, परन्तु एक टन लौह अयस्क का निर्यात भी इस पत्तन से नहीं हुआ।

पत्तन के प्राधिकारी हैरान हैं कि यह सब क्या हो रहा है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि सारे मामले की जांच करें कि इस बारे में कोई साजिश तो नहीं हो रही।

(दो) बेरुत में भारतीयों के जान-माल के खतरे के समाचार

श्री भगत राम (फिल्लौर) : 12 फरवरी, को 3 भारतीय नागरिकों को सीरिया के सैनिकों द्वारा उनके घरों से पकड़ लिया गया। फिर उनका कुछ पता नहीं चल सका। समाचार मिले हैं कि इन अपहरण करने वालों ने भारतीयों का जीवन और सम्पत्ति खतरे में डाल दी है। बहुत से भारतीयों को कैदी बना लिया गया है। कई घायल हुये हैं और कई मार दिये गये हैं। वहां का दूतावास भारतीयों के जीवन की रक्षा करने में असमर्थ हो रहा है। मन्त्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है और सरकार इस दिशा में क्या कर रही है ?

(तीन) बनारस विश्वविद्यालय में विद्यमान स्थिति

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : On the 3rd March, some agitated students of Banaras Hindu University gheraoed the University Rector and forced him to tender his resignation in protest against the incidents which had occurred in the University Campus on the evening of previous day. They also complained against mercilessly beating by some students by police in Raman Hostel. The students demanded immediate action against the police. After this incident, all the colleges were closed down by University authorities. It is also said that a student Union leader is on a fast-unto-death.

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in engali.

During last one year the Vice-chancellor of the University has been changed thrice. At present there is no Vice-chancellor. A good number of students are reaching there for getting admission but all in vain.

The unrest among the students is at its heals and if this situation continues for long, the situation may take a very ugly turn. So immediate action by Government is called for.

रेल बजट 1978-79--सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET, 1978-79—GENERAL DISCUSSION

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्त नाग) : रेल मंत्री को भूतपूर्व सरकार के बारे में उचित जानकारी नहीं रही है। यह कार्यभार उन्हें भूतपूर्व सरकार से मिला है । यह उचित समय है कि वह आपात स्थिति की आलोचना न करते हुए सभा को सही स्थिति से अवगत करायें कि भूतपूर्व सरकार से कितना कुछ लिया है । वर्ष 1976-77 रेलवे के लिये वास्तव में एक मोड़ था। उस वर्ष में कुल परिवहन प्राप्ति में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और रेल भाड़े से हुई प्राप्त आय ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। रेल भाड़ा यातायात से प्राप्त कुल राजस्व 212.27 मिलियन टन तक पहुंच गया जो कि पूर्व वर्ष से 15.48 मिलियन टन अधिक नगरीय तथा गैर-उप नगरीय यात्री यातायात से 1975-76 में 9.17 प्रतिशत तथा 1976-77 में 13.16 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप भारतीय रेल, जो कि 1973-74 से घाटे में चल रही थी, 1976-77 में लाभ कमाने लगी।

श्रीमान जी मैं समझता हूँ कि वर्ष 1977-78 के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का महत्व इस वर्ष हुई रेल दुर्घटनाओं के कारण काफी कम हो गया है । वर्ष 1977-78 में रेल दुर्घटनाओं की दर वर्ष 1976-77 के रेल दुर्घटनाओं की तुलना में दुगनी हो गई। मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह बात तो कही है कि पटरियों पर निगरानी रखने के लिये प्रतिदिन .1 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। रेलवे का मुख्य कर्तव्य भी तो रेल यात्रियों को सुरक्षित अपने गन्तव्य स्थानों पर पहुंचाना है। जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें कहा गया है कि अधिकांश दुर्घटनायें तोड़-फोड़ के कारण हुईं जबकि तथ्य यह है कि एक भी दुर्घटना के बारे में वह यह सिद्ध नहीं कर पाये कि वह तोड़-फोड़ के कारण ही हुई है। इस रेलवे बोर्ड के बारे में भी कहा गया है कि इसके ऊपर होने वाला खर्च कम कर दिया गया है परन्तु सदस्यों की संख्या तो अभी भी उतनी ही है, वह सभी अब भी वही सुविधायें ले रहे हैं जो उन्हें पहली उपलब्ध थीं । फिर भला बचत कहाँ हुई है ? केन्द्रीय सरकार द्वारा रेलवे पर वर्ष 1976-77 में 43,67,000 रुपया खर्च किया गया था जो वर्ष 1977-78 में 46,68,000 रुपये तक बढ़ गया तथा वर्ष 1978-79 में यह व्यय 47,45,000 रुपये हो जायेगा । अतः यह सब क्या है ?

मैं रेलवे बोर्ड को बनाये रखने के पक्ष में हूँ क्योंकि इस का अब तक बहुत सन्तोषजनक कार्य रहा है । अब तक यही किया गया है कि जहां एक ओर रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्यों के पद घटाये गये हैं वहां दूसरी ओर उनका पदनाम बदल कर 'एडवाईजर' कर दिया गया है । रेलवे बोर्ड पर होने वाला व्यय बहुत बढ़ गया है। पहले भी रेलवे बोर्ड ही निर्णय लेता

था और आज भी इसका यही काम है । अतः इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के उद्देश्य से मंत्री महोदय ने रेलवे बोर्ड का ढांचा बदल कर भारी बचत करने का जो दावा किया है वह सही नहीं है ।

जहां तक शक्तियों के प्रत्यायोजन का सम्बन्ध है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ये शक्तियां एक ही व्यक्ति में सकेन्द्रित न हों। इस संगठन को मंडलीय स्तर पर सशक्त बनाया जाए क्योंकि मण्डलीय प्रबन्धक ही सम्पूर्ण रेलवे प्रशासन का मुख्य व्यक्ति होता है।

कम भाड़े वाले यातायात को लाने ले जाने के लिये 69 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जिससे व्यापार और उद्योग को लाभ होगा। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि यह लाभ उठाने वाले तथा लागत मूल्य से कम मूल्य पर सामान प्राप्त करने वाले उद्योग उपभोक्ताओं के लिये उत्पादन करने वाली वस्तुओं के मूल्य घटायें। यदि व्यापार और उद्योग कम मूल्य और कम भाड़े पर कुछ सामान प्राप्त करते हैं तो इस लाभ का प्रभाव उस विशेष वस्तु की उत्पादन लागत पर भी पड़ना चाहिये जिससे कि उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त हो जाये । माल भाड़ा यातायात के सम्पूर्ण मामले की जांच करने के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है । लेकिन प्रतीत होता है कि समिति की नियुक्ति के मामले में विलम्ब हो सकता है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है और इस दिशा में संगठित प्रयास किये जाने चाहिए ।

सड़क परिवहन, जल-परिवहन , रेल- परिवहन विमान परिवहन तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन जैसे परिवहन के विभिन्न प्रकारों में समन्वय स्थापित करना अत्यावश्यक है। रेलवे ने विभिन्न राज्यों में रेल-मार्ग समन्वय को नियमित करने की दृष्टि से ही विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों में करोड़ों रुपये का निवेश किया है । लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है । इसका मुख्य कारण यह है कि रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों ने, जो इन निगमों के निदेशक मण्डल में हैं, कनिष्ठ अधिकारी होने के नाते इन बोर्डों में कोई कारगर भूमिका नहीं निभाई। इन्हें निदेशकों के रूप में नामनिर्देशित किया गया है जबकि राज्य बोर्डों में उच्च पदवियों के लोग हैं। इसलिए रेल सड़क परिवहन में समन्वय लक्ष्य को प्राप्त करने के बजाये रेल सड़क परिवहन में स्पर्धा हो रही है। जहां रेलवे बेहतर और प्रभावी तरीके से कार्य कर सकती हैं , उन क्षेत्रों में रेलवे को परिवहन का मुख्य साधन होना चाहिए ताकि रेल और सड़क परिवहन के बीच समन्वय हो सके।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोको वर्क्स और इन्टेग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित इंजनों और डिब्बों की वास्तविक उत्पादन लागत का पता लगाने के प्रयास किए जाने चाहिए। सभी पहलुओं से यह आवश्यक है। पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि हमारे अपने ही यूनिटों में वास्तविक उत्पादन लागत कितनी बैठती है। दूसरे, जब हम निर्यात करने के बारे में विचार करते हैं। तो हमें शेल्टरर्ड मार्किट में नहीं रहना चाहिए। विश्व मण्डी में बहुत भारी स्पर्धा है जहां सामान का मूल्य और उसकी किस्म अधिक परखी जाती है। उत्पादन लागत कम करने के लिए क्षमता का न केवल पूर्णतः उपयोग किया जाये बल्कि यह भी देखना चाहिए कि उत्पादन लागत उचित सीमा तक ही रहे जिससे हम विश्व मण्डी में स्पर्धा कर सकें।

रेलवे रेट्स ट्रिबूनल में भी मितव्ययता बरती जा सकती है। इस निकाय पर 4 लाख रुपया खर्च हुआ है। बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि रेलवे रेट्स ट्रिबूनल ने गत 5 वर्षों में केवल 4 मामले ही लिए हैं। अतः रेल मंत्री महोदय को इस संगठन की जांच करनी चाहिए। रेलवे भाड़ा ढांचे की जांच करने के लिए एक समिति तो पहले ही है। इस के समानान्तर यह रेलवे रेट्स ट्रिबूनल भी है। फिर रेलवे कांफ्रेंस भी हो रही है। रेल मंत्री को इन विभिन्न संगठनों की जांच करनी चाहिए क्यों ये इतने अधिक फैले हुए है कि इनकी उपयोगिता का पूर्ण अनुमान लगाना सम्भव नहीं होगा।

पेंशनरों का भी मामला है। रेलवे में यह पेंशन योजना 16-11-57 को सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में लागू की गई थी। सभी रेलवे कर्मचारी जो इस तिथि या इसके बाद रेल सेवा में आयें, इस पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं। अन्य लोगों को 21-10-1972 तक विकल्प का समय दिया गया था कि या तो वे अंशदायी भविष्य निधि- योजना के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति का लाभ उठाये और या पेंशन योजना के अन्तर्गत आयें। क्योंक पेंशन योजना से कर्मचारियों और उनके परिवारों की बेहतर सुरक्षा मिलती है इसलिए विकल्प की तिथि आगे बढाई जा सकती है। मंत्री महोदय को इस तिथि को और आगे बढ़ाने का विचार करना चाहिए क्योंकि इसे समस्त रेलवे व्यवस्था में परिचालित नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप बहुत कम लोगों को इस योजना का लाभ हुआ। अतः यह विकल्प लेने के लिए उन्हें अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

बजट में रेलवे के विद्युत्तीकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। रेलवे को योजना आबंटन में से प्रतिवर्ष केवल 35 से 40 करोड़ रुपये जुटाकर ही डीजल तेल की खपत में कमी करनी चाहिए और 2350 करोड़ रुपये के रेलवे की पांचवीं योजना परिव्यय में से विद्युतीकरण की योजनाबद्ध दर से कार्य करना चाहिए। मंत्रालय को विद्युत्तीकरण की गति में तेजी लाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की प्राथमिकता बदलनी चाहिए। रेलवे विद्युत्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे का विस्तार करना अत्यावश्यक है। नई रेलवे लाइनों के निर्माण के क्षेत्र में रेलवे विस्तार गत 25 वर्षों में समान नहीं हुआ है जिसके फलस्वरूप कुछेक पर्वतीय, पिछड़े और कम विकसित राज्यों और क्षेत्रों की नितान्त उपेक्षा की गई है। हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मेघालय, मनीपुर अरुणाचल, मिजोरम और त्रिपुरा तथा जम्मू और काश्मीर जैसे राज्यों में पिछले 20 वर्षों में न तो कोई निर्माण कार्य हुआ है और न किसी रेलवे लाइन का भी विस्तार हुआ है बल्कि इस सम्बन्ध में यहां पूरी उपेक्षा की गई है अतः पर्वतीय, पिछड़े और कम विकसित में रेलवे लाइनों के विस्तार पर विचार करना चाहिये भले ही यहां आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ न हो। रेलों पर होने वाले कुल व्यय की तुलना में नई रेलवे लाइनों पर होने वाले खर्च में निरन्तर गिरावट हो रही है। यह अत्यन्त खेदजनक बात है और बहुत ही भयानक स्थिति भी है तथा इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

फिर महानगरीय रेल परिवहन परियोजनाओं का प्रश्न आता है। 5 वर्ष की अवधि में अब तक इन परियोजनाओं के लिये लगभग 50 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है अर्थात् कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली प्रत्येक नगर के लिये 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। 10 करोड़ की राशि में से बम्बई और कलकत्ते को प्रतिवर्ष 8 करोड़ रुपया भी नहीं मिलेगा।

इन परियोजनाओं पर अब 240 करोड़ रुपया खर्च होगा जबकि इन पर 120 करोड़ रुपये की राशि व्यय होनी चाहिये थी । सरकार इन परियोजनाओं पर पहले ही 33 करोड़ रुपये व्यय कर चुकी है । प्रतिवर्ष 8 करोड़ रुपये की राशि नियतन की दर से ये परियोजनाएं 20 वर्ष में पूरी होंगी और यह लागत बढ़कर 480 करोड़ रुपये हो जायेगी । अतः मंत्री महोदय को इस प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये ।

रेलवे में भ्रष्टाचार फिर बढ़ने लगा है । अधिकारियों की मुट्ठी गर्म किए बिना यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाते हैं । मंत्री महोदय को सतर्कता विभाग को सतर्क बनाने के बारे में विचार करना चाहिये । कम से कम एक बात की जा सकती है टिकट बांटने की खिड़की पर किसी कर्मचारी को दो वर्ष से अधिक नहीं रखना चाहिये क्योंकि इससे वे वहां निहित स्वार्थ पैदा कर सकते हैं और फिर भ्रष्टाचार आरम्भ हो जाता है । पता चला है कि रेलवे में जो खाना दिया जाता है वह बहुत घटिया किस्म का होता है और इसमें निरन्तर गिरावट आती जा रही है । जनता भोजन की प्रणाली आरम्भ की गई है यह बहुत अच्छी बात है लेकिन यह कोई नई बात नहीं है । 1976-77 में यह प्रणाली 204 स्टेशनों पर लागू की गई थी । यह पूर्वोदाहरण हमारा कायम किया हुआ है और आशा है आप इसे जारी रखेंगे ।

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV (Sahrsa) : The Railway Minister deserves congratulations for presenting a budget which has not proposed any increase in the railway fares and freights. But so far the expansion of railway lines is concerned it is disappointing to note that the budget has made very inadequate provision for laying down new railway lines.

The Britishers laid down about 43,148 miles long railway line in the country till 1936-37. During this rule minimum 1½ kilometer railway line was laid down daily and in the rule of Congress Government about half kilometer line had been laid down daily but keeping in view the present budget it will not be possible to lay down even one fourth kilometer line per day.

So far as the conversion of meter gauge lines into broad gauge lines is concerned, justice has not been done with us. Bihar state stands second in the list of backward regions in the country but it is most distressing to find that no work has so farbeen done in regard to laying down of new railway lines in this state. The entire report of even Railway Board's recommendation in regard to expansion of railways in Bihar has been thrown into waste paper basket and the Railway Minister has selected the state of Maharashtra for opening new railway line. It is very clear to see how Kosi area has been neglected. It is an area which produces good deal of foodgrains and jute but there are no arrangements for transportation of agricultural produce. I will therefor, appeal to the Railway Minister to fulfil the requirement of this area and all these lines which are pending expansion should be laid down at the earliest.

The institution of Railway Board should be made more democratic. I would like to quote a few lines from the speech of the hon. Minister which he had given in the time of Congress rule.

"But I want to criticise the Railway Board or an institution, its structure, its method of functioning and the wasteful expenditure in which the railway board is indulging .....Railway Ministry merely became a foot board of the Railway Board. I think that would be the apt description of the Railway Ministry and the administration therefore the institution of Railway board should be made more democratic.

The victims of Railway accidents or their families should be given the same compensation as is given to victims of air accidents.

The work for laying down new railway lines from Saraigarh to Nirmabi and from Radhopur to Bhimnagar should be immediately taken up. Similarly, the work of converting meter gauge into broad gauge lines especially from Manasi to Saharsa and Forbesganj

and from Barauni to Katihar should be immediately taken up. The entire area is not developing due to lack of transportational fascilities. The Railway Minister should pay his attention and issue instructions for undertaking the expansion work in this area at the earliest.

सभापति महोदय : पहले दो वक्ताओं ने लगभग एक घंटे का समय ले लिया है। चर्चा में भाग लेने वाले सदस्य यदि 10-10 मिनट का समय लें तभी सबकी बारी आ सकती है। श्री समर मुखर्जी।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : यह रेल बजट जनता पार्टी के एक वर्ष के शासन के बाद पेश किया गया है। अतः इसके विभिन्न पहलुओं की जांच जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी।

[**श्री धीरेन्द्रनाथ बसु** पीठासीन हुए
SHRI DHIRENDER NATH BASU *in the Chair*]

यद्यपि यात्री किराए और भाड़े में वृद्धि नहीं हुई है। यात्रियों और रेल कर्मचारियों को कुछ रियायतें दी गई हैं फिर भी वर्तमान बजट में पुरानी नीति को जारी रखा हुआ है। इसमें कोई आधारभूत परिवर्तन लक्षित नहीं होता। हमें आशा थी कि रेल बजट पूर्णतः नया बजट होगा। लेकिन हमें इसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता।

इस बजट में कुछ लाभ दिखाया गया है। लेकिन यह लाभ रेल यात्रियों और रेल कर्मचारियों की कीमत पर ही दिखाया गया है। इस बात का श्रेय लिया गया है कि सरकार को काफी लाभांश दिया गया है। हमने इसका आरम्भ से ही विरोध किया और यह कहा था कि रेलवे को सेवा संगठन माना जाए। बजट में भी इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन वस्तुतः इसे सेवा संगठन नहीं माना गया है।

विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने नई रेलवे लाइनें बिछाने की अधिक जोरदार मांग की है। लेकिन हम यह देखते हैं कि वर्तमान लाईनों के विस्तार अथवा नई लाइनें बिछाने के लिए राशि नियतन की प्रतिशतता में निरन्तर गिरावट आती जा रही है। इससे पता चलता है कि कम विकसित क्षेत्रों की समस्या को सरकार प्राथमिकता नहीं दे रही है। जब तक रेल मंत्री पुरानी परिपाटी को समाप्त नहीं करेंगे तब तक रेल प्रशासन में मूलभूत परिवर्तन नहीं आयेगा।

यह स्वीकार किया गया है कि रेल दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण यह है कि रेल कर्मचारी बहुत अधिक समय तक कार्य करने के कारण बहुत थक जाते हैं। उनके इस कार्य-भार को कुछ कम करने के उद्देश्य से इस बजट में कुछ उपाय किए गए हैं। जन आन्दोलन के कारण ही रेलवे प्रशासन की आखें खुली हैं और यह अनुभव किया गया है कि कर्मचारियों को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है।

अतीत में वार्षिक प्रतिवेदनों में उत्पादकता वृद्धि का रिकार्ड दिया जाता था और इसके आधार पर ही रेल कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग की है क्योंकि वे उत्पादन तो बहुत अधिक करते थे जबकि उन्हें वेतन बहुत कम मिलता था। इस वर्ष इस प्रकार की

उत्पादकता वृद्धि के चार्ट का नितान्त अभाव है, लेकिन मंत्री महोदय के भाषण से यह स्पष्ट है कि काम का भार बहुत बढ़ गया है। इसी कारण लाभ और वेतन वृद्धि करने की घोषणा करने के बावजूद रेल कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है।

पुरानी व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया जाना चाहिए। रेलवे को मुख्यतः सेवा-उन्मुखी होना चाहिए और रेलवे की आय रेलों के सुधार कार्यों पर ही खर्च की जानी चाहिए तथा उससे कर्मचारियों की दशा सुधारनी चाहिए और यात्रियों को सुविधाएं दी जानी चाहिए और नई लाइनें बिछानी चाहिएं।

बजट भाषण में बोनस का कोई उल्लेख नहीं है। सरकार ने बहुत पहले ही सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया था कि श्रमिकों, और कर्मचारियों यहां तक कि खेतीहर मजदूरों की आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। कार्मिक संघ के नेता के रूप में यह मंत्री महोदय का नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह यह देखें कि सरकार आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन का सिद्धान्त कार्यान्वित करे। यह महत्वपूर्ण मामला है और 1974 की हड़ताल का भी एक मामला है। यदा-कदा मामूली सी रियायतें देने से कर्मचारी सन्तुष्ट नहीं होने वाले। मंत्री महोदय को इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि 1974 की हड़ताल के सभी प्रभावित लोगों को नौकरियों पर बहाल कर दिया गया है। लेकिन अभी बहुत से लोगों को नौकरियों पर बहाल नहीं किया गया है और स्थानीय नौकरशाही बहाने पर बहाने बना कर उन्हें बहाल नहीं कर रही है। अब एक नये प्रकार का उत्पीड़न किया जा रहा है। जिन्हें जबरन या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया था उन्हें नौकरी पर बहाल नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है। कुछ मामलों में पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है। मंत्री महोदय इसलिए न्याय करने में असमर्थ हैं क्योंकि उन पर कहीं से दबाव पड़ता है। इस प्रकार के दबाव का मुकाबला करना चाहिए। कार्मिक संघ गतिविधियों को रोकने के लिए नौकरशाह स्थानान्तरण, पदावनति सेवा से जबरदस्ती निवृत्ति करने के पुराने तरीकों को अपना रहे हैं। इस तरह के बहुत से मामले एकत्रित हो गए हैं। इस ओर ध्यान देना चाहिए।

लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की एक बड़ी यह शिकायत है, और उनके मामले को कई बार पेश किया गया है कि उनके साथ समझौता हुआ था कि उन्हें बातचीत करने का अवसर दिया जायेगा। अब तक इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। यद्यपि सरकार ने 10 घंटों का निर्णय लिया है, किन्तु इसका लाभ लोको रनिंग स्टाफ को नहीं मिलेगा। पुराने परिपत्रों को वापिस लेने पर उन्हें लाभ मिल सकेगा। अतः मेरा सुझाव है कि वे परिपत्र तुरन्त वापस लिए जाएं। मंत्री महोदय से इस बारे में मेरे कई बार कहने पर भी ऐसा नहीं किया गया।

मंत्री महोदय ने कहा है कि 50,000 कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर दिए गए हैं। यद्यपि इस बारे में घोषणा कर दी गई है किन्तु वे कर्मचारी इससे अभी लाभान्वित नहीं हुए हैं। यह वचन कब तक पूरा किया जायेगा, इसका पता नहीं है।

लोको कर्मचारियों की कई और मांगें भी हैं। एक समझौता किया गया है कि सरकार सभी मामलों को हल कर लेगी। इस समझौते को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। ये समझौते 1973 में हुए थे और अब 1978 है।

कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। जब तक कर्मचारियों को केवल मंत्रालय के समय ही नहीं अपितु अधिकारियों के साथ भी सीधे बातचीत करने का अवसर नहीं दिया जाता तब तक कुछ नहीं होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नई परिस्थितियों में नौकरशाही तरीके के पुराने कार्यकरण में परिवर्तन किए जायें।

रेल मंत्री ने लाभ का बजट पेश किया है। किन्तु वित्त मंत्री ने अपने बजट में जो नए बजट प्रस्ताव रखे हैं, उनका रेलों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कोयला, पेट्रोल तथा विद्युत आदि के मूल्य में वृद्धि हो गई है। इन प्रस्तावों का रेल बजट पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा।

रेल कर्मचारियों के बारे में वार्षिक पुस्तिका में मंजूरी सम्बन्धी आंकड़े दिए गए हैं। वहां यह उल्लेख किया गया है कि रेल श्रमिकों की मंजूरी उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से अधिक हो गई है। यह बात गलत रूप में पेश की गई है क्योंकि अधिकारियों तथा तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनों को सम्मिलित रूप में दिखाया गया है। रेलवे बोर्ड ने यह दिखाने के लिए इस तरह से आंकड़े तैयार किए हैं कि मानो गत 25 वर्षों में रेल कर्मचारियों के वेतनों में काफी वृद्धि हुई हो। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने, जो कि रेल कर्मचारियों की मजूरी लागत का अध्ययन करता है, बताया है कि चौथी श्रेणी के रेल कर्मचारियों की वास्तविक मजूरी में 1951 से गिरावट आई है। यद्यपि मियांभाई न्यायाधिकरण ने कर्मचारियों के कुछ विशेष वर्गों की मजूरी में वृद्धि करने की सिफारिश की थी। तथापि यह वृद्धि सीमान्त ही थी। रेल मंत्री को रेल कर्मचारियों की मजूरी का अध्ययन करना चाहिए। यह कार्य राष्ट्रीय श्रम आयोग की भांति पृथक रूप से किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त रेल मंत्रालय का अध्ययन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है, जो कि गलत होता है और मूल्य वृद्धि को बहुत कम दिखाता है।

वार्षिक प्रतिवेदन पढ़कर यह पता चलता है कि रेल दुर्घटनाओं की संख्या कम हो रही है जबकि दुर्घटनाओं की वास्तविक संख्या में वृद्धि हुई है। इस तरह की गलत जानकारी नहीं दी जानी चाहिए।

अराड़-सासाराम लाइट रेलवे को बन्द कर दिया गया है। मंत्री महोदय ने सभा में कोई वक्तव्य दिया है कि यदि समझौता नामंजूर हो जाता है तो मैं उन लोगों को रेलवे में खपा लूंगा। अब वह समझौता रद्द हो गया है अतः उन्हें रेलवे में नौकरी दी जानी चाहिए।

खड़गपुर में कैंटीन कर्मचारियों का भी मामला है। वहां के उच्च न्यायालय ने श्रमिकों के पक्ष में निर्णय दिया है किन्तु रेलवे बोर्ड ने अपील कर दी है। यह श्रमिकों को अना-

वश्यक रूप से तंग करना है। रेल प्रशासन को उच्च न्यायालय के निर्णय को मानना चाहिए जो कि कर्मचारियों के पक्ष में दिया गया है।

नैमितिक श्रमिकों का मामला बार-बार उठाया गया है। वे लोग कब तक नैमितिक श्रमिक ही बने रहेंगे ? नैमितिक श्रमिकों को स्थायी करने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए। किसी डिवीजन में 20 प्रतिशत खाली स्थान नैमितिक श्रमिकों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिएं और जब किसी कर्मचारी की छंटनी की जाये तो उसे उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए। ऐसा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत मान्य है।

इसके अतिरिक्त रेलवे में प्रशिक्षुओं तथा संविद श्रमिकों की ओर भी गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए।

हाबड़ा आमता रेलवे तथा शिखाला-आमता रेलवे के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। इस वर्ष इसके लिए 40 लाख रुपये दिए गए हैं। हाबड़ा-आमता तथा शिखाला क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत अधिक है और इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जा सकता।

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK (Khajuraho) : The hon. Railway Minister deserves congratulations for presenting a surplus Budget. He has neither increased the fares nor freights. Inspite of this he has presented a surplus Budget.

The Railway Administration has taken certain measures to check railway accidents. As a result of these measures the situation has improved. The expenditure increased thereon is fully justified and it is improper to criticise this expenditure.

Special attention has to be paid to backward areas in the matter of providing railway facilities. Bastar and Vindhya Pradesh areas in Madhya Pradesh are very backward. Railway facilities should be provided there so that these areas may also be developed.

Bundelkhand Express provides service on Jhansi-Mughalsarai line. This train runs as a passenger train upto Maniksur. It should run as Express train upto Maniksur also.

There has been improvement in the matter of reservation of seats and corrupt practices have decreased. Steps should be taken to remove whatever shortcomings are still there.

It is welcome that first class on the Railways will be abolished. The Railway Minister has promised more amenities for second class-passengers. There is overcrowding in second class compartments. There is need for increasing the number of second class bogies. Also on big stations there should be a Conductor to help second-class passengers.

Railway is a great unifying force. It links different parts of the country. There should be more and more use of Hindi in Railways. We should have different forms in Hindi.

A. H. Wheeler and Co. has monopoly on the Railways. This monopoly should be ended. Reading material of good quality should be made available at railway book stalls. Cheap books catering to low taste should not be allowed to be sold.

The demand of railway employees for bonus is genuine. It should be acceded to

The Minister has done well in doing justice to the railway employees who were victimized during emergency. Even now there are a few employees in Jhansi Division who are being victimised and they are still suffering. False cases were filed against them. Injustice done to these employees should also be undone.

There are employees who have not been made regular. This future is uncertain. The administration should make such employees regular.

Railway Crossings should be made by the Central Government. This job should not be entrusted to state governments.

Conversion of metre-gauge lines into broad gauge is important. But authority should be given for providing new railway lines in areas where there is no rail facility.

The railway employees and the people should look upon railways property as their own property. All of us should ensure that railway property is not damaged and stolen.

With these words I hope that the hon. Railway Minister will continue doing such commendable work in future also.

श्री जी० भुवारहन (कुडालूर) : समयाभाव के कारण मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता । मैं केवल अपने राज्य और अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ शब्द करना चाहता हूं । 1950-1955 तथा 1957 में कालाकुर्पी, संगरामपुरम, मोंगल, घुरापेट त्रिविनमलाई और चेंगलपेट तक रेल लाइन बिछाने के बारे में सर्वेक्षण किया गया था तथा कुडालूर से सलेम तथा कनूर से डिंडुकल (नई लाइन) की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में भी बदलने का सर्वेक्षण किया गया था । उन दिनों में वहां कोई उद्योग धन्धे नहीं थे । अब वहां कुछ कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग आदि का विकास हो गया है । इसके अतिरिक्त वहां तांबे की खाने भी हैं । इन लाइनों का अवश्य निर्माण किया जाना चाहिये ।

परिवहन और संचार देश के विकास के लिये आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायक होते हैं। पिछड़े क्षेत्रों और पिछड़े जिलों के विकास के लिये परिवहन का बहुत महत्व है ।

मेरा जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला है । मंत्री महोदय हमेशा पहली सरकार को नई लाइनों के निर्माण के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये कहते रहे हैं अब मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह हमारे यहां के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये इस लाइन पर भी विचार करें। तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना में भी इस लाइन का समावेश किया गया था परन्तु किसी न किसी कारणवश इस लाइन पर कार्य शुरू न किया जा सका । कुडालूर से सलेम तक की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना नितान्त आवश्यक है क्योंकि यह नेवेली और सलेम को जोड़ती है । इसके अतिरिक्त करूर-डिडीगुल सैक्शन में सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो चुका है । किन्तु वहां किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है । दक्षिण रेलवे में नई लाइनें विछाने की काफी गुंजाइश ह । किन्तु इस बजट में इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इसे करकोनम तक बढ़ाया जाना चाहिये। रेलवे को बिल्लू पुरनप से तिरूची तथा मद्रास से अरकोनम तक विद्युतीकरण करने पर भी विचार करना चाहिये ।

जहां तक उपरि पुलों का सम्बन्ध है 47 उपरि पुलों के लिये स्वीकृति दी गई है और कुछ पुल सड़कों पर बनाए जा रहे हैं । लेकिन पता नहीं दक्षिण में कितने उपरि पुलों के लिये स्वीकृति दी गई है ? उलुनदुरपेट राष्ट्रीय मार्ग पर एक सड़क उपरि पुल बनाने के लिये प्रस्ताव है । इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण हो चुका है लेकिन उसको इस बजट में शामिल नहीं किया गया है । तिरून्प्पापुलियर गुंटकल तथा त्रिवेन्द्रम, डिवीजन में एक नया डिवीजन बनाया

गया है । सलेम डिवीजन की भी मांग बन गई है । उस पर विचार क्यों नहीं किया गया ह ? मदुरै डिवीजन के कर्मचारियों की कई शिकायतें हैं । अधिकांश श्रमिक त्रिवेन्द्रम नहीं जाना चाहते । गुंटाकल डिवीजन में भी कर्मचारियों की यही शिकायत है। क्लर्क तथा तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी भी गुंटाकल नहीं जाना चाहते, क्योंकि वे वहां कई वर्षों से बसे हुए हैं । केवल इच्छुक कर्मचारियों को ही इन नए डिवीजनों में भेजा जाना चाहिये ।

थिरूवेलर तक विद्युतीकरण की स्वीकृति दे दी गई है । और मंजकप्पम शहर की नगर-पालिका ने भी उपरिपुल के लिये मांग की है, । नगरपालिका भी इस कार्य में अंशदान देने के लिये तैयार है और तमिलनाडु सरकार भी सहायता देने की इच्छुक है । अतः इस उपरिपुल के लिये स्वीकृति देनी चाहिये ।

चिदाम्बरम में नटराज मंदिर है । इसके अतिरिक्त वहां अन्नामलाई विश्वविद्यालय भी है जहां 5,000 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। चिदम्बरम में सड़कों पर उपरिपुल बनाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

तिरूची डिवीजन में विश्राम कक्षों की दशा बड़ी खराब है । यही स्थिति बिल्लूपुरम की भी है । इन कमरों की मरम्मत की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

आज रेल कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 17 लाख है, रेलवे ने अपने एक तिहाई कर्मचारियों को क्वार्टर दे दिये हैं । उनमें से केवल 10 से 20 प्रतिशत तक क्वार्टरों में बिजली है। कई स्टेशनों के समीप के क्वार्टरों में शौचालय आदि क्वार्टरों से दूर हैं। गुसलखाने तथा शौचालय क्वार्टरों में ही होने चाहिएं।

डिवीजन कर्मचारियों में पदोन्नति के बारे में बहुत असंतोष है । सभी रनिंग स्टाफ की ओर अधिक ध्यान देते हैं और डिवीजनल कर्मचारियों की ओर नहीं । उनके लिये पदोन्नति के बहुत कम अवसर है उन्हें 20-25 वर्ष नौकरी करने के बाद कहीं जाकर पदोन्नति प्राप्त होती है। मंत्री महोदय को उनकी इस शिकायत पर विचार करना चाहिये ।

पहले हमें हमेशा यह बताया जाता था कि रेलवे को घाटा हो रहा है किन्तु इस वर्ष रेलवे को 90 करोड रुपये का लाभ हुआ है । अतः कर्मचारियों की बोनस की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये ।

एगमोर तथा दक्षिण रेलवे के सैण्ट्रल स्टेशन पर हमें तब तक टिकट नहीं मिलता जब तक कि हम 10 या 20 रुपये अतिरिक्त न दें। ऐसा सभी गाड़ियों के लिए नहीं होता बल्कि ऐक्सप्रेस गाड़ियों के लिये होता है। मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

मद्रास के सैण्ट्रल स्टेशन के विस्तार का समाचार छपा है । यह उचित समय है कि रेलवे इस समय भूमि खरीद ले तथा सैण्ट्रल स्टेशन का विस्तार कर ले ताकि दक्षिणी क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोगों को अधिकाधिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें। कुछ परिक्रमा रेलें तथा कुछ अन्य ढंग की गाड़ियां चलाई जानी चाहिएं ताकि मद्रास शहर के अन्दर तथा चारों ओर सस्ती तथा यातायात की उचित सुविधाएं उपलब्ध हों सकें।

कई माननीय सदस्यों ने प्रदेशिक असंतुलनों का उल्लेख किया है । दक्षिणी रेलवें प्रणाली में कुछ प्रादेशिक असमानताएं हैं। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इसकी जांच करें और असंतुलनों को दूर करने की कोशिश करें तथा दक्षिण रेलवे के लिये भी कुछ कार्यवाही करें ।

KM. MANIBEN VALLABHBHAI PATEL (Mehsana): Insanitary conditions prevail most railway stations. People also leave half consumed food articles there. This should be looked into and the refuse be used as manure for agriculture.

The name boards at various stations should be written clearly and prominently so that people can read them. The letters used should be bold enough.

High Government Officials occupy compartments without getting these reserved for themselves. They utilise the accommodation only to oblige their friends. This facility should be withdrawn so that they may not misuse it.

Male passengers and school-boys enter ladies compartments at small stations between Ahmedabad and Anand. Steps should be taken to prevent these boys and male passengers from entering the ladies compartments.

Headquarters of Western Railway is located at Bombay. This should be shifted to either Ahmedabad or Gandinagar.

Many people from West Bengal and South India work in Sindri Factory. A bogie from Ahmedabad or Beramgaon to Madras; from Bangalore to Secunderabad should be provided for these people. A bogie from Ranchi and Patna should also be provided.

The Railway Minister should visit all states and personally see the difficulties of passengers at small stations. People will highly appreciate this.

In the deluxe express, in chair car bogies, passengers put their luggage in the passage and block it. Suitable steps should be taken to remove this difficulty.

There is a halt for a few minutes of Rajdhani Express near Minto Road Station. It should instead stop at Nizamuddin.

In yards, all trains should be properly checked to ensure that their doors and windows work properly. It is essential to done otherwise passengers would experience a lot of difficulty.

Corrupt practices are rampant at Ahmedabad station in the matter of reservation of seats. People are asked to pay more money to get a ticket. I would request the hon. Minister to look into this matter.

Platforms are small and the trains have become long. There is need to expand the platforms. Seating capacity in the waiting halls of the Stations should also be increased.

SHRI YUVRAJ (Katihar) : This Railway Budget is generally good and welcome. This Railway Budget has been a surplus budget for the last two years. We expect in the coming years that there would be a raising of Rs. 70 crores.

The railways are losing high profit-yielding freight because of slow speed of the goods trains and road transport is getting preference over railways as a result thereof. Steps shall have to be taken to improve freight services introduced in recent years.

17 lakh workers are employed in the railways. We have to take steps to improve the lot of class-IV employees. We have to judge our railways from the standard of living of these people.

The railways are running on profit. We can not deny bonus to railway employees. They should be given bonus. We can effect economy by 2 per cent in the expenditure on administration. This would help us in going bonus to the railway employees.

The railways should introduce super express goods trains. There is need for quick transport of goods from one place to another.

The railways have imported wheel-sets from French and Japanese firms and have spent a lot of money thereon. But on the other hand even a marginal increase in the prices was not allowed to 'H.S.L.' and 'TISCO' and purchase order was also not increased.

Railway steamer ferries operate on banks of river Ganges and Kosi. Whereas private ferry services are making profits, the railway ferry service is incurring loss. The railways should purchase small motor launches so that more facilities may be provided to travellers and the railway may not incur loss also.

More amenities should be provided to the passengers travelling in the railways second class compartments are always dirty. Proper arrangements should be made for keeping these compartments clean.

During the last 15 years there has been 2 to 3 times increase in railway fares. As a result of this poor people have been hard hit. The Railway Minister, no doubt has provided certain benefits to the passengers by introducing 'Janata Khana' and reducing sleeper reservation charges, but he should provide relief to those people who are below poverty line by reducing railway fare.

There is no arrangement for second class passengers at Katihar station. There is need to improve platforms also. Railway lines should be provided in the hilly areas on our border with Nepal.

There is need for providing rail facilities in South Bihar, Chhota Nagpur and Santhal Parganas. A line should be provided from Lohardaga to Barbadih. Sakri Hasanpur is a very backward area of North Bihar. There is no railway line in that area. Rail facilities should be provided in these areas too. There is a long standing demand for a bridge at Manihari Ghat. This bridge should be constructed at an early date.

There are three high schools of N.F. Railway in Katihar where more than 10,000 children of the railway employees are studying, but not a single Building has been provided to house these schools by the railway administration. All the schools located at Katihar for the education of railway employees children should be taken over by the Government in the way other schools were taken over in Assam and Bengal.

SHRI RAJSHEKHAR KOLUR (Raichur) : I congratulate the Minister of Railways for presenting a surplus budget for a second time in succession. It is a matter of great satisfaction that there has been no increase in fares and freights. But this satisfaction is not going to last long. It is because in the general budget tax on coal, diesel and petroleum products has been increased and the railways are dependent on those commodities. With this increase in the cost of running the railways it is doubtful whether the expectation of the Railway Minister in regard to the surplus of Rs. 82.32 crores will be fulfilled.

There are many backward areas in the country where there is great need of railway lines. On the other hand in some areas the work of doubling the railway line is going on. If instead of doing that doubling work railway lines are laid in the backward areas it will be more beneficial for the country as those areas will be able to come up.

Some 36000 level crossings are there in the country. If on these level crossings the vehicles have to stop even for 5 minutes on an average, it means huge waste of petrol and diesel. This is a national loss. Therefore it is very necessary to construct overbridges or underbridges on these level crossings.

It is said that the food served on the railways is very good. This is not correct. The food served is not satisfactory and there is great need to improve it.

The sleeper charges have been reduced. While this is welcome, there is great need to streamline the work of reservation. At present even Members of Parliament have to wait for a number of days for getting reservation. When this is the position in case of MPs what will be the difficulties of the general public, can be very well imagined. The Railway Minister should pay due attention to it.

As regards railway safety, the Railway Minister is taking great interest. About 11000 people of the R.P.F. and 14000 gangmen are engaged in this work and Rs. 1 lakh is being spent daily. But keeping in view the total milage of railway lines in the country this force is perhaps not adequate to ensure safety. Therefore it is very necessary to have a scientific arrangement, whereby the engine driver could come to know about the danger ahead.

As regards the question of thefts on railways, the personnel of the R.P.F. are in league with the thieves. There should be a separate police force for the entire country to deal with the cases of thefts on railways.

We have only 3000 km long railway line in Karnataka and even that has not been electrified so far. The State has enough power potential. So the Railway Minister should think of electrification of railway track there. The metre gauge line from Bangalore to Mysore should be converted into broad gauge and also electrified.

Raichur station in Karnataka should be modernised and a separate bogie should be provided there for passengers bound for Madras, Bombay and Delhi. A railway line should be provided from Hariyar to Karwar *via* Kotur. The conversion work of Guntakal-Bangalore railway line should be expedited. The Poona-Miraj line should be extended to Bangalore. The Passenger train running from Raichur to Wadi should be extended upto Dhond.

Bangalore should be made a divisional headquarter. A railway service commission should also be set up there.

Work of construction of West Konkan line should be completed as early as possible because there is no railway line in that area.

SHRI DHARMA VIR VASISHT (Faridabad) : The Minister of Railways deserves to be congratulated as it is for the second consecutive year that he has been able to present a surplus budget with an expected saving of about 90 crores of rupees. Economy has been effected to an extent more than that estimated last year; the operational efficiency has increased, full utilisation of the track has been made, the freight and fares have not been increased and many other facilities have been extended. But the position of rolling stock has not improved. There are only 11010 locomotives at present while in 1965-66 their number was 11743 and as such there was a slight decrease in their number. The present number of coaches and wagons is 3.97 lakhs as compared to 3.7 lakhs in 1965-66.

The indigenous production is likely to increase during next few years. The rolling stock's position has not yet improved. The position of rolling stock has almost been stagnating for the last 11 years. If this state of affairs continues a time will come when railways will not be in a position to cope up with the work load because the work load is expected to increase during the coming years because of setting up of iron, steel, fertilizers etc. in the country.

Many a time the issue of bonus has been raised in the House. I think my friend Prof. Madhu Dandvate, who himself remained a labour leader for a quite sometime will continue to cherish the cause of workers. I hope more facilities will be made available to the workers and their working conditions will improve. I hope the Government will also consider the questions of giving bonus to the employees.

Last year, Railway Minister gave an assurance that the electrification work on Delhi-Agra track will be undertaken soon but till now, no work has been started, but time and again it is stated that electrification work is under consideration. The electrification of this railway track is all the more important as more than 50,000 commutors come to Delhi every day. It will be more in fitness of the things if some extra trains are started to facilitate these commutors. My other submission in this regard is that trains should also be made to halt at stations like Palwal, Hodel Kosi etc. More suburban trains should be started in Metropolitan cities of Bombay, Delhi and Calcutta

Now , to say a word about my constituency, I may submit that a railway over bridge should be provided on Faridabad-Badarpur railway complex.

According to the budget, more than one lac rupees are being spent on to security of railway track. In this regard my suggestion is that the work of maintaining security of railway tracks, provision of water at stations etc. should be entrusted to village Panchayats. Railway travel should be made more secure. The congestion in trains should be removed and more rolling stocks should be provided to railways for that purpose.

Lastly, I am thankful to Prof. Madhu Dandvate who has presented a balanced budget.

SHRI HARI SHANKAR MAHALE (Malegaon) : I welcome the budget presented by the Railway Minister in which he has taken good note of all the points which I raised during my speech on last year's railway budget. He deserves congratulations for that.

The Railway Minister has presented a balanced budget but my submission is that more concessions should be given in freight for transport of agricultural products like onions, grapes and bananas. Bananas are sent to Delhi from Jalgaon in large quantity. The poor farmers had to pay a lot of money as transport charges. This freight should be reduced by the Railway Minister.

Nasik is an important place. The Nasik railway station is very old. This station needs lot of renovation and improvement. Necessary steps should be taken in this regard immediately.

Similarly Malegaon is an important industrial town. There is great need for a railway line connecting Mammad, Malegaon and Nardona should be provided immediately.

In Nasik a large number of tribals are living. A railway line in that area is badly needed. A survey for Nasik-Pet Bulsar railway line has already been carried out. Steps should be taken to provide this line.

Lastly I may submit that the number of tribal people in railway services is very small. I am of the view that atleast 25 per cent of the jobs should be given to these people.

श्री गोविन्द मुन्डा (क्योंझर) : मैं प्रस्तुत किये गये बजट का स्वागत करता हूं । पिछले 30 वर्षों में जन साधारण को उपयुक्त रेल सुविधाएं देने के लिये कुछ भी सराहनीय नहीं किया गया है । उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों में पर्याप्त रेल सुविधाएं देने के लिये बजट में व्यवस्था नहीं की गई है, अतः मेरा अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

(इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, दिनांक 8 मार्च, 1978 /17 फाल्गुन, 1889 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।)

(The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, the 8th March, 1978/ Phalguna 17, 1899 (Saka)

L90LSS/78—G.I.P.F.